रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 3 जून, 2005/13 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 2 जून, 2005

संख्या एच0पी0इ0आर0सी0/418.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) तथा धारा 39,40 तथा 42 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य

सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है : –

विनियम

अध्याय–I–प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार.**–– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2005 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

(3) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों की अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली, जिसमें ऐसी प्रणाली जो अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ–साथ उपयोग में लाई जाती है भी है, के उपयोग हेतु खुली पहुँच के लिये लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**– इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(2) "आबंटित पारेषण क्षमता" से खुली पहुँच ग्राहक द्वारा अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से अंतःक्षेपण और आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिंदु/(ओं) के बीच पारेषण हेतु अनुज्ञात, मेगावॉट में मापी गई, विद्युत की मात्रा अभिप्रेत है तथा "पारेषण क्षमता का आवंटन" पद का तदानुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

(3) "आवेदक" से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जो इन विनियमों के अनुसार राज्य में किसी पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली का खुली पहुँच द्वारा उपयोग करने के लिए आवेदन करता है ;

(4) "आबद्ध उत्पादन ग्राहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र का निर्माण कर रखा हो और उस संयंत्र को संचालित व अनुरक्षित करता हो और वह अपने आबद्ध उत्पादन संयंत्र से स्वयं के उपयोग हेतु गंतव्य तक ले जाने

के प्रयोजन से खुली पहुँच की अपेक्षा रखता हो ;

(5) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(6) "दिन" से अपस वेला (Zero hours) से आरम्भ होकर 24.00 घण्टे (अर्धरात्रि) को समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है ;

(7) "वितरण ग्राहक" से वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें खुली पहुँच ग्राहक भी आता है, अभिप्रेत है ;

(8) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है ;

(9) "मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया" से इन विनियमों के विनियम 8 तथा 27 के अधीन खुली पहुँच के लिए अधिकथित मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(10) "मास" से ब्रिटिश कलेण्डर का ब्रिटिश कलेण्डर मास अभिप्रेत है ;

(11) "नोडल एजेन्सी" से पारेषण और वितरण में दीर्घकालिक खुली पहुँच के सम्बन्ध में राज्य पारेषण उपयोगिता तथा लघुकालिक पारेषण और वितरण खुली पहुँच के सम्बन्ध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(12) "खुली पहुँच ग्राहक" से प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या उत्पादन कम्पनी (जिसमें आबद्ध उत्पादन संयत्र भी आता है) या अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा अनुज्ञात व्यक्ति जो खुली पहुँच का लाभ उठाता है या उठाना चाहता है, अभिप्रेत है ;

(13) "वितरण में खुली पहुँच" से इन विनियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा

ग्राहक या उत्पादन में लगे व्यक्ति द्वारा वितरण प्रणाली और उसकी सहयुक्त सुविधाओं के उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था अभिप्रेत है ;

(14) "पारेषण में खुली पहुँच" से इन विनियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ग्राहक या उत्पादन में लगे व्यक्ति द्वारा पारेषण प्रणाली और उसके सहयुक्त सुविधाओं के उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था अभिप्रेत है ;

(15) "आरक्षित वितरण क्षमता" से वितरण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण बिन्दुओं से आहरण बिन्दुओं के बीच लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक को आरक्षित, मेगावॉट/मैगावॉट एम्पीयर (MW/MVA) में मापी गई, विद्युत की मात्रा अभिप्रेत है और "वितरण क्षमता आरक्षण" पद का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा ;

(16) "आरक्षित पारेषण क्षमता" से पारेषण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण बिन्दु/ओं से आहरण बिन्दु/ओं के बीच, खुली पहुँच ग्राहक को आरक्षित, मेगावॉट/मैगावॉट एम्पीयर (MW/MVA) में मापी गई, विद्युत की मात्रा अभिप्रेत है और "पारेषण क्षमता और आरक्षण" पद का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा ;

(17) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(18) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

(19) "प्रदाय कोड" से अधिनियम की धारा 50 तथा धारा 181 की उप–धारा (2) के खण्ड (भ) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदाय कोड अभिप्रेत है ;

(20) "पारेषण ग्राहक" से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें खुली पहुँच ग्राहक भी है, अभिप्रेत है ; और

(21) अन्य सभी शब्दों तथा पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु यहाँ अपरिभाषित हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन के लिए अधिनियम में नियत किये गए हैं ।

अध्याय–II–अंतः राज्यिक पारेषण में खुली पहुँच

3. विद्यमान पारेषण में खुली पहुँच ग्राहकों हेतु विशेष उपबन्ध.— (1) चालू करार या व्यवस्था के अधीन राज्य में अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली की खुली पहुँच का लाभ ले रहे विद्यमान ग्राहकों तथा उत्पादन कम्पनियों को, आयोग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित पारेषण प्रभारों तथा लागू अधिभारों के संदाय पर, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो उन्हें चालू करार तथा व्यवस्था की कालावधि में लागू हों, खुली पहुँच का लाभ उठाने का अधिकार जारी रहेगा :

परन्तु यह कि खुली पहुँच का लाभ उठाने वाले विद्यमान ग्राहक तथा उत्पादन कम्पनियाँ नोडल एजेन्सी को, इन विनियमों के प्रारम्भ से 45 दिन के भीतर, उपयोग में लाई गई क्षमता, अंतःक्षेपण बिन्दु ; आहरण बिन्दु ; खुली पहुँच की कालावधि, उच्चतम भार, औसत भार का विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी नोडल एजेन्सी अपेक्षा करती है, देगी ।

(2) नोडल एजेन्सी विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों अथवा उत्पादन कम्पनियों को लागू चालू करारों के अधीन पारेषण तथा/अथवा वितरण क्षमता की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी :

परन्तु यह कि वे सभी बातें, जिनका चालू करारों में उल्लेख नहीं है, इन विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

4. पारेषण में खुली पहुँच के ग्राहकों का वर्गीकरण.— (1) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में उपयोग की अवधि पर आधारित खुली पहुँच ग्राहक निम्न दो वर्गों में विभाजित होंगे, नामतः :—

(क) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक, और

(ख) लधुकालिक खुली पहुँच ग्राहक ।

(2) पांच वर्ष या उस से अधिक अवधि हेतु खुली पहुँच का लाभ ले रहा या लाभ लेने का इच्छुक व्यक्ति दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक होगा :

परन्तु यह कि, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, राज्य पारेषण प्रणाली के, या राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन तथा उस द्वारा प्रचालित पारेषण प्रणाली के, विद्यमान हित्ताधिकारी, राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन या उस द्वारा प्रचालित राज्य पारेषण वितरण प्रणाली के लिए पाँच वर्ष की कालावधि के लिए दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक समझे जाएंगे ।

(3) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों से भिन्न पारेषण ग्राहक लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक होंगे ।

5. **पारेषण में खुली पहुँच के मानदण्ड.**— (1) पारेषण में दीर्घकालिक खुली पहुँच की अनुमति, ग्रिड कोड के अनुसार दी जाएगी ।

(2) यदि मांगो को :—

(क) रूपांकन में अंतर्निहित गुंजाइश ;

(ख) विद्युत प्रवाह में घटत–बढ़त से उपलब्ध गुंजाइश ;

(ग) भावी भार वृद्धि के प्रबन्धन हेतु बनी–बनाई फालतू पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध गुंजाइश;

(घ) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा उपयोग में न लाने के कारण उपलब्ध पारेषण क्षमता में गुंजाइश ;

के आधार पर स्वीकार किया जा सके, तो पारेषण में लघुकालिक खुली पहुँच की अनुमति दी जाएगी ।

6. **पारेषण क्षमता में आरक्षण तथा आवंटन के मानदण्ड.**— (1) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक के लिए आवंटन में प्राथमिकता, लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक की आरक्षण प्राथमिकता से ऊपर होगी ।

(2) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों में, यदि आयोग, स्वविवेकानुसार, यह निर्णय ले कि ऐसा करना लोकहित में होगा, और आयोग स्वविवेकानुसार सामान्यतः या विशेषतः उक्त निर्णय

लेता है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अन्य किसी भी लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी ।

(3) उप–विनियम (1) में कोई भी बात अन्यथा होते हुए, प्रचालन अवरोध के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रखा है और जो ऐसे संयंत्र को अनुरक्षित तथा प्रचालित करता है, आबद्ध उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के स्थान तक विद्युत ले जाने के प्रयोजन के लिए खुली पहुँच का अधिकारी होगा ।

(4) प्रवर्ग में (दीर्घकालिक अथवा लघुकालिक) खुली पहुँच ग्राहकों के तथा अनुज्ञप्तिधारी के अपने उपयोग में कोई विभेद नहीं होगा ।

(5) राज्य के भीत्तर संव्यहार की दशा में, यदि नोडल एंजेन्सी की राय में राज्य में पारेषण सम्पर्क में संकुलन के कारणवश किसी संव्यहार को किसी भी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता हो, तो नोडल एजेन्सी लघुकालिक ग्राहक की आरक्षित पारेषण क्षमता को घटा या रद्द कर सकती है । यदि नोडल एजेन्सी लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक के लिए इस उप–विनियम के अधीन आरक्षित पारेषण क्षमता को घटाने या रद्द करने का निर्णय लेती है, तो वह, यथाशीघ्र, सम्बन्धित लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक को अपने पारेषण क्षमता के घटाने या रद्द करने के निर्णय से अवगत करेगी ।

(6) यदि लघुकालिक खुली पहुँच चार मास में से प्रथम मास में प्रारम्भ की जानी है और चौथे मास की समाप्ति के बाद नहीं दी जानी है, तो ही लघुकालिक खुली पहुँच के लिए आवेदन पर उस मास को, जिसमें आवेदन प्राप्त होता है, प्रथम मास मान कर कार्रवाई की जाएगी।

(7) उन आवेदनों पर, जो खुली पहुँच प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के मास के भीतर लघुकालिक खुली पहुँच के लिए प्राप्त होते हैं या अगले मास में खुली पहुँच प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के लिए मास की 19 तारीख के पश्चात् प्राप्त होते हैं, पहले आये सो पहले पाये के आधार पर विचार किया जाएगा तथा पारेषण क्षमता में उपलब्धता पर ही लघुकालिक खुली पहुँच अनुज्ञाप्त की जाएगी ।

(8) लघुकालिक खुली पहुँच के लिए मास की 19 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर, उन आवेदनों को छोड़कर जिन पर उप–विनियम (7) के अनुसार पहले आये सो पहले पाये के

आधार पर कार्रवाई की जानी है, अग्रिम आरक्षण हेतु उस मास की 20 तारीख को विचार किया जाएगा और उन पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :—

(क) लघुकालिक खुली पहुँच के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पारेषण गलियारों में संकुलन रोकने के लिए आवेदन विश्लेषित किए जाएंगें ;

(ख) यदि नोडल एजेन्सी पारेषण गलियारे में संकुलन अंतर्वलित न समझती हो, तो अपेक्षित मात्रा तथा अपेक्षित कालावधि के लिए आवेदक को लघुकालिक खुली पहुँच मास की 25 तारीख तक, अनुज्ञात कर दी जायेगी ;

(ग) यदि नोडल एजेन्सी की राय में लघुकालिक खुली पहुँच के लिए सभी आवेदनों की स्वीकृति से लघुकालिक पहुँच के उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक या अधिक पारेषण गलियारों में किसी अवधि के लिए संकुलन उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो वह अपनी राय और उसके आधारों से सभी आवेदकों, को तदानुसार मास की 23 तारीख को या उस से पहले,सूचित करेगी ;

(घ) खण्ड (ग) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक चाहे तो संकुलन के दौरान अपनी अपेक्षित पारेषण क्षमता को घटा सकता है या उस कालावधि में, जब संकुलन पूर्वानुमानित न हो, खुली पहुँच के लाभ का विकल्प कर सकता है और उस स्थिति में मास की 25 तारीख तक तदानुसार नोडल एजेन्सी को सूचित करेगा ;

(ङ) यदि नोडल एजेन्सी फिर भी लघुकालिक खुली पहुँच में उपयोग किये जाने वाले किसी एक या अधिक पारेषण गलियारों में संकुलन पूर्वानुमानित करती है, तो इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार मास की 26 तारीख को संकुलित पारेषण गलियारे में पारेषण क्षमता आरक्षण के लिए इलैक्ट्रॉनिक बोलियाँ आमंत्रित कर सकती है । बोली प्रक्रिया में आवेदक के भाग न लेने से यह समझा जाएगा कि वह खुली पहुँच का लाभ लेने के लिए अब इच्छुक नहीं है और उसके आवदेन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(9) उस दशा में जब आरक्षित पारेषण गलियारा मास की किसी निश्चित कालावधि में तदनन्तर पूर्णतया या भागतया खाली उपलब्ध हो, तो नोडल एजेन्सी इसकी सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र हेतु अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगी ।

(10) उप–विनियम (4) तथा विनियम 11 में उपबन्धित के सिवाय, यदि खुली पहुँच एक बार स्वीकृत कर दी जाती है, तो किसी पश्चात्वर्ती आवेदन प्राप्त होने पर दीर्घकालिक ग्राहक या लघुकालिक ग्राहक का किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा ।

(11) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग की पूर्वानुमति से, लघुकालिक पहुँच ग्राहकों के लिए पारेषण क्षमता आरक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें बोली आमन्त्रित करने, अग्रम आरक्षण, पहले आए सो पहले पाए के आधार पर आरक्षण, यदि दो क्षेत्रों में सीधा सम्पर्क संकुलित या बाधित हो, तो दूसरे क्षेत्रों में से वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग तथा अन्य कोई अवशिष्टांश विषयक की विस्तृत प्रक्रिया भी शामिल होगी, अधिकथित करेगा ।

(12) इस विनियम में कोई भी बात अन्यथा होते हुए भी, आयोग, किसी भी समय, राज्य में व्यापर संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रवर्ग के खुली पहुँच ग्राहक को, इस विनियम में, दी गई प्राथमिकता को पुनर्विलोकित कर सकेगा ।

7. पारेषण में खुली पहुँच दीर्घकालिक ग्राहकों की घोषणा.— प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, 30 जून, 2005 के पूर्व उसकी प्रेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले विद्यमान दीर्घकालिक ग्राहकों को या तो अपने वैबसाईट पर या राज्य पारेषण उपयोगिता की वेबसाईट पर घोषित करेगा ।

8. पारेषण में दीर्घकालिक खुली पहुँच का लाभ लेने की प्रक्रिया.— (1) दीर्घकालिक खुली पहुँच के लिए ग्राहक अनुसूची–I में विहित प्ररूप पर, नोडल एजेन्सी को आवेदन देगा।

(2) आवेदन में उद्देश्य ; प्रणाली में दी जाने वाली आवेदक के लिए निश्चित क्षमता ; किसी निश्चित समय पर प्रणाली में पारेषित अथवा चक्रित की जाने वाली इकाइयों (Units) की अधिकतम मात्रा, अंतःक्षेपण बिन्दु, आहरण बिन्दु, खुली पहुँच का लाभ लेने की अवधि, उच्चतम भार,

औसत भार और नोडल ऐजन्सी द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारियाँ अन्तर्विष्ट की जाएंगी ।

(3) नोडल एजेन्सी, समय--समय पर, आयोग के परामर्श से तथा अनुमोदन के उपरान्त, पारेषण में खुली पहुँच के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं प्रक्रिया अधिकथित करेगी ।

(4) पारेषण में खुली पहुँच के लिए आवेदन के साथ एक लाख रुपये की आवेदन अप्रतिदेय फीस पारेषण में खुली पहुँच मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया में अधिकथित नाम व रीति से संदत की जायेगी ।

(5) नोडल एजेन्सी, अन्तर्वलित अन्य एजेन्सियों के परामर्श से किए गए प्रणाली अध्ययन के आधार पर, उपलब्ध क्षमता का तथा खुली पहुँच अनुज्ञात करने में प्रचालन अवरोध की उपस्थिति या अनुपस्थिति का जायजा लेगी तथा 30 दिनों के भीत्तर आवेदक को उस पर लिए गए विनिश्चय से, कि क्या आवेदक को बिना प्रणाली सुदृढ़ीकरण के दीर्घकालिक खुली पहुँच अनुज्ञात की जा सकती है या नहीं, इस विनियम के उप–विनियम (3) में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार संसूचित करेगी :

परन्तु यह कि, यदि दीर्घकालिक खुली पहुँच बिना किसी आगामी प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अनुज्ञात की जा सकती हो, तो यह खुली पहुँच करार निष्पादित किए जाने के तुरन्त पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ।

(6) उस स्थिति में जब नोडल एजेन्सी की राय में प्रणाली सुदृढ़ीकरण अथवा अन्य प्रचालन अवरोध के कारण खुली पहुँच अनुज्ञात नहीं की जा सकती है और इसके लिए अधिक अध्ययन अपेक्षित है, तो नोडल एजेन्सी ऐसा अध्ययन कराने के लिए आवेदक से अभिपुष्टि मांगेगी। आवेदक से अभिपुष्टि प्राप्त होने पर, नोडल एजेन्सी, प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालन अवरोध को दूर करने के लिए ऐसा अध्ययन, कि नोडल एजेन्सी प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त के कार्य का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा उसकी अनुमानित लागत, उसकी समापन समय योजना तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित संक्रम पूरा करने के पश्चात् किस संभावित तारीख से खुली पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, कर सकेगी तथा आवेदक से आवेदन प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर अध्ययन के परिणाम सूचित करेगी :

परन्तु यह कि आवेदक, अध्ययन करने से पूर्व, नोडल एजेन्सी के पास अध्ययन की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत जमा करेगा तथा खुली पहुँच दिये जाने से पूर्व आवेदक प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अध्ययन पर नोडल एजेन्सी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय को प्रतिपूर्त करेगा ।

(7) आयोग, नोडल एजेन्सी की सिफारिश पर तथा उप–विनियम (6) के अधीन किए गए अध्ययन की लाभप्रदता के आधार पर अध्ययन किए जाने में आई लागत को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में स्वीकार्य खर्चे के रूप में सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह कि उस स्थिति में जब आयोग लागत को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में स्वीकार्य खर्चे के रूप में सम्मिलित करने के निर्देश देता है, तो उप–विनियम (6) के अधीन जमा की गई राशि का आवेदक को, 15 दिन के भीतर, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर, जो वार्षिक राजस्व अपेक्षाएँ अवधारित करते समय स्वीकार्य (Pass through) खर्च के रूप में अनुज्ञात किया जाए । खुली पहुँच विकसित करने हेतु आयोग, स्वविवेकानुसार अथवा नोडल एजेन्सी की सिफ़ारिश पर ऐसे अन्य अध्ययन, जैसे वह आवश्यक समझे, कर सकता है ।

(9) उन मामलों में जिन में प्रणाली सुदृढ़ीकरण अंतर्वलित है, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को आयोग की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाली अपनी वार्षिक विनिधान योजना में उक्त संक्रमों की अनुमानित लागत सम्मिलित करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु यह कि आवेदक संक्रम आरम्भ करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारियों के पास संक्रम की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत जमा करेगा तथा खुली पहुँच दिए जाने से पहले आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली सुदृढ़ीकरण अध्ययन पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम किसी व्यष्टिक ग्राहक के लाभ के लिए है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उस द्वारा किया गया युक्तियुक्त व्यय वसूल करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह और कि यहाँ प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम अनुज्ञप्तिधारी की विनिधान योजना में सम्मिलित किया गया हो, वहाँ प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम पर किया गया खर्च स्वीकार्य खर्चे (Pass through) के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(10) इन विनियमों के विनियम 11 के अध्यधीन रहते हुए, दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक को आवंटित पारेषण क्षमता का त्यजन या किसी अन्य दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक को अन्तरण किया जा सकेगा ।

9. **पारेषण में लघुकालिक खुली पहुँच के लिए प्रक्रिया.**— (1) लघुकालिक खुली पहुँच का लाभ लेने वाला ग्राहक, विनियम 8 के उप–विनियम (1), (2) तथा (3) में यथाउपबन्धित के अनुसार आवेदन देगा ।

(2) आवेदन के साथ पाँच हजार रुपये की आवेदन अप्रतिदेय फीस पारेषण में खुली पहुँच मार्गदर्शन सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया में अधिकथित नाम व रीति से संदत की जाएगी :

परन्तु यह कि उसी दिन या अगले दिन को खुली पहुँच के लिए आवेदन की दशा में, आवेदन फीस आवेदन की तारीख के अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर संदत की जा सकेगी ।

10. **पारेषण में लघुकालिक खुली पहुँच के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया.**– (1) बोली लगाने के लिए न्यूनतम मूल्य इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार अवधारित मूल्य, ST-RATE होगा।

(2) बोली लगाने वाले न्यूनतम मूल्य के रूप में मूल्य उत्कथित करेंगे ।

(3) बोली लगाने वाला न्यूनतम मूल्य से पाँच गुणा से अधिक मूल्य उत्कथित नहीं करेगा ।

(4) पारेषण क्षमता का आरक्षण उत्कथित मूल्य के घटते क्रम में किया जाएगा ।

(5) उस दशा में जब दो या अधिक बोली लगाने वाले बराबर मूल्य उत्कथित करते हैं, तो पारेषण क्षमता का आरक्षण माँगी गई पारेषण क्षमता के अनुपातन होगा ।

(6) लघुकालिक ग्राहक को, जो अपनी माँगी गई क्षमता से कम क्षमता का आरक्षण करवाता है, उस द्वारा उत्कथित प्रभार संदत करने होंगे और लघुकालिक ग्राहक जो मांगी गई

क्षमता के बराबर क्षमता का आरक्षण करवाता है, अन्तिम खुली पहुँच ग्राहक द्वारा खुली पहुँच के आरक्षण के लिए पारेषण क्षमता के लिए उत्कथित प्रभार संदत्त करेगा ।

11. **बहिर्गमन की स्वतन्त्रता.**— (1) दीर्घकालिक ग्राहक, आयोग की पूर्वानुमति के बिना, खुली पहुँच पारेषण करार में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों एवं दायित्वों का त्यजन या अन्तरण नहीं करेगा ।

(2) दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा अपने अधिकारों एवं दायित्वों का त्यजन या अन्तरण आयोग द्वारा यथावधारित प्रतिकर के भुगतान पर ही होगा ।

(3) आरक्षित पारेषण क्षमता का लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा किसी अन्य ग्राहक को अन्तरण नहीं किया जाएगा ।

12. **क्षमता अवधारण.**— (1) अन्तः राज्यिक पारेषण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता, जिसमें अनुज्ञात की गई खुली पहुँच को प्रभावित करने वाले प्रचालन अवरोधों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी है, नोडल एजेन्सी द्वारा अन्य अन्तर्वलित, एजेन्सियों से परामर्श से तथा खुली पहुँच माँगने वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को सुनने तथा खुली पहुँच माँगने वाले व्यक्ति के निवेदन पर विचार करने के उपरान्त, अवधारित की जाएगी ।

(2) उप–विनियम (1) के अधीन क्षमता अवधारण पर, यदि पारेषण प्रणाली में प्रचालन अवरोधों पर विवाद उठाता है, तो नोडल एजेन्सी उसे आयोग को उसके विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) (क) आयोग, उप–विनियम (2) के अधीन विनिश्चय करते हुए, अथवा अन्यथा, समय–समय पर, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, उन शर्तों को, जिन्हें खुली पहुँच का लाभ मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है, अधिकथित करेगा तथा उक्त शर्तों के सम्यक् रूप में पालन करने पर ही की खुली पहुँच अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) पूरी की जाने वाली शर्तों में उपकेन्द्रों, संभरक (फीडर) लाइनों से अनावृत विद्युत लाइनों अथवा संक्रमों तथा ऐसे अन्य संक्रमों का, जिन्हें प्रचालन अवरोध के बिना खुली पहुँच

अनुज्ञात करने के लिए आयोग आवश्यक समझता है, सन्निर्माण, प्रचालन या अनुरक्षण भी सम्मिलित किया जा सकेगा ।

13. **लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता का अनुपयोग.**— (1) अनुज्ञप्तिधारी तथा खुली पहुँच ग्राहक के मध्य निष्पादित करार में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि लघुकालिक ग्राहक आरक्षित वितरण क्षमता के पूरे अथवा उसके महत्वपूर्ण भाग का उपयोग करने में विफल रहता है, तो वह नोडल एजेन्सी को, आरक्षित वितरण क्षमता को उस द्वारा उपयोग में लाने में विफल रहने के कारणों सहित, सूचित करेगा और आरक्षित वितरण क्षमता का समर्पण कर सकेगा ।

(2) इन विनियमों में कोई बात प्रतिकूल होते हुए भी, जब लघुकालिक ग्राहक अपनी आरक्षित वितरण क्षमता का वार–वार कम उपयोग करता है, तब नोडल एजेन्सी, स्वविवेकानुसार, लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक की आरक्षित वितरण क्षमता को घटा या रद्द कर सकता है :

परन्तु इस उप–विनियम के अधीन लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक, जिसकी आरक्षित वितरण क्षमता को घटाया या रद्द करना हो, को पूर्व सूचना के बिना, आरक्षित वितरण क्षमता को नहीं घटाया या रद्द नहीं किया जाएगा ।

(3) लघुकालिक ग्राहक, जिसने उप–विनियम (1) के अधीन अपनी आरक्षित वितरण क्षमता समर्पित की हो या उप–विनियम (2) के अधीन जिसकी आरक्षित वितरण क्षमता घटाई या रद्द की गई हो, पारेषण प्रभार तथा मूलतः आरक्षित वितरण क्षमता के आधार पर सात दिनों के अथवा उस अवधि के, जिसको आरक्षण को, यथास्थिति, समर्पित, घटाया या रद्द किया गया हो, जो भी इनमें से कम अवधि हो, के प्रचालन प्रभार संदत करेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप–विनियम के प्रयोजनों हेतु, पद "प्रचालन प्रभार" के वही अर्थ होंगे जो इसके लिए यहां विनियम 15 के उप–विनियम (3) में दिए गए हैं ।

(4) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा उप–विनियम (1) के अधीन त्यजन के फलस्वरूप अथवा नोडल एजेन्सी द्वारा उप–विनियम (2) के अधीन घटाने या रद्द करने के

फलस्वरूप उपलब्ध पारेषण क्षमता इन विनियमों के अनुसार दूसरे अन्य लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक को आरक्षित की जा सकेगी ।

14. **प्राथमिकता में कटौती.**— (1) यदि प्रचालन अवरोध या अपरिहार्य घटनाओं या अन्यथा के कारणवश पारेषण ग्राहकों को दी जा रही पारेषण सेवाओं में कटौती करना आवश्यक हो, तो पहले लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों की सेवाओं में और उसके पश्चात् दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों की सेवाओं में तथा तत्पश्चात् आबद्ध उत्पादकों की सेवाओं में काटौती की जाएगी :

परन्तु यह कि एक ही वर्ग में सभी प्रयोक्ताओं के लिए पारेषण सेवा में प्राथमिकता में कटौती एक समान होगी और दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों के मामले में उनको आबंटित पारेषण क्षमता तथा लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहको के मामले में उन्हें आरक्षित पारेषण क्षमता में अनुपातन कटौती की जाएगी ।

(2) यदि नोडल एजेन्सी द्वारा किसी विशिष्ट दिन को प्रचालन अवरोध के कारणवश आरक्षित पारेषण क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक कटौती की जाती है, तो उस दिन के पारेषण प्रभार खुली पहुँच ग्राहकों द्वारा उपलब्ध की गई पारेषण क्षमता के अनुसार अनुपातन देय होंगे ।

स्पष्टीकरण.— इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रचालन अवरोध" में पारेषण प्रणाली में पर्याप्त उपलब्धता, जहां पर पारेषित विद्युत का सही मापन तथा हिसाब लगाया जा सकता हो वहां पर समुचित मीटरिंग तथा लेखा प्रणाली और अन्य बातें, जिन से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के कारोबार पर प्रभाव पड़ सकता है, भी आएंगी ।

15. **पारेषण में खुली पहुँच के लिए प्रभार.**— (1) अधिनियम की धारा 61, 62, 86 और अन्य उपबन्धों की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा आयोग, समय–समय पर, टैरिफ के रूप में अवधारित करे, या अन्यथा विनिश्चिय करे, या अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत करे, खुली पहुँच ग्राहकों को पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार, अनिर्धारित अंतः विनिमय प्रभार, ऊर्जा अभिक्रियाशील प्रभार अधिभार और पारेषण प्रणाली के अवैध उपयोग के लिए शास्ति प्रभार, देने होंगे ।

(2) आयोग, पारेषण प्रणाली में खुली पहुँच के लिए प्रभार अवधारण करते समय, प्रणाली में क्षति के समायोजन की व्यवस्था भी कर सकता है ।

(3) **प्रचालन प्रभार.**— (क) प्रत्येक संव्यवहार में लघुकालिक ग्राहक द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रति दिन अथवा दिन के भाग के लिए एक हजार रुपये की दर से संग्रथितः प्रचालन प्रभार देय होंगे ।

स्पष्टीकरण.— "प्रचालन प्रभार" में निर्धारण और प्रणाली प्रचालन फीस, निर्धारण में तथ्यपूर्ण आधार पर संशोधन के लिए फीस और उद्ग्रहण तथा संवितरक प्रभार भी सम्मिलित हैं ।

(ख) नोडल एजेन्सी द्वारा इस विनियम के अधीन उद्ग्रहित प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट फीस तथा प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।

स्पष्टीकरण.– (ग) यूहीं इन विनियमों के अधीन लघुकालिक खुली पहुँच का लाभ अनुज्ञात किया जाता है प्रचालन प्रभार उत्पादन कम्पनी द्वारा देय होंगे।

(4) **अनिर्धारित अंतः विनिमय प्रभार (यु.आई).**—

(क) आहरण बिन्दुओं पर निर्धारित और वास्तविक और अन्तः क्षेपण बिन्दुओं पर निर्धारित और वास्तविक में अन्तर ग्रिड से पूरा किया जाएगा तथा अंतः राज्य संव्यवहारों में लागू अनिर्धारित अंतःविनिमय (यु.आई) मूल्य निर्धारण क्रियाविधि द्वारा नियन्त्रित होगा ।

(ख) खुली पहुँच ग्राहकों को अनिर्धारित अंतःविनिमय (यु.आई) प्रभारों के लिए पृथक देयक दिया जाएगा ।

(5) **ऊर्जा अभिक्रियाशीला प्रभार.**— (क) खुली पहुँच ग्राहकों के लिए ऊर्जा अभिक्रियाशीला प्रभार की राशि का भुगतान तथा प्राप्तियॉं, आयोग द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अंतःराज्य पारेषण संव्यवहारों को लागू योजना के अनुसार परिकलित होंगी ।

(ख) खुली पहुंच ग्राहकों द्वारा अभिक्रियाशीला ऊर्जा का आहरण तथा अन्तःक्षेपण राज्य में लागू विनियमों के अनुसार नियन्त्रित होगा ।

(6) **पारेषण प्रभार.**— पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के अंतः राज्य पारेषण के उपयोग के लिए प्रभार निम्न प्रकार से नियमित किये जाएंगे, नामत :–

(i) पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देय वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित टैरिफ अवधारण के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अवधारित होंगे, और लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों से समायोज्य राजस्व की कटौती करने के पश्चात् इन प्रभारों में दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक सहभागी होंगे ;

(ii) जहां पारेषण प्रणाली किसी एक खुली पहुँच ग्राहक के अनन्य उपयोग के लिए स्थापित की गई हो, वहां उक्त अनावृत प्रणाली के सम्पूर्ण पारेषण प्रभार का, उस अवधि तक जब कि फालतू क्षमता का, यदि कोई हो, किसी अन्य व्यक्ति या उदेश्य के लिए उपयोग किया जाता है, उक्त खुली पहुँच ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा ;

(iii) यदि खण्ड (ii) में उल्लिखित फालतू क्षमता किसी अन्य खुली पहुँच ग्राहक/कों के लिए आवंटित/आरक्षित कर दी जाती है, तो प्रत्येक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार, उसे आवंटित/आरक्षित क्षमता के अनुपातन देय होंगे ;

(iv) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देय प्रभारों का अवधारण निम्नलिखित विचारधारा से मार्गदर्शित होगा :–

$$ST_RATE=0.25x[TSC/Av_CAP]/365$$

यहाँ :–

"ST_RATE" से लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक के लिए रुपयों में प्रति मेगावॉट (MW) /मेगावॉट एम्पीयर (MVA) प्रतिदिन की दर अभिप्रेत है ,

"TSC" से आयोग द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण प्रणाली के लिये

अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार अथवा वार्षिक राजस्व अपेक्षा अभिप्रेत है ;

"Av_CAP" से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतः राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा निर्वाहित मेगावॉट (MW)/मेगावॉट एम्पीयर (MVA) में औसत क्षमता अभिप्रेत है और यह पारेषण प्रणाली से संयोजित उत्पादन क्षमता तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा प्रतिपादित अन्य संव्यवहार की संवेदित क्षमता का जोड़ होगी ।

(v) असंकुलित पारेषण गलियारे की दशा में, लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार निम्नानुसार उद्ग्रहित होंगे, नामतः :–

(क) एक गुट में एक दिन में छः घंटे तक = ST-RATE का एक चौथाई

(ख) एक गुट में एक दिन में छः घंटे से अधिक और 12 घंटे तक = ST-RATE का आधा

(ग) एक गुट में एक दिन में 12 घंटे से अधिक और 24 घंटों तक = ST-RATE के बराबर

(vi) पारेषण प्रणाली के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का अवधारण न होना, लघुकालिक खुली पहुँच उपलब्ध करने में देरी के लिए कारण नहीं माना जाएगा तथा जहां अधिनियम के अधीन किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रभार अवधारित नहीं किए गए हों, वहां लघुकालिक ग्राहक द्वारा देय प्रभार अवधारित करने के लिए उस क्षेत्र, जिस में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली है, की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की स्वामित्व वाली प्रणाली का ST-RATE लागू होगा ।

(vii) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (iv) के अनुसार परिकलित ST-RATE, जो एक वर्ष की अवधि तक नियत रहेगा, घोषित करेगा :

परन्तु यह कि यदि पारेषण क्षमता का आरक्षण विनियम 10 में विनिर्दिष्ट रीति से बोली के परिणामस्वरूप किया गया हो, तो ST_RATE बोली के लिए न्यूनतम मूल्य समझा जाएगा ।

(viii) यदि पारेषण प्रणाली राज्य पारेषण उपयोगिता की हो, तो अंतः राज्य प्रणाली के उपयोग के लिए लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों से वसूल किए गए प्रभार का 25 प्रतिशत राज्य पारेषण उपयोगिता अपने पास रखेगी और अतिशेष 75 प्रतिशत को दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों द्वारा देय पारेषण प्रभारों को घटाने में समयोजित किया जाएगा ।

16. **अधिभार**.— आबद्ध उत्पादन ग्राहक के सिवाय, पारेषण में खुली पहुँच का लाभ ले रहा ग्राहक पारेषण प्रभार के साथ–साथ आयोग द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिभार का भी भुगतान करेगा ।

(2) खुली पहुँच ग्राहक जिस वर्ग का है उसी वर्ग के उपभोक्ताओं की करेंट लेवल प्रति–सहायकी में हानि की क्षतिपूर्ति अधिभार की राशि से की जाएगी और प्रदाय क्षेत्र के तत्तसम्बन्धी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसका भुगतान किया जाएगा ।

(3) अधिभार तथा प्रति–सहायकी को उत्तरोत्तर घटाया और ऐसी रीति से समाप्त किया जाएगा जैसे आयोग विनियमों में विर्दिष्ट करे ।

17. **आवेदन पर कार्रवाई के लिए समय–सीमा**.— अग्रिम आरक्षण हेतु आवेदन के लिए विनियम 6 में विहित समय सीमा के साथ–साथ, यथासाध्य, सम्बन्धित नोडल एजेन्सी खुली पहुँच प्रदान करने के लिए आवेदनो पर विचार हेतु निम्न समय–सीमा का अनुसरण करेगी :–

क्रम सं0	सेवा / कार्यकलाप का स्वरूप	कार्रवाई के लिए अधिकतम समय सीमा
1.	लघुकालिक सेवा (उस अवधि में जिसमें पहले आए सो पहले पाए के आधार पर विचार होना है)	
	– एक सप्ताह तक	दो दिन
	– एक सप्ताह से अधिक	तीन दिन
2.	दीर्घकालिक सेवा	
	– बिना प्रणाली सुदृढ़ीकरण के खुली पहुँच की सम्भाव्यता के बारे में सूचना के लिए	तीस दिन
	– प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिये अध्ययन की अनुमानित लागत तथा समापन समय के बारे में सूचना के लिए	90 दिन

18. **अग्रिम दैनिक संव्यवहार.**— (1) अग्रिम दैनिक संव्यवहार की दशा में पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार तथा आवेदन फीस के अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जाएगा और इनका भुगतान आवेदन करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर किया जा सकता है ।

(2) खुली पहुँच तथा निर्धारण के लिए संयुक्त अनुरोध राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सायं 3.00 बजे तक भेजना होगा । यदि बिना संकूलन के अनुरोध स्वीकार किया जा सकता हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अनुरोध को मानने के लिए पग उठायेगा ।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी पहले निर्धारण के पश्चात् सायं 5 बजे तक ज्ञात अधिशेष के उपयोग के लिए संयुक्त अनुरोध हर हालत में राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सायं 10.00 बजे तक या अधिमानतः इस से पहले, भेजना होगा। यदि बिना संकूलन के अनुरोध स्वीकार किया जा सकता हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अनुरोध को अपने जारी किये जाने वाले संशोधित प्रेषण निर्धारण में समाविष्ट करने का प्रयास करेगा ।

19. **दैनिक संव्यवहार.**— (1) उसी दिन के दैनिक संव्यवहार की दशा में, पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार तथा आवेदन फीस के अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जाएगा और इनका भुगतान आवेदन करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर किया जा सकता है ।

(2) आपातकालीन स्थिति में, हिताधिकारी/उपयोगिता के क्रेता उसी दिन की लघुकालिक आपात माँग पूर्ण करने के लिए स्त्रोत का पता लगा सकते हैं और खुली पहुँच की माँग को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अग्रेषित कर सकते हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र उक्त आपात माँग को, यथाशीघ्र तथा यथासाध्य, स्वीकार करने का प्रयास करेगा ।

अध्याय–III–वितरण में खुली पहुँच

20. **वितरण में खुली पहुँच हेतु पात्रता.**— अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनियाँ (जिनमें वे व्यक्ति भी आते हैं जिन्होने आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हुए हैं) तथा अन्य ग्राहक वितरण प्रणाली के प्रचालन अवरोध की अनुपस्थिति में और आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित चक्रण प्रभार के संदाय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली तक खुली पहुँच के लिए विनियम 26 में यथा उपबन्धित खुली पहुँच के लिए चरणों के अनुसार पात्र होंगे :

परन्तु यह कि उस दशा में जब खुली पहुँच किसी खुली पहुँच ग्राहक के, जिसमें राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को विद्युत वितरण करने हेतु यथा अपेक्षित अभिवहन या चक्रण भी है, उपयोग के लिए हो, तो वितरण प्रणाली तक खुली पहुँच, अधिनियम की धारा 42 में यथा उपबन्धित के अनुसार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार के संदाय के अध्यधीन होगी ।

स्पष्टीकरण.— इस विनियम के अधीन खुली पहुँच के प्रयोजन के लिए, वितरण प्रणाली में प्रचालन अवरोध में, वितरण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता की उपलब्धता, यहां पर चक्रित विद्युत का सही मापन तथा हिसाब लगाया जा सकता हो, वहां समुचित मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखा प्रणाली और अन्य ऐसी बातें, जिनका प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने वाले के अनुज्ञप्तिधारी के वितरण कारोवार पर प्रभाव पड़ सकता है, भी है, आयेंगी।

21. **वितरण में विद्यमान खुली पहुँच ग्राहकों हेतु विशेष उपबन्ध.**— (1) चालू करार या व्यवस्था के अधीन राज्य में वितरण प्रणाली की खुली पहुँच का लाभ ले रहे विद्यमान ग्राहकों तथा उत्पादन कम्पनियों को, चक्रण प्रभारों तथा लागू अधिभारों, जो आयोग द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किये जाएं, के संदाय पर, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो उन्हें चालू करार तथा व्यवस्था की कालावधि में लागू हों, खुली पहुँच का लाभ उठाने का अधिकार जारी रहेगा:

परन्तु यह कि खुली पहुँच का लाभ उठाने वाले विद्यमान ग्राहक तथा उत्पादन कम्पनियाँ नोडल एजेन्सी को, इन विनियमों के प्रारम्भ से 45 दिन के भीत्तर, उपयोग में लाई गई क्षमता, अंतःक्षेपण बिन्दु, आहरण बिन्दु, खुली पहुँच की कालावधि, उच्चतम भार, औसत भार का विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी नोडल एजेन्सी अपेक्षा करती है, देगी ।

(2) नोडल एजेन्सी विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों अथवा उत्पादन कम्पनियों को लागू चालू करारों के अधीन वितरण क्षमता की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी :

परन्तु यह कि वे सभी बातें, जिनका चालू करारों में उल्लेख नहीं है, इन विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

22. **वितरण में खुली पहुँच के ग्राहकों का वर्गीकरण.**—— (1) अंतःराज्यिक वितरण प्रणाली में उपयोग की अवधि पर आधारित खुली पहुँच ग्राहक निम्न दो वर्गों में विभाजित होंगे, नामतः :–

(क) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक , और

(ख) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक।

(2) पांच वर्ष या उस से अधिक अवधि हेतु खुली पहुँच का लाभ ले रहा या लाभ लेने का इच्छुक व्यक्ति दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक होगा :

परन्तु यह कि इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन तथा उस द्वारा प्रचालित वितरण प्रणाली के विद्यमान हिताधिकारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उस द्वारा प्रचालित वितरण प्रणाली के लिए "पाँच वर्ष की कालावधि" के लिए दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक समझे जाएंगे ।

(3) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों से भिन्न वितरण ग्राहक लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक होंगे।

23. **वितरण में खुली पहुँच के मानदण्ड.**—— (1) वितरण में दीर्घकालिक खुली पहुँच की अनुमति वितरण/प्रदाय कोड के अनुसार दी जाएगी ।

(2) यदि मांगो को .——

(क) रूपांकन में अंतर्निहित गुंजाइश,

(ख) विद्युत प्रवाह में घटत–बढ़त से उपलब्ध गुंजाइश,

(ग) भावी भार वृद्धि के प्रबन्धन हेतु बनी–बनाई फालतू वितरण क्षमता के कारण उपलब्ध गुंजाइश,

(घ) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा उपयोग में न लाने के कारण उपलब्ध वितरण क्षमता में गुंजाइश,

के आधार पर स्वीकार किया जा सके, तो वितरण में लघुकालिक खुली पहुँच की अनुमति दी जाएगी ।

24. वितरण में क्षमता में आरक्षण तथा आवंटन के मानदण्ड.— (1) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक के लिए आवटंन में प्राथमिकता, लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक की आरक्षण प्राथमिकता से ऊपर होगी ।

(2) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों में, यदि आयोग, स्वविवेकानुसार, यह निर्णय ले कि ऐसा करना लोकहित में होगा, और आयोग स्वविवेकानुसार सामान्यतः या विशेषतः उक्त निर्णय लेता है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अन्य किसी भी लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी ।

(3) उप–विनियम (1) में कोई भी बात अन्यथा होते हुए, परिचालन अवरोध के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रखा है और जो ऐसे संयंत्र को अनुरक्षित तथा प्रचालित करता है, आबद्ध उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के स्थान तक विद्युत ले जाने के प्रयोजन के लिए खुली पहुँच का अधिकारी होगा ।

(4) प्रवर्ग में (दीर्घकालिक अथवा लघुकालिक) खुली पहुँच ग्राहकों के तथा अनुज्ञप्तिधारी के अपने उपयोग में कोई विभेद नहीं होगा ।

(5) राज्य के भीत्तर संव्यवहार की दशा में, यदि नोडल एजेन्सी की राय में राज्य में वितरण सम्पर्क में संकुलन के कारणवश किसी संव्यवहार को किसी भी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता हो, तो नोडल एजेन्सी लघुकालिक ग्राहक की आरक्षित वितरण क्षमता को घटा या रद्द कर सकती है । यदि नोडल एजेन्सी लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक के लिए इस उप–विनियम के अधीन आरक्षित वितरण क्षमता को घटाने या रद्द करने का निर्णय लेती है, तो वह, यथाशीघ्र, सम्बन्धित लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक को वितरण क्षमता के घटाने या रद्द करने के अपने निर्णय से अवगत करेगी ।

(6) यदि लघुकालिक खुली पहुँच चार मास में से प्रथम मास में प्रारम्भ की जानी है और चौथे मास की समाप्ति के बाद नहीं दी जानी है तो ही लघुकालिक खुली पहुँच के लिए आवेदन पर उस मास को, जिस में आवेदन प्राप्त होता है, प्रथम मास मान कर कार्रवाई की जाएगी ।

(7) उन आवेदनों पर, जो खुली पहुँच प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के मास के भीतर लघुकालिक खुली पहुँच के लिए प्राप्त होते हैं या अगले मास में खुली पहुँच प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के लिए मास की 19 तारीख के पश्चात् प्राप्त होते हैं, पहले आये सो पहले पाये के आधार पर विचार किया जाएगा तथा वितरण क्षमता में उपलब्धता पर ही लघुकालिक खुली पहुँच अनुज्ञात की जाएगी ।

(8) लघुकालिक खुली पहुँच के लिए मास की 19 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर, उन आवेदनों को छोड़कर जिन पर उप–विनियम (7) के अनुसार पहले आये सो पहले पाये के आधार पर कार्रवाई की जानी है, अग्रिम आरक्षण हेतु उस मास की 20 तारीख को विचार किया जाएगा और उन पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :––

(क) लघुकालिक खुली पहुँच के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वितरण गलियारों में संकुलन रोकने के लिए आवेदन विश्लेषित किए जाएंगे ;

(ख) यदि वितरण गलियारों में संकुलन अंतर्वलित न समझती हो, तो लघुकालिक खुली पहुँच मास की 25 तारीख तक अपेक्षित मात्रा तथा अपेक्षित कालावधि के लिए आवेदकों को अनुज्ञात कर दी जाएँगी ;

(ग) यदि नोडल एजेन्सी की राय में लघुकालिक खुली पहुँच के लिए सभी आवेदनों की स्वीकृति से लघुकालिक पहुँच के उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक या अधिक वितरण गलियारों में किसी अवधि के लिए संकुलन उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो वह अपनी राय और उसके आधारों से सभी आवेदकों को तदानुसार मास की 23 तारीख को या उससे पहले सूचित करेगी ;

(घ) खण्ड (ग) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक चाहे तो संकुलन के दौरान अपनी अपेक्षित वितरण क्षमता को घटा सकता है या उस कालावधि में, जब संकुलन पूर्वानुमानित न हो, खुली पहुँच के लाभ का विकल्प कर सकता है और उस स्थिति में मास की 25 तारीख तक तदानुसार नोडल एजेन्सी को सूचित करेगा ।

(9) उस दशा में जब आरक्षित वितरण गलियारा मास की किसी निश्चित कालावधि में तदनन्तर पूर्णतया या भागतया खाली उपलब्ध हो, तो नोडल एजेन्सी इसकी सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र हेतु अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगी ।

(10) उप–विनियम (4) तथा विनियम 29 में उपबन्धित के सिवाय, यदि खुली पहुँच एक बार स्वीकृत कर दी जाती है, तो किसी पश्चात्वर्ती आवेदन प्राप्त होने पर दीर्घकालिक ग्राहक या लघुकालिक ग्राहक का किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा ।

(11) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग की पूर्वानुमति से, लघुकालिक पहुँच ग्राहकों के लिए वितरण क्षमता आरक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें बोली आमन्त्रित करने, अग्रम आरक्षण, पहले आए सो पहले पाए के आधार पर आरक्षण, यदि दो क्षेत्रों में सीधा सम्पर्क संकुलित या बाधित हो, तो दूसरे क्षेत्रों में से वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग तथा अन्य कोई अवशिष्टांश विषयक की विस्तृत प्रक्रिया भी शामिल होगी, अधिकथित करेगा ।

(12) इस विनियम में कोई भी बात अन्यथा होते हुए भी, आयोग, किसी भी समय, राज्य में व्यापर संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए, किसी प्रवर्ग के खुली पहुँच ग्राहक को, इस विनियम में, दी गई प्राथमिकता को पुनर्विलोकित कर सकेगा ।

25. वितरण में खुली पहुँच दीर्घकालिक ग्राहकों की घोषणा.— प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, 30 जून, 2005 के पूर्व उसकी वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले विद्यमान दीर्घकालिक ग्राहकों को या तो अपने वैबसाईट पर या राज्य भार/प्रेषण केन्द्र की वेबसाईट पर घोषित करेगा ।

26. वितरण में चरणबद्ध खुली पहुँच.— (1) खुली पहुँच ग्राहक अथवा किसी व्यक्ति को निम्न चरणों में, प्रचालन अवरोध की अनुपस्थिति में तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखकर, राज्य में वितरण में खुली पहुँच अनुज्ञात की जाएगी ,––

क्रमावस्था	स्वेदित मांग	तारीख जब से खुली पहुँच अनुज्ञात होगी
चरण–I	5 मेगावॉट एम्पीयर और उससे अधिक	10 जून, 2005
चरण–II	2 मेगावॉट एम्पीयर से अधिक और 5 मेगावॉट एम्पीयर से अनाधिक	1 अप्रैल, 2006
चरण–III	1 मेगावॉट एम्पीयर से अधिक और 2 मेगावॉट एम्पीयर से अनाधिक	1 अप्रैल, 2007

(2) चरण– I में खुली पहुँच देने के अनुभव के आधार पर, आयोग, पश्चात्वर्ती चरणों में खुली पहुँच अनुज्ञात करने के लिए, उप–विनियम (1) में दी गई क्रमावस्था में बदलाव ला सकेगा।

27. **वितरण में दीर्घकालिक खुली पहुँच का लाभ लेने की प्रक्रिया.**—(1) दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक अनुसूची–I में विहित प्ररूप पर, नोडल एजेन्सी को आवेदन देगा।

(2) आवेदन में उद्देश्य, प्रणाली में दी जाने वाली आवेदक के लिए निश्चित क्षमता; किसी निश्चित समय पर प्रणाली में पारेषित की जाने वाली इकाइयों (Units) की अधिकतम मात्रा, अंतःक्षेपण बिन्दु, आहरण बिन्दु, खुली पहुँच का लाभ लेने की अवधि, उच्चतम भार, औसत भार और नोडल एजेन्सी द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी ।

(3) नोडल एजेन्सी, समय–समय पर, आयोग के परामर्श से तथा अनुमोदन के उपरान्त, वितरण में खुली पहुँच के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं प्रक्रिया अधिकथित करेगी ।

(4) आवेदन के साथ एक लाख रुपये की आवेदन अप्रतिदेय फीस वितरण में खुली पहुँच के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया में अधिकथित नाम व रीति से संदत की जाएगी।

(5) नोडल एजेन्सी, अन्तर्वलित अन्य एजेंसियों के परामार्श से किए गए प्रणाली अध्ययन के आधार पर उपलब्ध क्षमता का तथा खुली पहुँच अनुज्ञात करने में प्रचालन अवरोध की उपस्थिति या अनुपस्थिति का जायजा लेगी तथा 30 दिनों के भीतर आवेदक को उस पर लिए गए विनिश्चय से कि क्या आवेदक को बिना प्रणाली सुदृढ़ीकरण के दीर्घकालिक खुली पहुँच अनुज्ञात की जा सकती है या नहीं, इस विनियम के उपविनियम (3) में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार संसूचित करेगी :

परन्तु यह कि यदि दीर्घकालिक खुली पहुँच बिना किसी आगामी प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अनुज्ञात की जा सकती हो, तो यह खुली पहुँच करार निष्पादित किए जाने के तुरन्त पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ।

(6) उस स्थिति में जब नोडल एजेन्सी की राय में प्रणाली सुदृढ़ीकरण अथवा अन्य प्रचालन अवरोध के कारण खुली पहुँच अनुज्ञात नहीं की जा सकती है और इसके लिए अधिक अध्ययन

अपेक्षित है, तो नोडल एजेन्सी ऐसा अध्ययन कराने के लिए आवेदक से अभिपुष्टि मांगेगी। आवेदक से अभिपुष्टि प्राप्त होने पर, नोडल एजेन्सी, प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालन अवरोध को दूर करने के लिए ऐसा अध्ययन कि नोडल एजेन्सी प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त के कार्य का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा उसकी अनुमानित लागत, उसकी समापन समय योजना तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित संक्रम पूरा करने के पश्चात् किस संभावित तारीख से खुली पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, कर सकेगी तथा आवेदक से आवेदन प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर अध्ययन के परिणाम सूचित करेगी :

परन्तु यह कि आवेदक, अध्ययन करने से पूर्व, नोडल एजेन्सी के पास अध्ययन की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत जमा करेगा तथा खुली पहुँच दिये जाने से पूर्व आवेदक प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अध्ययन पर नोडल एजेन्सी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय को प्रतिपूर्त करेगा ।

(7) आयोग, नोडल एजेन्सी की सिफ़ारिश पर तथा उप–विनियम (6) के अधीन किए गए अध्ययन की लाभप्रदता के आधार पर अथवा अध्ययन किए जाने में आई लागत को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में स्वीकार्य खर्चे के रूप में सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह कि उस स्थिति में जब आयोग लागत को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में स्वीकार्य खर्चे के रूप में सम्मिलित करने के निर्देश देता है, तो उप–विनियम (6) के अधीन जमा की गई राशि का आवेदक को, 15 दिन के भीत्तर, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर, जो वार्षिक राजस्व अपेक्षाएँ अवधारित करते समय स्वीकार्य (Pass through) के रूप में अनुज्ञात किया जाए । खुली पहुँच विकसित करने हेतु आयोग, स्वविवेकानुसार अथवा नोडल एजेन्सी की सिफ़ारिश पर ऐसे अन्य अध्ययन, जैसे वह आवश्यक समझे, कर सकता है ।

(9) उन मामलों में जिन में प्रणाली सुदृढ़ीकरण अंतर्वलित है, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को आयोग की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाली अपनी वार्षिक विनिधान योजना में उक्त संक्रमों की अनुमानित लागत सम्मिलित करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु यह कि आवेदक संक्रम आरम्भ करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारियों के पास संक्रम की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत जमा करेगा तथा खुली पहुँच देने से पहले आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली सुदृढ़ीकरण अध्ययन पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम किसी व्यष्टिक ग्राहक के लाभ के लिए है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उस द्वारा किया गया युक्तियुक्त व्यय वसूल करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह और कि यहाँ प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम अनुज्ञप्तिधारी की विनिधान योजना में सम्मिलित किया गया हो, वहाँ प्रणाली सुदृढ़ीकरण संक्रम पर किया गया खर्च स्वीकार्य खर्चे (Pass through) के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(10) इन विनियमों के विनियम 29 के अध्यधीन रहते हुए, दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक को आवंटित वितरण क्षमता का त्यजन या किसी अन्य दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहक को अन्तरण किया जा सकेगा ।

28. **वितरण में लघुकालिक खुली पहुँच के लिए प्रक्रिया.**— (1) लघुकालिक खुली पहुँच के लाभ लेने के लिए ग्राहक, विनियम 27 के उप–विनियम (1), (2) तथा (3) में यथा उपबन्धित के अनुसार आवेदन देगा ।

(2) आवेदन के साथ पाँच हजार रुपये की आवेदन अप्रतिदेय फीस वितरण में खुली पहुँच मार्गदर्शन सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया में अधिकथित नाम व रीति से देय होगी :

परन्तु यह कि उसी दिन या अगले दिन को खुली पहुँच के लिए आवेदन की दशा में आवेदन फीस आवेदन की तारीख से अगले तीन कार्य दिवसों के भीत्तर संदत की जा सकेगी ।

29. **बहिर्गमन की स्वतन्त्रता.**— (1) दीर्घकालिक ग्राहक, आयोग की पूर्वानुमति के बिना, खुली पहुँच वितरण करार में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों एवं दायित्वों का त्यजन या अन्तरण नहीं करेगा ।

(2) दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा अपने अधिकारों एवं दायित्वों का त्यजन या अन्तरण आयोग

द्वारा यथावधारित प्रतिकर के भुगतान पर ही होगा ।

(3) आरक्षित वितरण क्षमता का लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा किसी अन्य ग्राहक को अन्तरण नहीं किया जाएगा ।

30. क्षमता अवधारण.— (1) वितरण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता, जिसमें अनुज्ञात की गई खुली पहुँच को प्रभावित करने वाले प्रचालन अवरोधों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी है, नोडल एजेन्सी द्वारा, अन्य अन्तर्वलित एजेन्सियों से परामर्श से तथा परामर्श करने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सुनने तथा खुली पहुँच माँगने वाले व्यक्ति के निवेदन पर विचार करने के उपरान्त, अवधारित की जाएगी ।

(2) उप–विनियम (1) के अधीन क्षमता अवधारण पर, यदि वितरण प्रणाली में प्रचालन अवरोधों पर विवाद उठाता है, तो नोडल एजेन्सी उसे आयोग को उसके विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट करेगी ।

(3) (क) आयोग उप–विनियम (2) के अधीन विनिश्चय करते हुए अथवा अन्यथा, समय–समय पर, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, उन शर्तों को, जिन्हें खुली पहुँच का लाभ मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है, अधिकथित करेगा तथा उक्त शर्तों के सम्यक् रूप में पालन करने पर ही की खुली पहुँच अनुज्ञात की जाएगी ।

(ख) पूरी की जाने वाली शर्तों में, उप–केन्द्रों, संभरक (फीडर) लाइनों से अनावृत विद्युत लाइनों अथवा संक्रमों तथा ऐसे अन्य संक्रमों का, जिन्हें प्रचालन अवरोध के बिना खुली पहुँच अनुज्ञात करने के लिए आयोग आवश्यक समझता है, सन्निर्माण, प्रचालन या अनुरक्षण भी सम्मिलित किया जा सकेगा ।

31. लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा आरक्षित वितरण क्षमता का अनुपयोग.— (1) अनुज्ञप्तिधारी तथा खुली पहुँच ग्राहक के मध्य निष्पादित करार में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि लघुकालिक ग्राहक आरक्षित वितरण क्षमता के पूरे अथवा उसके महत्वपूर्ण भाग का उपयोग करने में विफल रहता है, तो वह नोडल एजेन्सी को, आरक्षित वितरण क्षमता को उस द्वारा उपयोग में लाने में विफल रहने के कारणों सहित, सूचित करेगा और आरक्षित वितरण क्षमता का समर्पण कर सकेगा ।

(2) इन विनियमों में कोई बात प्रतिकूल होते हुए भी, जब लघुकालिक ग्राहक अपनी आरक्षित वितरण क्षमता का बार–बार कम उपयोग करता है, तब नोडल एजेन्सी, स्वविवेकानुसार, लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक की आरक्षित वितरण क्षमता को घटा या रद्द कर सकता है :

परन्तु इस उप–विनियम के अधीन लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक, जिसकी आरक्षित वितरण क्षमता को घटाया या रद्द करना हो, को पूर्व सूचना के बिना, आरक्षित वितरण क्षमता को घटाया या रद्द नहीं किया जाएगा ।

(3) लघुकालिक ग्राहक, जिसने उप–विनियम (1) के अधीन अपनी आरक्षित वितरण क्षमता समर्पित की हो या उप–विनियम (2) के अधीन जिसकी आरक्षित वितरण क्षमता घटाई या रद्द की गई हो, चक्रण प्रभार तथा मूलतः आरक्षित वितरण क्षमता के आधार पर सात दिनों के अथवा उस अवधि के, जिसको आरक्षण को, यथास्थिति, समर्पित, घटाया या रद्द किया गया है, जो भी इनमें से कम अवधि हो, के प्रचालन प्रभार संदत करेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप–विनियम के प्रयोजनों हेतु, पद "प्रचालन प्रभार" के वही अर्थ होंगे जो इसके लिए यहां विनियम 33 के उप–विनियम (3) में दिए गए हैं ।

(4) लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक द्वारा उप–विनियम (1) के अधीन त्यजन के फलस्वरूप अथवा नोडल एजेन्सी द्वारा उप–विनियम (2) के अधीन घटाने या रद्द करने के फलस्वरूप उपलब्ध वितरण क्षमता इन विनियमों के अनुसार दूसरे अन्य लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहक को आरक्षित की जा सकेगी ।

32. प्राथमिकता में कटौती.— (1) यदि प्रचालन अवरोध या अपरिहार्य घटनाओं या अन्यथा के कारणवश, वितरण ग्राहकों को दी जा रही वितरण सेवाओं में कटौती करना आवश्यक हो जाता है, तो पहले लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों की सवाओं में और उसके पश्चात् दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों की सेवाओं में तथा तत्पश्चात् आबद्ध उत्पादकों की सेवाओं में काटौती की जाएगी :

परन्तु यह कि एक ही वर्ग में सभी प्रयोक्ताओं के लिए वितरण सेवा में प्राथमिकता में कटौती एक समान होगी और दीर्घकालिक खुली पहुँच ग्राहकों के मामले में उनको आबंटित वितरण क्षमता तथा लघुकालिक खुली पहुँच ग्राहकों के मामले में उन्हें आरक्षित वितरण क्षमता में अनुपातन कटौती की जाएगी ।

(2) यदि नोडल एजेन्सी द्वारा किसी विशिष्ट दिन को प्रचालन अवरोध के कारणवश आरक्षित वितरण क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक कटौती की जाती है, तो उस दिन के चक्रण प्रभार खुली पहुँच ग्राहकों द्वारा उपलब्ध की गई वितरण क्षमता के अनुसार अनुपातन देय होंगे ।

स्पष्टीकरण.— इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रचालन अवरोध" में वितरण प्रणाली में पर्याप्त उपलब्धता, जहां पर पारेषित विद्युत का सही मापन तथा हिसाब लगाया जा सकता हो वहां पर समुचित मीटिरिंग तथा लेखा प्रणाली और अन्य बातें, जिनसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के कारोबार पर प्रभाव पड़ सकता है, भी आएंगी ।

33. **वितरण में खुली पहुँच के लिए प्रभार.**— (1) अधिनियम की धारा 61, 62, 86 और अन्य उपबन्धों की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा आयोग, समय–समय पर, टैरिफ के रूप में अवधारित करे या अन्यथा विनिश्चिय करे, या अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत करे, खुली पहुँच ग्राहकों को चक्रण प्रभार, प्रचालन प्रभार, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा प्रतिकारात्मिक प्रभार, अन्य प्रभार जिसमें सेवा प्रभार, अनिर्धारित अंतः विनिमय प्रभार और वितरण प्रणाली के अवैध उपयोग के लिए शास्ति प्रभार सम्मिलित हैं, देने होंगे ।

(2) आयोग, वितरण प्रणाली में खुली पहुँच के लिए प्रभार अवधारण करते समय, प्रणाली में क्षति के समायोजन की व्यवस्था भी कर सकता है ।

(3) **प्रचालन प्रभार.**— (क) प्रत्येक संव्यवहार में लघुकालिक ग्राहक द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रति दिन अथवा दिन के भाग के लिए 1000 रुपये की दर से संग्रथितः प्रचालन प्रभार देय होंगे ।

स्पष्टीकरण.—"प्रचालन प्रभार" में निर्धारण और प्रणाली प्रचालन फीस, निर्धारण में तथ्यपूर्ण आधार पर सशोधन के लिए फीस और उद्ग्रहण तथा संवितरक प्रभार भी सम्मिलित हैं।

(ख) इन विनियमों के अधीन यू हीं लघुकालिक खूली पहुँच का लाभ अनुज्ञात किया जाता है, प्रचालन प्रभार उत्पादन कम्पनी द्वारा देय होंगे ।

(4) **अनिर्धारित अंतः विनिमय प्रभार.**— (क) आहरण बिन्दुओं पर निर्धारित और वास्तविक और अन्तक्षेपण बिन्दुओं पर निर्धारित और वास्तविक में अन्तर ग्रिड से पूरा किया जाएगा तथा अंतः राज्य संव्यवहारों में लागू अनिर्धारित अंतःविलय मूल्य निर्धारण क्रिया विधि द्वारा नियन्त्रित होगा ।

(ख) खुली पहुँच ग्राहकों को अनिर्धारित अंतःविनिमय प्रभारों के लिए पृथक देयक दिया जाएगा ।

34. चक्रण प्रभार.— आयोग द्वारा बनाये गए टैरिफ अवधारण के लिए विनियमों और समय–समय पर जारी टैरिफ आदेशों के अनुसार, वितरण में खुली पहुँच हेतु प्रभार आयोग द्वारा अवधारित किए जाएँगे ।

35. अधिभार.— (1) आबद्ध उत्पादन ग्राहक के सिवाय, वितरण में खुली पहुँच का लाभ ले रहा कोई भी खुली पहुँच ग्राहक चक्रण प्रभारों के साथ–साथ, आयोग द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिभारों का भी भुगतान करेगा ।

(2) खुली पहुँच ग्राहक जिस वर्ग का है उसी वर्ग के उपभोक्ताओं की करंट लेबल प्रति–सहायकी में हानि की क्षतिपूर्ति अधिभार की राशि से की जाएगी और प्रदाय क्षेत्र के तत्त्सम्बन्धी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसका भुगतान किया जाएगा ।

(3) अधिभार तथा प्रति–सहायकी को उत्तरोत्तर घटाया और ऐसी रीति से समाप्त किया जाएगा जैसे आयोग विनियमों में विनिर्दिष्ट करे ।

36. अतिरिक्त अधिभार.— (1) खुली पहुँच ग्राहक अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) में यथा उपबन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रदाय करने की बाध्यता से उदभूत नियत लागत को पूरा करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त अधिभार का भी भुगतान करेगा और अतिरिक्त अधिभार ऐसा होगा जैसा आयोग विनियमों में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय करने की बाध्यताएँ पूरा करने के लिए उस द्वारा उपगत नियत लागत का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

(3) आयोग, विनियमों के अधीन अतिरिक्त अधिभार अवधारण करते हुए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए नियत लागत के ब्यौरे की संविक्षा करेगा और साधारण जनता तथा प्रभावित पक्षों से आपत्तियाँ आमन्त्रित करेगा और उन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा ।

37. **वितरण अनुज्ञप्तिधारी की खुली पहुँच ग्राहक के प्रति बाध्यता.**— (1) इस बात के होते हुए भी कि उपभोक्ता वितरण में खुली पहुँच का लाभ ले रहा है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ता को ऊर्जा का अविभेदकारी प्रवाह अनुज्ञात करेगा।

(2) वितरण में खुली पहुँच ग्राहक की खुली पहुँच का लाभ लेने की कालावधि के अवसान पर, अथवा उसकी पूर्व समाप्ति पर, प्रदाय क्षेत्र का वितरण अनुज्ञप्तिधारी उक्त खुली पहुँच ग्राहक को, आयोग द्वारा यथा अवधारित टैरिफ पर और विद्युत प्रदाय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपचारिकताओं को पूरा करने पर, विद्युत प्रदाय करना आरम्भ करेगा ।

अध्याय–IV–प्रकीर्ण

38. **वाणिज्यिक शर्तें.**— (1) लघुकालिक ग्राहक की दशा में —

(क) पारेषण प्रभार, चक्रण प्रभार तथा प्रचालन प्रभारों का संदाय राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मासिक आधार पर किया जाएगा ;

(ख) एक मास अथवा खुली पहुँच की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रम संदाय खुली पहुँच की स्वीकृति की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ;

(ग) पश्चात्वर्ती संदाय अगले मास के आरम्भ होने से कम से कम एक दिन पहले किया जाएगा ;

(घ) संदाय या तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के स्थान पर देय चैक/मांगदेय ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किया जाएगा ;

(ङ) यदि स्वीकृति की गई खुली पहुँच अवधि एक मास से अधिक हो, तो लघुकालिक ग्राहक खुली पहुँच के आरम्भ होने से 7 दिनों के भीतर क्षतिपूर

अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय–पत्र (क्रेडिट–पत्र) प्रस्तुत करेगा ;

(च) यदि खण्ड (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि में संदाय नहीं किया जाता है, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, स्वविवेकानुसार, प्रत्यय–पत्र से प्रतिपूर्ति कराने अथवा आरक्षित पारेषण क्षमता को रद्द करने का अधिकार होगा ।

(2) दीर्घकालिक ग्राहकों की दशा में वाणिज्यिक शर्तें वही होंगी जो विद्यमान हिताधिकारियों को लागू हों ।

39. **विशेष ऊर्जा मीटर.**— खुली पहुँच पारेषण ग्राहकों के खर्चे पर राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा विशेष ऊर्जा मीटर लगाए जाएंगे ।

(2) लगाए गए विशेष ऊर्जा मीटर राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्रियाशीला ऊर्जा की (15 मिनट) समय अवकालित मापन और अभिक्रियाशीला ऊर्जा का वोल्टा अवकालित मापन की क्षमता वाले होंगे ।

(3) विशेष ऊर्जा मीटर हर समय चालू हालत में रखे जाएँगे ।

(4) पारेषण ग्राहक के लिए लगाए गए विशेष ऊर्जा मीटर का राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा ।

40. **ऊर्जा क्षति.**— खुली पहुँच ग्राहक, प्रेषण तथा वितरण प्रणाली में, राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा यथा आकलित, औसत ऊर्जा क्षति धारित करेगा । पारेषण तथा वितरण में ऊर्जा क्षति की क्षतिपूर्ति अंतःक्षेपण बिन्दु(ओं) पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण द्वारा की जाएगी । पिछले 52 सप्ताह की औसत ऊर्जा क्षति से सम्बन्धित जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वैबसाईट पर प्रविष्ट की जाएगी ।

41. **प्रभारों का उदग्रहण तथा संवितरण.**— (1) दीर्घकालिक ग्राहकों के मामले में पारेषण तथा चक्रण प्रभार सीधे तौर पर अपने–अपने पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय होंगे ।

(2) लघुकालिक ग्राहकों द्वारा देय प्रचालन प्रभार, पारेषण प्रभार तथा चक्रण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उदग्रहित और संवितरित किए जाएंगे ।

(3) अनिर्धारित अंतः विनिमय प्रभार, क्रियाशीला ऊर्जा प्रभार तथा प्रतिकारात्मिक प्रभार का उदग्रहण एवं संवितरण आयोग द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा कार्यपद्धति से किया जाएगा ।

42. सूचना प्रणाली.— (1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र "खुली पहुंच जानकारी" शीर्षक के अन्तर्गत, अपनी वेबसाइट पर एक पृथक वेब पेज पर, निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करेगा :—

(i) समर्थन में व्यौरेवार गणना सहित, लघुकालिक ग्राहकों के लिए प्रति मेगावाट/मेगावॉल्ट एम्पीयर (MW/MVA) प्रति दिन की रुपयों में निम्नतम दर (ST-RATE) ;

(ii) अधोलिखित जानकारी सहित समय के लघुकालिक ग्राहकों के सम्बन्ध में अवस्थिति विवरण :—

(क) खुली पहुँच ग्राहक का नाम व पता ;
(ख) स्वीकृत खुली पहुँच क्षमता ;
(ग) खुली पहुँच की स्वीकृत अवधि (आरम्भिक तारीख तथा समाप्ति तारीख);
(घ) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
(ङ) आहरण बिन्दु ;
(च) अन्तरित उच्चतम भार ;
(छ) अन्तरित औसत भार ;
(ज) अन्तरित की जाने वाली अधिकतम युनिट संख्या ;
(झ) उपयोग की जा रही पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली ;
(ञ) उपयोग की जा रही खुली पहुंच क्षमता ।

टिप्पणी :— स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन पर अवस्थिति विवरण में दरूस्ती की जाएगी ।

(iii) अधोलिखित जानकारी सहित पूर्व लघुकालिक ग्राहकों के बारे में मासिक तथा वार्षिक विवरण :—

(क) खुली पहुँच ग्राहक का नाम व पता ;
(ख) स्वीकृत खुली पहुँच क्षमता ;
(ग) खुली पहुँच की स्वीकृत अवधि (आरम्भिक तारीख तथा समाप्ति तारीख);
(घ) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
(ङ) आहरण बिन्दु ;
(च) अन्तरित उच्चतम् भार ;
(छ) अन्तरित औसत भार ;
(ज) अन्तरित की जाने वाली अधिकतम युनिट संख्या ;
(झ) उपयोग की जा रही पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली ;
(ञ) उपयोग की जा रही खुली पहुँच क्षमता ;

टिप्पणी :— पारेषण में खुली पहुँच की दशा में घंटेवार तथा जहाँ कहीं व्यवहार्य हो पन्द्रह मिनट में सूचना में दरूस्ती की जाएगी ।

(2) पिछले 52 सप्ताह की औसत ऊर्जा क्षति से सम्बन्धित जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वैबसाईट पर प्रविष्ट की जाएगी ।

(3) वैबसाइट आधारित जानकारी के प्रकाशन की व्यवस्था इन विनियमों के प्रारम्भ से 30 दिनों के भीतर आरम्भ की जाएगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उक्त जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध कराएगा ।

43. खुली पहुंच के लिए करार.— (1) खुली पहुँच ग्राहक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादक, व्यापारियों एवं अन्य लोगों के साथ, यथास्थिति, करार करेगा और इन विनियमों में अधिकथित अन्य शर्तों को पूरा करेगा ।

(2) सामान्यतः करार अनुसूची–II में दिये गए प्ररूप में होगा । करार में, अन्य बातों के साथ, करार के समय से पूर्व समाप्ति का सम्भाव्यता और अनुबंधित पक्षों पर उसके प्रभाव के बारे में व्यवस्था की जाएगी ।

(3) करारनामा हस्ताक्षरित होने और उसकी प्रतियाँ नोडल एजेन्सी को दिये जाने के बाद, नोडल एजेन्सी खुली पहुंच ग्राहक को उस तारीख के बारे में, जिस से खुली पहुँच उपलब्ध होगी, सूचित करेगी ।

44. मीटरीकरण और निपटारा.— (1) खुली पहुँच ग्राहक, जैसा कि आयोग द्वारा ग्रिड/वितरण/प्रदाय कोड में ऐसे खुली पहुँच ग्राहक के लिये विनिर्दिष्ट किया गया हो, उपयोग बिन्दु पर, विद्युत वोल्टेज और करेंट पर आधारित प्रदाय की अवधि में व टैरिफ़ प्रवर्ग के लिए, मुख्य मीटर लगाएगा ।

(2) खुली पहुँच ग्राहक को विद्युत देने हेतु अनुबन्ध कर रही उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, ग्राहकों के अनुसार, जिन्हें वह खुली पहुँच के अंतर्गत विद्युत का प्रदाय करेगा, ग्रिड/वितरण/प्रदाय कोड में यथाविनिर्दिष्ट के आधार पर अन्तःसंयोजन बिन्दु पर मुख्य मीटर लगायेगा या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, प्रतिस्थापन/समायोजन के माध्यम से, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा अधिकथित प्रारूप में, विद्युत लेखा में यथार्थिक तथा नियत कालिक रूप से संसूचित करेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उप–विनियम (1) तथा (2) में बताये अनुसार लगाये गये मुख्य मीटरों के समान विशिष्टियों वाले जाँच मीटर (चेक मीटर) लगा सकता है ।

(4) मुख्य और जाँच मीटरों का, यथास्थिति, ग्रिड/वितरण/प्रदाय कोड के उपबन्धो के अनुसार, दूसरे अंतर्वलित पक्ष की उपस्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, नियतकालिक परीक्षण और अंकशोधन किया जायेगा । मुख्य और जाँच मीटर दोनों पक्षों की उपस्थिति में मुहरबंद किये जाएंगे। खराब मीटर, उस समयावधि के भीतर, जैसा ग्रिड/वितरण/प्रदाय कोड में विनिर्दिष्ट हो, बदले जायेंगे ।

(5) नियतकालिक रूप से मुख्य और जाँच मीटर का वाचन निश्चित दिन और समय पर उत्पादन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी और खुली पहुँच ग्राहक अथवा उसके प्रतिनिधि, यदि उपस्थित हो, द्वारा किया जायेगा । उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, 24 घंटों के भीतर, मीटर रीडिंग, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, खुली पहुँच ग्राहक, राज्य पारेषण उपयोगिता तथा उत्पादन कम्पनी/व्यापारी को, तत्काल संसूचित की जायेगी । मुख्य मीटरों के

खराब या बंद होने की स्थिति में, जाँच मीटरों की रीडिंग मान्य होगी :

परन्तु यह कि यदि मुख्य और जाँच मीटर की रीडिंग में अंतर संबंधित परिशुद्धता श्रेणी के लिये लागू प्रतिशत त्रुटि के दोगुने से अधिक हो, तो दोनों मुख्य और जाँच मीटरों का परीक्षण किया जाएगा और खराब मीटर को तुरन्त बदला जायेगा :

परन्तु यह और कि इस विनियम के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी उसे माना जायेगा जो ग्राहक के परिसर से संयोजित वितरण प्रणाली का प्रचालन एवं अनुरक्षण करता है ।

(6) खुली पहुँच ग्राहक या उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मुख्य मीटर उपलब्ध करने हेतु अनुरोध कर सकता है । ऐसे मामलों में खुली पहुँच ग्राहक, अनुज्ञप्तिधारी को या तो प्रतिभूति या लागू मीटर किराया देगा और मुख्य मीटर का अनुरक्षण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा ।

(7) यदि दूरस्थ वाचन आवश्यक हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मुख्य और जाँच मीटर के यथार्थिक दूरस्थ वाचन की व्यवस्था की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.— "मीटर" शब्द में करेंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उनके बीच में लगे तार, मीटर बॉक्स/पैनल आदि शामिल होंगे ।

45. **संचार सुविधा.**— खुली पहुँच ग्राहक जैसा भी नोडल एजेन्सी द्वारा अवधारित किया जाए, निकटस्थ ग्रिड उपकेन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र तक संचार हेतु उपकरण उपलब्ध करेगा या उनकी लागत वहन करेगा ।

46. **विद्युत कोड का पालन.**— खुली पहुँच ग्राहक, ग्रिड/प्रदाय/वितरण कोड का पालन करेगा ।

47. **अनिर्धारित अंतःविनिमय मूल्य निर्धारण.**— खुली पहुँच ग्राहक पर, जब वह खुली पहुँच करार में सहमत निर्धारण आहरण से असंगत विद्युत आहरित करता है, आयोग द्वारा समय-समय पर, विनियमित अनिर्धारित अंतःविनिमय मूल्य निर्धारण क्रियाविधि अथवा

अंतःराज्यिक उपलब्धता पर आधारित टैरिफ़ लागू होगा।

48. शिकायत निवारण क्रियाविधि.— (1) अनुचित व्यवहार, विलम्ब, विभेद, सूचना अभाव, गलत सूचना अथवा किसी अन्य मामले में खुली पहुँच संबंधी सभी वाद और शिकायतें नोडल एजेन्सी से की जायेंगी, जो जाँच पड़ताल कर शिकायत का समाधान करने का 45 दिन के भीतर प्रयास करेगी :

परन्तु यह कि यदि खुली पहुँच ग्राहक नोडल एजेन्सी द्वारा किये गए शिकायत निवारण से सन्तुष्ट नहीं होता है, तो वह आयोग से निवेदन कर सकता है और उस पर उसका निर्णय अन्तिम तथा अबद्धकर होगा ।

(2) आयोग उप–विनियम (1) के अधीन विवाद पर निर्णय देते समय, या अन्यथा, समय–समय पर, विशेष या सामान्य आदेश जारी करके, पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और खुली पहुँच के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रचालन अवरोध के सम्बन्ध में पालन की जाने वाली शर्तों को अधिकथित कर सकेगा और उन शर्तों को पूरा किये जाने पर ही खुली पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी ।

49. सामान्य शर्तें.— (1) इन विनियमों की कोई भी बात आयोग की न्याय के उद्देश्य पूर्ती हेतु आदेश जारी करने की शक्तियों को प्रभावित या सीमित करने वाली नहीं मानी जायेगी।

(2) यदि आयोग को किसी मामले या मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर इसे न्यायसंगत और समीचीन लगती है, तो इन विनियमों की कोई भी बात, आयोग को, इन विनियमों के उपबन्धों में, किसी से विसंवादी प्रक्रिया अंगीकृत करने से वर्जित नहीं करेगी ।

(3) यदि अपरिहार्य घटनाओं के मद्देनज़र आयोग को किसी मामले या मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये इसे न्यायसंगत और समीचीन लगती है, तो इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को, इन विनियमों के उपबन्धों में, किसी से विसंवादी प्रक्रिया अंगीकृत करने से वर्जित नहीं करेगी ।

(4) इन विनियमों की कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले

में, जिसके सम्बन्ध में कोई विनियम नहीं बनाए गए है, कार्यवाही करने या शक्तियों को प्रयोग में लाने से अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से बाधित नहीं करेगी और आयोग ऐसे मामलों में उन शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन, जैसा वह न्यायसंगत और समीचीन समझे, करेगा ।

50. **कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.**— यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी करके पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/धारियों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादकों, नोडल एजेन्सी, राज्य पारेषण उपयोगिता और खुली पहुँच ग्राहक को यथोचित कार्रवाई, जैसा आयोग को, कठिनाइयाँ दूर करने हेतु आवश्यक व समीचीन लगे, करने के लिये निर्दिष्ट कर सकता है ।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
सचिव
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग।

अनुसूची–I

[विनियम 8 (1) तथा 27 (1)देखें]

खुली पहुंच की मंजूरी देने हेतु आवेदन–पत्र

(खुली पहुंच ग्राहक द्वारा प्रस्तुत करने हेतु)

1.	खुली पहुंच ग्राहक का नाम	:		
2.	अपेक्षित खुली पहुंच का स्वरूप (समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाइये)	:	दीर्घ कालिक लघु कालिक	☐ ☐
3.	क्या वितरण नेटवर्क का उपयोग संव्यवहार में होगा	:	हां नहीं	☐ ☐

4. पत्र व्यवहार का पता :

5. सम्पर्क पता

मुख्य सम्पर्क व्यक्ति :

(क) नाम

(ख) पदनाम

(ग) दूरभाष क्रमांक

(घ) फैक्स

(ङ) ई–मेल

वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति :

(क) नाम

(ख) पदनाम

(ग) दूरभाष क्रमांक

(घ) फैक्स

(ङ) ई–मेल

6. विद्युत अंतरण आवश्यकता का विवरण

(क) पारेषित की जाने वाली विद्युत : की मात्रा (मेगावाट में) ।

(ख) अंतरण किया जाने वाला : उच्चतम भार।

(ग) अंतरण किया जाने वाला : औसत भार।

(घ) अंतःक्षेपक उपयोगिता(ओं)

- अंतः क्षेपण बिंदु :
- इसकी मात्रा :
- अति उच्च वोल्टा (EHV) उपकेन्द्र : का वोल्टेज स्तर।

(ङ) आहरणकर्ता (ओं) का नाम

- अंतःक्षेपण आहरण बिन्दु :
- इसकी मात्रा :
- अति उच्च वोल्टा (EHV) केन्द्र का : वोल्टेज स्तर।

टिप्पणी :—विद्युत की अंतः क्षेपित और आहरित मात्रा में असमानता होने पर अतिशेष विद्युत अन्य हिताधिकारियों का विवरण दिया जाए ।

7. खुली पहुंच प्रारंभ होने की प्रत्याषित तारीख। :
8. खुली पहुंच उपयोग की अवधि :
9. उत्पादन केंद्र के मामले में :
   (क) प्रवर्तक का नाम :
   (ख) उत्पादन क्षमता :
   (ग) उत्पादन केंद्र की अवस्थिति :
   (घ) इकाइयों की संख्या और प्रत्येक ईकाई की क्षमता। :
   (ङ) ईंधन का प्रकार :
   (च) आधार भार केंद्र(बेस लोड स्टेशन):

अथवा अधिकतम भार केंद्र
(पीकिंग लोड स्टेशन) ।

(छ) यदि अधिकतम भार केंद्र, तो चलने के अनुमानित घंटे क्या हैं ? :

(ज) यदि यह जल विद्युत संयंत्र है, तो नदी प्रवाह/जलाशय/बहुद्देशीय/पम्प संग्रहण कैसा है ?

(झ) जल विद्युत संयंत्र की दशा में वार्षिक उत्पादन मिलियन यूनिट में । :

(ञ) स्टेप–अप उत्पादन बोल्टेज 400 केवी या 220 केवी या अन्य कोई बोल्टेज विनिर्दिष्ट करें ।

(ट) क्या वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परिलक्षित परियोजना है । :

(ठ) क्या यह आबद्ध उत्पादन संयंत्र है ? : हां/नहीं

(ड) यदि हां, तो उपयोग का विवरण :

(ढ) परियोजना की स्थिति : विद्यमान/विद्यमान परियोजना का विस्तार/नयी परियोजना।

10. नये उत्पादन केंद्र की दशा में किये | क्षमता (मेगावाट में) | क्रियाशील कार्यक्रम

(क) ईकाई वार क्षमता व क्रियाशील किये जाने का कार्यक्रम

ईकाई–I
ईकाई–II
ईकाई–III
ईकाई–IV

(ख) हिताधिकारी (रियों) का नाम और : उनका विद्युत का आबंटन ।

(ग) उत्पादन केंद्र के लिये मंजूरियों की स्थिति :

- भू–अधिग्रहण
- ईंधन–करार
- पर्यावरण और वन मंजूरी
- तकनीकी व आर्थिक मंजूरी, यदि अपेक्षित हो
- हिताधिकारियों के साथ विद्युत क्रय करार

11. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :

- जारी करने वाले बैंक का नाम
- ड्राफ्ट क्रमांक
- जारी करने की तारीख
- राशि

सभी उपयोगिताएँ जिनमें क्रेता, विक्रेता, व्यापारी सम्मिलित हैं, समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (खुली पहुंच हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 का पालन करेंगी ।

आवेदक एतद्द्वारा आयोग, नोडल एजेन्सी एवं राज्य पारेषण उपयोगिता को हर समय क्षति पूरित रखने की सहमति देता है तथा वचन देता है कि वह इस मन्जूरी के अधीन हुये संव्यवहार के परिणामस्वरूप या उससे उत्पन्न तीसरे पक्ष से या को संबंधित किसी व्यक्ति को चोट या मृत्यु, अथवा संपत्ति के नुकसान, मांगों, मुकद्दमों, वसूलियों, लागतों व खर्चों, अदालती लागत, आटर्नी की फीस व अन्य सभी बाध्यताओं

के विरुद्ध आयोग, नोडल एजेन्सी एवं राज्य पारेषण उपयोगिता की प्रतिरक्षा कर उन्हें किसी भी और सभी प्रकार की हानि से बचायेगा ।

नोडल एजेन्सी द्वारा जारी पारेषण व वितरण में खुली पहुंच हेतु मार्ग दर्शक सिद्धांत और प्रक्रिया के उपबंध एतद्द्वारा तय पाये गये हैं।

खुली पहुंच ग्राहक का प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता

नाम

पद

मोहर

स्थान

दिनांक

अनूसूची–II
प्रपत्र–I
[विनियमन 43(2) को देखें]

(वितरण / पारेषण / व्यापार अनुज्ञप्तिधारी)

एवं

(पारेषण खुली पहुँच ग्राहक)

के मध्य

पारेषण सेवा करार

पारेषण सेवा करार

यह करार दिनांक ..... 200 को

.....

.....

अधिनियम, 2003 की धारा (14) के अन्तर्गत वितरण, पारेषण, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" के रूप में निर्दिष्ट है) जिसका अभिप्राय, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, (उसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आते हैं) **प्रथम पक्ष** के रूप में

और

..... कम्पनी, जो कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित और मौजूद है, जिसका मुख्यालय ..... में है (जो इसमें इसके पश्चात् "खुली पहुँच ग्राहक" निर्दिष्ट है) जिसका अभिप्राय सन्दर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो (उसमें उसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अंशधारी भी आते हैं) **दूसरे पक्ष** के रूप में (संयुक्त रूप से "पक्षों" के रूप में निर्दिष्ट किये गए हैं)

के मध्य निष्पादित किया गया ।

जबकि —

(क) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण/पारेषण/व्यापार के कारवार में हिमाचल प्रदेश राज्य में लगा है ;

(ख) ..... के कारवार से लगे हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने वाली विद्युत वितरण/पारेषण सेवा एवं अन्य सम्बद्ध सेवा का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं ;

(ग) आयोग द्वारा बनाए गए लागू विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह बाध्य है कि वह वितरण प्रणाली/पारेषण प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारियों एवं खुली पहुँच ग्राहकों को विनियमों में विनिर्दिष्ट निबन्धनों एवं शर्तों पर अविभेदकारी खुली पहुँच उपलब्ध कराए ,

(घ) विनियमों में खुली पहुंच का लाभ लेने वाले (व्यक्ति) द्वारा पारेषण सेवा करार निष्पादित करने का प्रावधान है।

अतः आपसी विचार–विमर्श व समझ के बाद पक्षों द्वारा निम्नानुसार तय किया जाता है कि :—

अनुच्छेद–1–परिभाषाएं :

अन्य स्थानों पर परिभाषित शब्दों के सिवाय इन करारनामों में के लिये निम्न परिभाषाएं लागू होंगी :—

"अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003, जिसमें उसके अधीन बनाये गये नियम व विनियम व उनमें समय–समय पर किये गये संशोधन भी हैं, अभिप्रेत है ;

"प्रभावी तारीख" से अभिप्रेत वह तारीख है, जिसको सम्बन्धित पक्ष करार निष्पादन करें ;

"सरकार" से, यथास्थिति, राज्य या केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विभाग, अभिकरण अथवा परिकरण, जिसमें स्वायत्त सत्ता चाहे वह निगमित हो या न हो सम्मिलित है, आते हैं ;

"विनियम" के अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, खुली पहुँच के लिए अधिकथित उप–विधियाँ, मार्गदर्शक सिद्वांत एवं प्रक्रियाएँ तथा अन्य विनियम, जो आयोग द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किए जाएं, आते हैं ;

"नियम" से, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन, समय–समय पर, अधिसूचित नियम अभिप्रेत है ;

"पारेषण सेवा" से अभिप्रेत है, विद्युत प्रदाय अथवा संचारण के लिए व्यवस्था करने के लिए, ऐसी केवल और शिरोपरि लाईनें, ऐसी किन्ही स्टैप–अप और स्टैप डाउन ट्रांसफार्मरों, स्विच गियरों और अन्य संकर्मों सहित, जो ऐसी केवलों या शिरोपरि लाईनों के नियंत्रण

के लिए आवश्यक है और प्रयोग किए जाते हैं तथा ऐसे भवन या उनके भाग सहित जो ऐसे ट्रांसफार्मरों, स्विचगिअरों और अन्य संक्रमों के आवास के लिए अपेक्षित है और इसके अंतर्गत अन्य सम्बन्धित तथा/या अनुषंगिक सेवाएं भी हैं ।

अनुच्छेद–2––करार का उद्देश्य एवं कार्य विस्तार :

अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुँच ग्राहकों को इस करार, अधिनियम तथा विनियमों के अनुसार पारेषण सेवाएं देने का करार करता है और उसका भार अपने ऊपर लेता है ।

अनुच्छेद–3––खुली पहुँच ग्राहकों की बाध्यताएँ :

3.1 खुली पहुँच ग्राहक इन विनियमों के पालन का करार करता है और उसका भार अपने ऊपर लेता है ;

3.2 खुली पहुँच ग्राहक पारेषण सेवा का लाभ उठाने के लिये इस करार में यथाविहित के अनुसार शुल्क भुगतान के बारे में प्रतिभूति क्रियाविधि अपनाएगा/लिखित प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद–4––अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य एवं बाध्यताएँ :

4.1 अनुज्ञप्तिधारी इस करार के निबन्धनों के अनुसार पारेषण सेवाएं प्रभावी रूप से देगा व बनाये रखेगा।

4.2 अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुँच ग्राहक को वे सभी अपेक्षित सुविधाएँ जिनमें वे सभी सुविधाएँ भी हैं जो उसकी भूमि पर पहुँच के लिए खुली पहुँच ग्राहक को अपेक्षित हो सकती है, उपलब्ध करेगा ।

4.3 तकनीकी मज़बूरियों से या अवरोध उत्पन्न होने पर जब अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण सेवा देने में क्षमता कुछ समय के लिए भंग हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी यथासाध्य पारेषण में उसे भंग की अग्रिम सूचना ग्राहक को देगा तथा यह भी बतलायेगा कि सेवाएं अनुमानतः कब तक चालू हो पायेंगी।

अनुच्छेद–5––निर्धारण :

5.1 खुली पहुंच ग्राहक इस करार के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार पारेषण सेवाएं उपाप्त करेगा । अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली से विद्युत प्रदाय निर्धारण के पूर्व खुली पहुँच

ग्राहक तत्समय चालू प्रक्रिया का पालन करेगा। विद्युत प्रदाय निर्धारण होने के बाद केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में नई पारेषण सेवा की मांग स्वीकार की जायेगी। सभी संव्यवहारों में घंटावार अस्थायी विद्युत सेवा को छोड़ कर मन्जूर पारेषण माँग पर विद्युत प्रदाय एवं अनुषंगिक सेवाओं के लिये समय निर्धारण, यथास्थिति सभी सप्ताहान्त तथा अवकाश दिवसों से पूर्व जिस दिन के लिये विद्युत प्रदाय चाहिए उसके एक दिन पूर्व भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 12.00 बजे तक या सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस के सामान्य समय में करना आवश्यक होगा। घंटावार से अस्थाई विद्युत सेवा या किसी सम्बद्ध अनुषंगिक सेवा को निर्धारण समय प्रारम्भ होने के ..... मिनट पूर्व करना आवश्यक होगा। खुली पहुंच ग्राहक नये निर्धारण या चालू निर्धारण में बदलाव के लिए इसी अनुच्छेद के अनुरूप कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा।

5.2 इस करार के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह दिन में भारतीय मानक समय के अनुसार 12.00 बजे के बाद आगामी संव्यवहार तक, जिसमें आगामी कारवार दिवस भी आता है, अस्थाई व्यवस्था के आधार पर घंटावार अस्थायी विद्युत सेवा को छोड़कर अनिर्धारित पारेषण सेवाओं का उपयोग कर सके और/या अन्य वितरक को बेच सके।

5.3 इस करार के अनुसार रोजाना के विद्युत निर्धारण तथा खुली पहुँच ग्राहक को अपेक्षित अनुषंगिक सेवा को सुकर करने हेतु खुली पहुंच ग्राहक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी से सतत् सम्पर्क बनाये रखे और जानकारी देता रहे। अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र के बाहर के लिए जो भी निर्धारण किया जाए वे पूर्ण मेगावाट में किया जाएगा कार्यक्षेत्र के भीतर जो भी निर्धारण होगा वह मेगावॉट के 1/10 भाग से (000.0 MWS/MVA) किया जाएगा।

अनुच्छेद–6––मीटरिंग एवं विसंगतियों का निपटारा :

अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह बाध्य होगा कि वह संयोजन के विभिन्न बिन्दुओं पर मीटर स्थापित करे वह मीटर की परिशुद्धित, उपयोग तथा स्थापना बारे में सभी वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिये जिम्मेवार होगा ।

अनुच्छेद–7—देयक प्रणाली (BILLING) :

7.1 इस करार के अनुसरण में खुली पहुँच ग्राहक को दी गई सेवा के लिए अनुज्ञप्तिधारी तैयशुदा दर से खुली पहुंच ग्राहक को देयक देगा और खुली पहुँच ग्राहक को विनियमों के अनुसार उस दर पर प्रभार का भुगतान करना होगा।

7.2 अनुज्ञप्तिधारी सभी देयक–दैनिक/साप्ताहिक/मासिक जैसा भी होगा सेवा के तुरन्त बाद युक्तियुक्त रूप में यथासाध्य बनाकर देगा। यदि उस स्थिति में जब देयक तैयार करने को अधिक समय लगाना हो, यदि सहमति हो, तो आंशिक देयक कभी भी बनाकर दिये जा सकते हैं । ग्राहक द्वारा उन देयकों (जिनमें आंशिक देयक भी हैं) (देयक की तारीख से) का भुगतान 15 दिन में उन परिस्थितियों में भी जब देयक के बारे में कोई आपत्ति हो, करना आवश्यक होगा। यदि देयकों की भुगतान की अंतिम तिथि शनिवार, रविवार या किसी भी पक्ष का मान्य अवकाश का दिन होता है, तो देयक अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को देय होगा। यदि भुगतान प्रथम श्रेणी डाक द्वारा डाक टिकटों के अग्रिम भुगतान के साथ भेजा गया हो, तो देयकों का भुगतान किया गया माना जायेगा और वह भुगतान विभाग द्वारा पोस्ट मार्क की तारीख को किया गया, माना जाएगा। अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर रसीद की तारीख को भुगतान की तारीख मानी जाएगी। यदि खुली पहुंच ग्राहक द्वारा देयकों का भुगतान समय सीमा में नहीं किया गया है, तो खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देयक राशि पर ..... प्रतिशत ब्याज अनुज्ञप्तिधारी को देना होगा। इस प्रकार के ब्याज की दर प्रत्येक दिन के हिसाब से होगी व केलैण्डर वर्ष 365 दिन का माना जाएगा। संबन्धित पक्ष इस बात से सहमत है कि इस अनुच्छेद का उपयोग देयकों के भुगतान को मजबूर करने के लिए की गई किसी कार्रवाई अथवा भंग या समाप्ति अवधारण, के संदर्भ में बचाव के रूप में नहीं किया जाएगा।

7.3 खुली पहुंच ग्राहक के लिये आवश्यक है कि वह आयोग के विनियमों के अनुसार पारेषण प्रभारों का भुगतान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों में उन सभी अतिरिक्त कर, उदग्रहण एवं अधिभार जो सरकार द्वारा लगाये गये हों सम्मिलित किये जा सकेंगे।

7.4 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाये गये देयकों में दृश्यमान त्रुटि और/या गणना में भूल, देयकों में मूल्य आदि के विषय में (वीजक त्रुटि) विवाद होने पर ऐसे विवाद को अनुच्छेद 24 में

विहित विवाद समाधान क्रियाविधि को भेजा जाएगा और उस द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा । अन्य सभी विवाद आयोग को भेजे जाएंगे जिनका निपटारा विद्युत अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के अनुसार किया जावेगा। खुली पहुंच ग्राहक देयकों का भुगतान रोक नहीं सकेगा । ग्राहक को केवल वीजक त्रुटियों की स्थिति में विवादित राशि के भुगतान को रोकने का अधिकार होगा।

7.5 खुली पहुंच ग्राहक के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी देयकों का पूर्ण या आंशिक भुगतान न करना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण सेवा बन्द करने के लिये विधिमान्य आधार होगा व अनुज्ञप्तिधारी इस करार के अनुरूप अन्य उपाय भी कर सकेगा।

7.6 अनुच्छेद 7.4 के अनुसार विवादित राशि को छोड़कर, खुली पहुंच ग्राहक द्वारा देयकों का पूरा भुगतान करने में विफल रहने पर खुली पहुँच ग्राहक को पारेषण के लिये अतिरिक्त आरक्षण का अधिकार नहीं होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह जब तक अविवादित राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाए और जमा खाता नहीं कर दी जाती तब तक पारेषण सेवाओं पर रोक लगा सके ।

अनुच्छेद–8––बैठकें :

8.1 संबन्धित पक्ष कम से कम प्रत्येक केलैण्डर वर्ष में हर तिमाही में एक बार आपसी सहमति से पूर्व अवधारित स्थान पर मिलेंगे या जब ऐसा अवधारण न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अवधारित स्थान पर मिलेंगे। संबन्धित पक्ष समय–समय पर जितनी बार चाहें मिल सकते हैं।

8.2 प्रत्येक पक्ष अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उनके द्वारा पंजीकृत पते पर बैठक के लिये कम से कम 21 दिन की सूचना दी जाएगी ; परन्तु आपसी सहमति से 21 दिन से कम सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

8.3 बैठक की सूचना के साथ उन विषयों की कार्य–सूची भी दी जाएगी जो बैठक में विचारार्थ रखे जाएंगे। जब तक लिखित रूप में यह शर्त दोनों पक्षों द्वारा अधित्यजित नहीं की जाए तब तक कार्य सूची के बाहर के विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद–9––खुली पहुंच ग्राहक के अभिलेखों का निरीक्षण :

अनुज्ञप्तिधारी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह खुली पहुंच ग्राहक के समस्त अभिलेख, लेखा–जोखा पुस्तिकाओं का कार्यसमय में निरीक्षण कर सके और उनकी प्रतियाँ करा सके। इस प्रकार से प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी केवल उन उद्देश्यों, जो इस करार के निबन्धनों से सुसंगत है, के लिए और इसमें अन्तर्वलित उपबन्धों की गोपनीयता के अध्यधीन करेगा ।

अनुच्छेद–10––पक्षों के प्रतिवेदन, गारंटी व प्रसंविदाएं :

10.1 खुली पहुंच ग्राहक अनुज्ञप्तिधारी को व्ययदेशित करता है विश्वास दिलाता है, और निम्नानुसार इकरार करता है कि :––

(क) खुली पहुंच ग्राहक भारतीय कानून के अन्तर्गत सम्यक् रूप से संगठित है, विधिमान्यतः मौजूद है और अच्छी स्थिति में है तथा उसे इस करारनामें को निष्पादित करने और इसके अधीन बाध्यताओं को पूरा करने की निगमित शक्तियाँ एवं प्राधिकर प्राप्त हैं ;

(ख) खुली पहुँच ग्राहक के अधिकारियों तथा निदेशकों की ओर से सभी निगमित कार्रवाईयों (यदि लागू हों) के लिए, तथा खुली पहुँच ग्राहक द्वारा इस करारनामें के निष्पादन तथा परिदान के लिए, और तद्धीन उदभूत सभी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए सभी प्राधिकार अभिप्राप्त कर लिए हैं ;

(ग) इस इकरारनामें में खुली पहुँच ग्राहक की विधिमान्य, वैद्य रूप से आबद्धकर तथा प्रवर्तनीय बाध्यताएं उपबन्धित है ;

(घ) खुली पहुँच ग्राहक, इस इकरारनामें में यथा अनुध्यात कम्पनी की स्थापना व परिचालन हेतु, सरकार की सभी आवश्यक मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने और बनाए रखने में अनुज्ञप्तिधारी की सहायता करने तथा प्रोद्योगिकी के हस्तान्तरण और अनुषंगिक करारनामें में यथा अनुध्यात फीसों एवं स्वामिश्व (रायल्टी) के भुगतान में सर्वोत्तम प्रयास करेगा ;

(ङ) खुली पहुँच ग्राहक, अनुज्ञप्तिधारी की लिखित विशेष अनुमति के बिना, ऐसी कोई भी कार्रवाई न ही करेगा या न करवाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी की ओर से या उसके द्वारा की गई समझी जाए और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर मानी जाए ;

(च) खुली पहुँच ग्राहक ऐसी और कार्रवाई करेगा, ऐसे और लिखतों तथा दस्तावेज़ों का निष्पादन एवं परिदान करेगा, और साधारणतया ऐसी सभी बातें करेगा, जो करार में अनुध्यात संव्यवहारों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हों ;

(छ) खुली पहुँच ग्राहक द्वारा इस करार का निष्पादन, परिदान अथवा अनुपालन के कारण खुली पहुँच ग्राहक के चार्टर दस्तावेज़ों (यदि कोई हों), या किसी करार या अन्य दस्तावेज़, विधि, नियम, विनियम, आदेश, निर्णय या डिक्री, जिसमें खुली पहुँच ग्राहक एक पक्ष है या जिससे वह आबद्ध अथवा प्रभावित होता है, में न कोई विवाद या व्यतिक्रम कारित होगा, न ही उनके अधीन किसी अधिकार को त्वारित किया जाएगा या उसका वंचन होगा, न ही किसी प्रकार का धारणधिकार, भार अथवा विल्लंगम सृजित होगा ;

(ज) खुली पहुँच ग्राहक ने अनुज्ञप्तिधारी को वे सभी वित्तीय विवरणियाँ (सम्बन्धित टिप्पणियाँ सहित), जो सभी खुली पहुँच ग्राहक की लेखा पुस्तिकों एवं अभिलेखों के अनुसार, सत्य एवं सही हैं, उपलब्ध कर दी हैं और खुली पहुँच ग्राहक यह भी प्रमाणित करता है कि वित्तीय विवरणियाँ खुली पहुँच ग्राहक की लेखा पुस्तिका व अभिलेख पर आधारित हैं जो उपदर्शित कालावधि में प्रयोग में लाए गये स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप बनाऐ रखे गए हैं, और इनमें खुली पहुँच ग्राहक की, उन तारीखों को जो उस कालावधि में आती हैं, वित्तीय स्थिति, आस्तियाँ और दायित्व, आय तथा क्रियाकलापों का स्पष्ट उल्लेख है ।

10.2 अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुंच ग्राहक को व्ययदेशित करता है, विश्वास दिलाता है और निम्नानुसार इकरार करता है कि :--

(क) अनुज्ञप्तिधारी भारतीय कानून के अधीन सम्यक् रूप से संगठित है और विधिमान्यत: मौजूद है और अच्छी स्थिति में है तथा उसे इस करारनामें के निष्पादित करने और उसके अधीन बाध्यताओं को पूरा करने की शक्तियॉ एवं प्राधिकार प्राप्त हैं ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी तथा उसके अधिकारियों एवं निदेशकों की ओर से इस करारनामें के निष्पादन तथा परिदान हेतु और तद्धीन सभी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए सभी प्राधिकार अभिप्राप्त कर लिए है ;

(ग) इस करार में अनुज्ञप्तिधारी की विधिमान्य, वैध रूप से आबद्धकर तथा प्रवर्तनीय बाध्यताएँ उपबन्धित है ;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, खुली पहुँच ग्राहक की लिखित विशेष अनुमति के बिना, ऐसी कोई भी कार्रवाई न ही करेगा या करवाएगा, जो खुली पहुँच ग्राहक की ओर से या उसके द्वारा की गई समझी गई और खुली पहुँच ग्राहक पर आबद्धकर मानी जाए ;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी और कार्रवाई करेगा; ऐसी और लिखतों तथा दस्तावेज़ों का निष्पादन एवं परिदान करेगा और साधारणतया ऐसी सभी बातें करेगा, जो करार में अनुध्यात संव्यवहारों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हों ;

(च) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस करार का निष्पादन, परिदान अथवा अनुपालन के कारण अनुज्ञप्तिधारी के निगमन प्रमाण–पत्र या उप–विधियों, या किसी करार या अन्य दस्तावेज़, विधि, नियम, विनियम, आदेश, निर्णय या डिक्री जिसमें अनुज्ञप्तिधारी एक पक्ष है या जिससे वह आबद्ध अथवा प्रभावित होता है, में न कोई विवाद या व्यतिक्रम कारित होगा और न ही उनके अधीन किसी अधिकार को त्वारित किया जाएगा या उसका वंचन होगा, न ही किसी प्रकार का धारणधिकार, भार अथवा विल्लंगम सृजित होगा ।

अनुच्छेद–11––लेखा व वित्तीय व्यवस्था :

11.1 खुली पहुंच ग्राहक अपने समस्त कामकाज़ के पूर्णतः सही लेखा–अभिलेख रखेगा तथा ऐसे समस्त अभिलेखों को सामान्य एवं समस्त कार्य समय में, पर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर, ताकि खुली पहुँच ग्राहक के कामकाज़ में बाधा न पड़े, दोनों पक्षों के सम्यक् रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखेगा।

11.2 खुली पहुँच ग्राहक की वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण खुली पहुँच ग्राहक के व्यय पर, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से, चयनित स्वतन्त्र लेखा फर्म द्वारा किया जाएगा।

11.3 अनुज्ञप्तिधारी, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तैयार किये जाने वाले प्रपत्र में, मासिक लेखा प्रतिवेदन पक्षों का भेजेगा ।

अनुच्छेद–12—क्षतिपूर्ति एवं सीमित दायित्व :

खुली पहुँच ग्राहक अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूरित रखने को सहमति देता है तथा बचन देता है कि वह, उनके सिवाय जो अन्ततः किसी न्यायिक कार्यवाही में अनुज्ञप्तिधारी को घोर उपेक्षा या उसके जानबूझकर अवचार से उदभूत हुए पाए गए हों, सभी दावों, नुकसानियों, शास्तियों, निर्णयों, दायित्वों, हानियों या इस करार से या उसके सम्बन्ध में, जिसमें प्रणाली प्रचालक के कृत्यों के निर्वहन से होने वाली हानि व नुकसानी भी है, उदभूत दावों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा किए गए खर्चे से (जिनमें अटार्नी की युक्तियुक्त फीसें, न्यायालय खर्चे तथा संवितरण भी सम्मिलित हैं) अनुज्ञप्तिधारी मुक्त रखेगा ।

अनुच्छेद–13—पक्षों की चूक तथा उसके परिणाम :

13.1 पक्षों की चूक और उनके परिणाम निम्नलिखित होंगे :—

(i) **बिना विवाद के खुली पहुँच ग्राहक द्वारा भुगतान में विफलता :—**
अनुच्छेद 7 में कोई बात होते हुए भी, यदि खुली पहुंच ग्राहक उन परिस्थितियों को छोड़कर जब देयकों के हिसाब में कोई वीजक त्रुटि हो, भुगतान करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को चूक के लिये यह सूचित करते हुए कि खुली पहुंच ग्राहक ने अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की बाध्यताएं पूरी करने में चूक की है और उसे देयकों की बकाया राशि के (मय ब्याज) भुगतान, विहित समय सीमा के भीतर. करने का अवसर देगा। यदि इस सूचना के अनुसार खुली पहुंच ग्राहक भुगतान नहीं करता है, तो बिना किसी और कार्रवाई के अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह एक पक्षीय रूप में खुली पहुँच ग्राहक के लिए मन्जूर अपनी सेवाएं बन्द कर दे और या/करार को निरस्त कर दे। खुली पहुंच ग्राहक को यदि देयकों के हिसाब में वीजक त्रुटि दिखाई दे, तो देयक

प्राप्त होने के ..... दिनों के अन्दर लिखित आपत्ति दर्ज कराना होगा।

(ii) **खुली पहुंच ग्राहक के विहित तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने पर :—**

खुली पहुंच ग्राहक के आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित व स्वीकृत तकनीकी अपेक्षाओं के पालन में विफल रहने के कारण यदि ग्रिड की ऊर्जा गुणवता अथवा सुरक्षा प्रभावित हो, या विद्युत ग्रिड प्रणाली के कामकाज या प्रबन्धन में कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह खुली पहुंच ग्राहक को मन्जूर अपनी सेवाएं तुरन्त बन्द कर दें।

अनुच्छेद–14—अन्य अपेक्षाओं का अननुपालन :

14.1 किसी पक्ष द्वारा किन्हीं अपेक्षाओं (करार में विशेष रूप में उल्लिखित अपेक्षाओं के सिवाय) अनुपालन में विफल रहने पर "व्यतीक्रम न करने वाले पक्ष" दूसरे पक्ष (व्यतीक्रम करने वाले पक्ष) को अनुपालन का विवरण देते हुए तथा अननुपालन का 15 दिन में उपचार करने की अपेक्षा करते हुए सूचना भेजेगा । यदि पक्षों में आपसी सहमति है तो वह उक्त मामले पर बैठक और चर्चा भी कर सकते हैं ।

14.2 यदि व्यतीक्रम करने वाला पक्ष सूचना में दी गई अवधि में अननुपालन का उपचार करने अथवा व्यतीक्रमण न करने वाले पक्ष को उपचार योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो व्यतीक्रम न करने वाले पक्ष को करार के निबन्धनों के अनुसार, करार की समाप्ति की माँग करने का अधिकार होगा ।

14.3 अनुज्ञप्तिधारी यह मानता है कि पारेषण सेवाओं में उसे एकाधिकार प्राप्त है । यदि अनुज्ञप्तिधारी इस करार के निबन्धनों को अनुपालन में और या उसके अन्तर्गत अपनी बाध्यताएँ पूरी करने में असफल रहता है, तो खुली पहुँच ग्राहक को आयोग से उक्त करार के विनिर्दिष्ट पालन हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा । खुली पहुँच ग्राहक का यह अधिकार, उसके विधिनुसार अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगा ।

अनुच्छेद–15––करार की कालावधि तथा पर्यवसान :

15.1 इस करार का स्वरूप, इसके पारस्परिक उद्देश्यों एवं अनुबन्धों का ध्यान रखते हुए, चिरस्थायी है और इसकी निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा तथा तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इस करार के निबन्धनों के अनुसार पर्यवसान नहीं कर दिया जाता।

15.2 पूर्ववर्ती भंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी पक्ष को, निम्न घटनाओं के घटित होने पर, स्वविवेकानुसार, से इस करार का पर्यवसान करने का अधिकार होगा :–

(क) यदि किसी पक्ष का दिवाला निकल जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है या स्वैच्छिक या अनिवार्य समापन की स्थिति (केवल विलय या पुनर्गठन को छोड़कर) उत्पन होती है, तो दूसरे पक्ष द्वारा 30 दिन की लिखित सूचना देने के बाद ;

(ख) यदि किसी पक्ष की सम्पत्ति पर करस्थम् या कुर्की की कार्यवाही हो या उसके कारवार अथवा सम्पत्ति या आस्तियों के सारभूत भाग के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त हो या यदि ऋण के परिणामस्वरूप कोई समान कार्रवाई की जाती है, तो दूसरे पक्ष द्वारा 60 दिन की लिखित सूचना देने पर ;

(ग) ऐसी परिस्थिति में जब सरकार द्वारा किसी पक्ष की अस्तियों अथवा पूंजी स्टाक के सारभूत भाग का स्वत्वहरण/राष्ट्रीयकरण या जब्ती हो, तो दूसरे पक्ष द्वारा 60 दिन की लिखित सूचना देने पर ;

(घ) यह दर्शाते हुए कि अनुच्छेद 13 के अनुसार सूचना भेजने पर भी खुली पहुँच ग्राहक, वीजक में माँगी गई राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचना भेजने पर ;

(ङ) यदि किसी पक्ष ने इस करार के निबन्धनों को भंग किया है और दूसरे पक्ष द्वारा सूचना भेजने से 60 दिन के भीतर उन पक्षों, जिन्होंने भंग नहीं किया है, की युक्तियुक्त सन्तुष्टि के अनुसार उपचार नहीं किया है, तो दूसरे पक्ष उस पक्ष को, जिसने भंग किया है, सूचना देने पर ;

(च) यदि भारत में किसी प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा निर्देश अथवा आदेश जारी होता है, अथवा किसी लागू अधिनियम, नियम तथा विनियम में कोई परिवर्तन आता है या सरकार की नीति, जिससे इस करार के अनुपालन में बाधा आती है, बनती है अथवा सार्थिक रूप में ह्रास होता है या प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया किसी भी पक्ष के अधिकार के विस्तार एवं प्रयोग, जिससे इसके उद्देश्यों की प्रभावशाली पूर्ती असंभव होती है, तो दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देने पर ;

(छ) दूसरे पक्षों को, कम से कम 180 दिन की, इस आशय की अग्रिम सूचना कि कोई भी पक्ष इस करार का पर्यवसान चाहता है, देने पर ।

15.3 करार का पर्यवसान किसी भी पक्ष को पर्यवसान की तारीख के पूर्व की बाध्यताओं एवं दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

15.4 इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुपालन में आवश्यक सरकारी या वैधिक मन्जूरियों अभिप्राप्त करने हेतु पक्ष अपेक्षित तत्काल जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे ।

15.5 पूर्वगामी उपबन्ध किसी भी पक्ष को, किसी दूसरे पक्ष के तात्विक भंग के सम्बन्ध में उपचार अथवा इस करार के अन्तर्गत किसी कृतव्य अथवा बाध्यता निभाने में असफलता पर, किसी विधिक एवं साम्यापूर्ण उपचार से रोक नहीं सकता ।

अनुच्छेद– 16––गोपनीयता :

16.1 सभी पक्ष वचन करते हैं कि संव्यवहार में वे पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेंगे व दूसरे पक्ष के पूर्व अनुमति के बिना उन परिस्थितियों में जबकि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण सरकारी प्राधिकारी से तथा/या उसके अपने विधिक सलाहकारों की किसी प्रकार की मन्जूरी अभिप्राप्त करने हेतु आवश्यक हो, या उससे दूसरे पक्ष को बड़ा नुकसान होता हो, कोई भी जानकारी, जो दूसरे पक्ष के हित को प्रभावित करती हो, को प्रकट नहीं करेगा ।

16.2 किसी भी पक्ष या उसके प्रतिनिधि को लिखित रूप में दी गई कोई भी जानकारी, जिसे गोपनीय जानकारी के रूप में परिलक्षित किया गया है, को गोपनीय रखा जाएगा और उसे

सिवाय उन परिस्थितियों में जब यह इस करार के अनुपालन हेतु या उसके बारे में आवश्यक मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा । पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी गोपनीयता की शर्त उन परिस्थितियों में मान्य नहीं होगी जब ऐसी जानकारी, प्राप्तकर्ता दोष के बिना, आम जनता के अधिपत्य में आती हो, या इस करार के अधीन प्राप्तकर्ता को, उसकी पूर्व जानकारी हो, या किसी विधि नियम, विनियम, विधिक प्रक्रिया या अधिकारिता रखने वाले न्यायालय व सरकारी उपक्रम द्वारा अपेक्षित हो; परन्तु ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा इसकी अग्रिम सूचना दूसरे पक्ष को, यथाशीघ्र देगा ताकि जहाँ तक विधिपूर्ण हो, जानकारी प्रकट करने वाला पक्ष, जानकारी प्रकटीकरण सम्बन्धित संरक्षणों एवं अपवादों का लाभ उठा सके ।

अनुच्छेद–17––दावों का अधित्यजन :

17.1 कोई भी पक्ष अप्रत्यक्ष परिणामिक आर्थिक, दाण्डिक अन्य समान नुकसान के लिये, जो इस करार से उदभूत हो या किसी तरह इससे सम्बन्धित हो, दूसरे पक्ष को उत्तरदायी नहीं होगा ।

17.2 किसी भी एक पक्ष द्वारा इस करार के अन्तर्गत दूसरे पक्ष की एक त्रुटि या भंग के बारे में अपने अधिकारों का अधित्यजन इस प्रकार की अन्य त्रुटि या भंग होने पर अधिकार का अधित्यजन माना जाएगा । किसी भी अधिकार को लागू करने या कानूनी कार्यवाही हेतु समय सीमा में थोड़ा भी विलम्ब छूट अधित्यजन नहीं माना जाएगा ।

17.3 करार से उदभूत बाध्यताओं तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में सभी पक्ष अपनी ओर से पूरी सतर्कता तथा सावधानी बरतेंगे ।

अनुच्छेद–18––समनुदेशन का अधिकार नही :

खुली पहुँच ग्राहक विक्रेता की लिखित पूर्व अभिव्यक्त सहमति के बिना इस करार को या अन्य पुष्टि करार को या उनके अन्तर्गत अपने अधिकार या दायित्वों को न ही बेचेगा, सौंपेगा या हस्तान्तरित करेगा । समनुदेशी या अन्य अंतरिता, विक्रेता की हस्तान्तरण के लिए सहमति की तारीख से तथा उसके पश्चात् से सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को धारित करेगा । परन्तु इसके कारण खुली पहुँच ग्राहक करार के अधीन अपने दायित्व या कर्त्तव्यों से मुक्त नहीं होगा जब तक लिखित

सहमति में अथवा समनुदेशन, अभिहस्तांरणपत्र तथा हस्तान्तरण दस्तावेजों में इसका विषय रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो । जब तक कि सभी पक्ष विशेषरूप में अन्यथा सहमत न हों, हस्तान्तरण के पूर्व के सभी कर्त्तव्य एवं दायित्वों के लिए पूर्व पक्ष ही उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद–19—अपरिहार्य घटनाएं :

19.1 यदि कोई पक्ष इस करार के अधीन अपने दायित्व निभाने में किन्ही कारणों से, निवारित होता है जो कि उस पक्ष के युक्तियुक्त नियन्त्रणाधीन नहीं है जैसे कि परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं या प्रभावित पक्ष की किसी शर्त अथवा स्थिति या जिसके कारण उसके कार्य करने के साधन विफल होते हैं या विफल होने का भय हो, इनमें बाढ़, भूकम्प, तूफान, अग्नि, आसमानी बिजली का गिरना, महामारी, युद्ध, बलवा, नागरिक शांति भंग या सविनय अवज्ञा, श्रमिक विवाद, श्रमिकों या सामग्री की कमी, भीतरघात अथवा न्यायालय या सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी सम्मिलित हैं अथवा संबन्धित पक्ष द्वारा पर्याप्त सावधानी बरतने पर भी सरकारी अभिकरण अथवा प्राधिकरणों से मन्जूरियाँ तथा स्वीकृतियाँ, जिनकी उस पक्ष की युक्तियुक्त सतर्कता बरतने पर अभिप्राप्ति की प्रत्याशंका नहीं की जा सकती हो, या उनमें आने वाली कठिनाईयों पर युक्तियुक्त सावधानी से नियन्त्रण करने में विफल है, प्राप्त न होने के कारण करार का अनुपालन न हो रहा हो तो, ऐसे समय उस पक्ष को तब तक मुक्त रखा जाएगा, जब तक ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहती हैं; परन्तु यदि उक्त परिस्थिति बनी रहती है और पक्ष द्वारा दायित्व पूरा करने में रूकावट एक माह से अधिक अवधि तक जारी रहती है, तो दूसरा पक्ष उसे लिखित सूचना दे कर करार के पर्यवसान के लिए कह सकता है ।

19.2 यदि कोई भी पक्ष अपरिहार्य घटना के घटित होने के करार के अनुपालन में व्यवधान आने पर अपना दायित्व निभाने में विफल रहता है, तो उसे उसकी सूचना घटना के घटित होने के 24 घंटे के अन्दर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा देनी होगी ताकि वह तीन कार्य दिवसों की कालावधि में अपरिहार्य घटना और स्थिति से, यथाशीघ्र, निपटने का युक्तियुक्त तत्पर्ता से प्रयास करें ।

19.3 आपातकालीन स्थिति की अवधि लगातार तीन माह से अधिक होने पर आपातकालीन स्थिति से छूट की मांग न करने वाला पक्ष तीन मास की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् 30 दिन की सूचना देने के बाद पारेषण सेवाएं बन्द कर सकेगा ।

अनुच्छेद–20—सुचनाएं :

20.1 सभी प्रकार की सूचनाएं देयक, भुगतान तथा अन्य पत्राचार लिखित में भेजने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा सम्यक् रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरयुक्त मेल, डाक द्वारा (डाक टिकट अग्रिम लगाकर भेजे जाएंगे तथा इनकी प्रतिरूप निम्नलिखित पते पर या अन्य पते पर जो इस अनुच्छेद अनुसार पूर्व में सम्यक् रूप में सूचित किया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकेगा ।

यदि खुली पहुँच ग्राहक को

.....

.....

यदि अनुज्ञप्तिधारी को

.....

.....

20.2 इस अनुच्छेद के अनुसार दी गयी सूचनाएं निम्नलिखित रूप में दी हुई मानी जाएँगी :—

(क) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजी गई हों, तो प्राप्ति की तारीख से ;

(ख) यदि डाक द्वारा भेजी गई हों, तो डाक विभाग में लिफाफा देने के 6 दिन की अवधि के अवसान पर ;

(ग) यदि प्रतिरूप भेजकर सूचना दी गई हो, तो पारेषण किए जाने की प्राप्ति पुष्टि के उपरांत ।

अनुच्छेद–21—पृथक्करणीय उपबन्ध :

जहाँ तक संभव हो, इस करार के सभी प्रावधानों का अर्थ इस प्रकार से निकाला जाएगा कि वे लागू कानून के अधीन वैध और प्रभावी हों, परन्तु यदि करार के कोई प्रावधान लागू कानून के अधीन अवैध या प्रतिबन्धित हों, तो उन प्रावधानों के केवल वे अंश उस हद तक ही जिस तक वे प्रतिबन्धित अथवा अवैध हैं, बाकि प्रावधानों को प्रभावित किये बिना

अप्रभावशाली होंगे और अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे । ऐसी स्थिति में सभी पक्ष आपसी विचार-विमर्श कर सदभावपूर्वक, ऐसे विधिमान्य, विधिक तथा प्रवर्तनीय उपबन्ध, जो करार करने वाले पक्षों की आशय पूर्ति हेतु अधिकतया अनुरूप हों, बना सकेंगे ।

अनुच्छेद–22––सम्पूर्णता :

इस करार की विषयवस्तु के बारे में, यह करार तथा इसकी सभी अनुलग्नक पक्षकारों के सम्पूर्ण करार को उपदर्शित करते हैं तथा इसके पूर्व के और सभी समकालीन करार व्यपदेशन और लिखित अथवा मौखिक बाध्यताएँ निष्प्रभावी होंगी। इस करार के और उसके साथ के अनुलग्नकों या अनुसूचियों में यदि विसंगति हो, तो करार के प्रावधान हावी होंगे ।

अनुच्छेद–23––न्यायिक अधिकार :

जब तक इस करार में विशेष रूप में अन्यथा उपबन्धित न हो, तब तक सभी पक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य की अदालतों के अनन्य न्यायिक अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।

अनुच्छेद–24––विवाद समाधान :

24.1 इस करार में अन्यथा विशेष रूप में उपबन्धित के सिवाय, सभी पक्ष इस करार के सम्बन्ध में किसी भी विवाद, संविवाद, दावा या भंग (जिसमें इस करार का अस्तित्व अथवा विधिमान्यता भी है) जो इस करार के अनुपालन में आती हो या इसके कारण उत्पन्न होती हो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से विचार–विमर्श कर निपटाएंगे । यदि फिर भी आपसी सोहार्दपूर्ण समझौता से निपटारा नहीं होता है, तो किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 60 दिन की सूचना देने के बाद अनुच्छेद 24.2 में यथाउपबन्धित मामला माध्यस्थम द्वारा अवधारित करने के लिए आग्रह किया जा सकेगा ।

24.2 उन विवादों, जिनके समाधान हेतु इस करार, अधिनियम या विनियमों में विशेष रूप से उपबन्धित है के सिवाय, इस करार के अधीन या उसके सम्बन्ध में यदि कोई

प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद उद्भूत होता है, तो उसका समाधान आयोग द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा ।

24.3 माध्यस्थम के लिये कार्यालय शिमला में होगा व समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में होगा।

24.4 सभी पक्ष, अन्तिम आदेश के अध्यधीन रहते हुए, माध्यस्थतम के खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अनुच्छेद–25—जोखिम की धारणा :

प्रत्येक पक्ष इस करार से (1) कार्य की जोखिम (2) लाभ एवं बाध्यताओं की अनिश्चितता (3) जोखिम एवं अनिश्चितता की धारणा को स्वीकार करता है । प्रत्येक पक्ष ने इस करार को निष्पादित करने से पूर्व अपनी सम्यक् तत्परता वरती है और उन सभी करारों, कार्य योजनाओं, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य लिखित सामग्री, जो ऐसे पक्ष की राय में उप पक्ष के लिये करार निष्पादित करने का आधार हो सकती है, की माँग की है और उनको पुनर्विलोकित कर लिया है । अपनी व्यवसाय की वित्तीय व्यवस्था व अन्य दस्तावेजों की पर्याप्त जांच कर ली है ।

अनुच्छेद–26—उपान्तरण :

इस इकरारनामें के किसी भी प्रावधान में इसमें निहित व्यवस्था को अपनाए बिना अतिरिक्त कोई भी उपान्तरण अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा । यदि कोई पक्ष इकरारनामें के निबन्धनों में कोई उपान्तरण चाहता है, तो वह यह सुनिश्चित करने हेतु कि यह सुसंगत होगा या विनियामक व वैद्यक प्रावधानों के समरूप होगा, सभी पक्ष इस के लिए परामर्शक प्रक्रिया, जिसमें पक्ष बैठकें करेंगे और उक्त विवाद्यकों पर विचार विमर्श करेंगे, प्रारम्भ करेंगे। यदि सभी पक्ष प्रस्तावित उपान्तरण अथवा संशोधन के लिये सहमत न हों, तो वे यह विवाद किसी स्वतन्त्र विशेषज्ञ, जो उस पर अपना निर्णय देगा, को सौंपेंगे । फिर भी सभी पक्ष आपसी लिखित सहमती से इकरारनामें में उपान्त्रण कर सकते हैं ।

अनुच्छेद–27—शीर्षक :

इस इकरारनामें में दिये गये अनुच्छेद, पैरे तथा अन्य शीर्षक केवल सुविधा के लिये दिए गऐ हैं और वे इकरारनामे के विस्तार या आशय को परिभाषित या सीमित नहीं करते हैं।

अनुच्छेद–28––प्रतिरूप :

28.1 यह इकरारनामा कितने भी प्रतिरूप में निष्पादित किया जा सकेगा एवं सभी प्रतिरूप एक ही अभिलेख माने जावेंगे ।

28.2 प्रारम्भ में ऊपरलिखित तारीख को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों के सम्यक् रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा यह इकरारनामा निष्पादित किया गया:––

खुली पहुँच ग्राहक	अनुज्ञप्तिधारी
द्वारा	द्वारा
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
तारीख.....	तारीख.....
गवाह.....	गवाह.....

अनुसूची–II
प्रपत्र–II
[विनियमन 43(2) को देखें]

(वितरण / पारेषण / व्यापार अनुज्ञप्तिधारी)

एवं

(वितरण खुली पहुँच ग्राहक)

के मध्य

वितरण सेवा करार

वितरण सेवा करार

यह करार दिनांक ..... 200 को

.....

.....

अधिनियम, 2003 की धारा (14) के अन्तर्गत वितरण, पारेषण, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" के रूप में निर्दिष्ट है) जिसका अभिप्राय, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, (उसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आते हैं) **प्रथम पक्ष** के रूप में

और

..... कम्पनी, जो कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित और मौजूद है, जिसका मुख्यालय ..... में है (जो इसमें इसके पश्चात् "खुली पहुँच ग्राहक" निर्दिष्ट है) जिसका अभिप्राय सन्दर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो (उसमें उसके अन्तर्गत उत्तराधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अंशधारी भी आते हैं) **दूसरे पक्ष** के रूप में

(संयुक्त रूप से "पक्षों" के रूप में निर्दिष्ट किये गए हैं)

के मध्य निष्पादित किया गया ।

जबकि---

(क) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण के कारवार में हिमाचल प्रदेश राज्य में लगा है;

(ख) ..... के कारवार से लगे हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने वाली विद्युत वितरण सेवाऐं एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक हैं;

(ग) आयोग द्वारा बनाए गए लागू विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह बाध्य है कि वह वितरण प्रणाली में अनुज्ञप्तिधारियों एवं खुली पहुँच ग्राहकों को विनियमों में विनिर्दिष्ट निबन्धनों एवं शर्तों पर अविभेदकारी खुली पहुँच उपलब्ध कराए;

(घ) विनियमों में खुली पहुंच का लाभ लेने वाले (व्यक्ति) द्वारा वितरण सेवा करार निष्पादित करने का प्रावधान है;

अतः आपसी विचार–विमर्श व समझ के बाद पक्षों द्वारा निम्नानुसार तय किया जाता है कि :—

अनुच्छेद–1—परिभाषाएं :

अन्य स्थानों पर परिभाषित शब्दों के सिवाय इन करारनामों में के लिये निम्न परिभाषाएं लागू होंगी :—

"अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003, जिसमें उसके अधीन बनाये गये नियम व विनियम व उनमें समय–समय पर किये गये संशोधन भी हैं, अभिप्रेत हैं ;

"प्रभावी तारीख" से अभिप्रेत वह तारीख है, जिसको संबन्धित पक्ष करार निष्पादित करे ;

"सरकार" से, यथास्थिति, राज्य या केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विभाग, अभिकरण अथवा परिकरण, जिसमें स्वायत्त सत्ता चाहे वह निगमित हो या न हो सम्मिलित है, आते हैं;

"विनियम" के अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, खुली पहुँच के लिए अधिकथित उप–विधियाँ, मार्गदर्शक सिद्धांत एवं प्रक्रियाएँ तथा अन्य विनियम, जो आयोग द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किए जाएं, आते हैं;

"नियम" से, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन, समय–समय पर, अधिसूचित नियम अभिप्रेत हैं;

"वितरण सेवा" से विद्युत प्रदाय अथवा संचारण के लिए व्यवस्था करने के लिए ऐसी पारेषण लाइनों या उत्पादन केन्द्र संयोजन पर परिदान बिन्दुओं और उपभोक्ताओं के संस्थापन के संयोजन बिन्दु के बीच तार प्रणाली सहयुक्त सुविधाएँ अभिप्रेत हैं।

अनुच्छेद–2—करार का उद्देश्य एवं कार्य विस्तार :

अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुँच ग्राहक को इस करार, अधिनियम तथा विनियमों के अनुसार वितरण सेवाएं देने का करार करता है और उसका भार अपने ऊपर लेता है ।

अनुच्छेद–3—खुली पहुँच ग्राहकों की बाध्यताएं :

3.1 खुली पहुँच ग्राहक इन विनियमों के पालन का करार करता है और उसका भार अपने ऊपर लेता है;

3.2 खुली पहुँच ग्राहक वितरण सेवा का लाभ उठाने के लिये इस करार में यथाविहित के अनुसार शुल्क भुगतान के बारे में प्रतिभूति क्रियाविधि अपनाएगा/लिखित प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद–4—अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं बाध्यताएं :

4.1 अनुज्ञप्तिधारी इस करार के निबन्धनों के अनुसार वितरण सेवाएं प्रभावी रूप से देगा व बनाये रखेगा।

4.2 अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुँच ग्राहक को वे सभी अपेक्षित सुविधाएँ जिनमें वे सभी सुविधाएँ जो उसकी भूमि पर खुली पहुँच के लिए खुली पहुँच ग्राहक को अपेक्षित हो सकती हैं, उपलब्ध करेगा ।

4.3 तकनीकी मज़बुरियों से या अवरोध उत्पन्न होने पर जब अनुज्ञप्तिधारी की वितरण सेवा देने में क्षमता कुछ समय के लिए भंग हो जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी यथासाध्य वितरण में उसे भंग की अग्रिम सूचना ग्राहक को देगा तथा यह भी बतलायेगा कि सेवाएं अनुमानतः कब तक चालू हो पायेंगी।

अनुच्छेद–5—निर्धारण :

5.1 खुली पहुंच ग्राहक इस करार के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार वितरण सेवाएं उपाप्त करेगा । अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से विद्युत प्रदाय निर्धारण के पूर्व खुली पहुँच ग्राहक तत्समय चालू प्रक्रिया का पालन करेगा। विद्युत प्रदाय निर्धारण होने के बाद केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा का अंतःक्षेपण/आहरण की मांग स्वीकार की जायेगी। सभी संव्यवहारों में घंटावार अस्थायी विद्युत सेवा को छोड़ कर मन्जूर माँग पर विद्युत प्रदाय एवं अनुषांगिक सेवाओं के लिये समय निर्धारण, यथास्थिति सभी सप्ताहान्त तथा अवकाश दिवसों से पूर्व जिस दिन के लिये विद्युत प्रदाय चाहिए उसके एक दिन पूर्व भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 12.00 बजे तक या सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस के सामान्य समय में करना आवश्यक होगा। घंटावार से अस्थाई

विद्युत सेवा या किसी सम्बद्ध अनुषंगिक सेवा को निर्धारण समय प्रारम्भ होने के ....मिनट पूर्व करना आवश्यक होगा। खुली पहुंच ग्राहक नये निर्धारण या चालू निर्धारण में बदलाव के लिए इसी अनुच्छेद के अनुरूप कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा।

5.2 इस करार के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह दिन में भारतीय मानक समय के अनुसार 12.00 बजे के बाद आगामी संव्यवहार तक, जिसमें आगामी कारवार दिवस भी आता है, अस्थाई व्यवस्था के आधार पर घंटावार अस्थायी विद्युत सेवा को छोड़कर अनिर्धारित वितरण सेवाओं का उपयोग कर सके और/या अन्य वितरक को बेच सके।

5.3 इस करार के अनुसार रोजाना के विद्युत निर्धारण तथा खुली पहुँच ग्राहक को अपेक्षित अनुषंगिक सेवा को सुकर करने हेतु खुली पहुंच ग्राहक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी से सतत् सम्पर्क बनाये रखें और जानकारी देता रहे। अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र के बाहर के लिए जो भी निर्धारण किया जाए वे पूर्ण मेगावाट में किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यक्षेत्र के भीत्तर जो भी निर्धारण होगा वह मेगावाट के 1/10 भाग से (000.0 MWS/MVA) किया जाएगा।

अनुच्छेद–6––मीटरिंग एवं विसंगतियों का निपटारा :

अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह बाध्य होगा कि वह संयोजन के विभिन्न बिन्दुओं पर मीटर स्थापित करे वह मीटर की परिशुद्वित, उपयोग तथा स्थापना बारे में सभी वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिये जिम्मेवार होगा ।

अनुच्छेद–7––देयक प्रणाली (BILLING) :

7.1 इस करार के अनुसरण में खुली पहुँच ग्राहक को दी गई सेवा के लिए अनुज्ञप्तिधारी तैयशुदा दर से खुली पहुंच ग्राहक को देयक देगा और खुली पहुँच ग्राहक को विनियमों के अनुसार उस दर पर प्रभार का भुगतान करना होगा।

7.2 अनुज्ञप्तिधारी सभी देयक–दैनिक/साप्ताहिक/मासिक जैसा भी होगा सेवा के तुरन्त बाद युक्तियुक्त रूप में यथासाध्य बनाकर देगा। यदि उस स्थिति में जब देयक तैयार करने को अधिक समय लगाना हो, यदि सहमति हो, तो आंशिक देयक कभी भी बनाकर दिये जा सकते हैं । खुली पहुँच ग्राहक द्वारा उन देयकों (जिनमें आंशिक देयक भी है)

(देयक की तारीख से) का भुगतान 15 दिन में उन परिस्थितियों में भी जब देयक के बारे में कोई आपत्ति हो, करना आवश्यक होगा। यदि देयकों की भुगतान की अंतिम तिथि शनिवार, रविवार या किसी भी पक्ष का मान्य अवकाश का दिन होता है, तो देयक अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को देय होगा। यदि भुगतान प्रथम श्रेणी डाक द्वारा डाक टिकटों के अग्रिम भुगतान के साथ भेजा गया हो, तो देयकों का भुगतान किया गया माना जायेगा और वह भुगतान विभाग द्वारा पोस्ट मार्क की तारीख को किया गया, माना जाएगा। अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर रसीद की तारीख को भुगतान की तारीख मानी जाएगी। यदि खुली पहुंच ग्राहक द्वारा देयकों का भुगतान समय सीमा में नहीं किया गया है, तो खुली पहुँच ग्राहक द्वारा देयक राशि पर ..... प्रतिशत ब्याज अनुज्ञप्तिधारी को देना होगा। इस प्रकार के ब्याज की दर प्रत्येक दिन के हिसाब से होगी व कैलेन्डर वर्ष 365 दिन का माना जाएगा। संबन्धित पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस अनुच्छेद का उपयोग देयकों के भुगतान को मजबूर करने के लिए की गई किसी कार्रवाई अथवा भंग या समाप्ति अवधारण, के संदर्भ में बचाव के रूप में नहीं किया जाएगा।

7.3 खुली पहुंच ग्राहक के लिये आवश्यक है कि वह आयोग के विनियमों के अनुसार पारेषण प्रभारों का भुगतान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों में उन सभी अतिरिक्त कर, उदग्रहण एवं अधिभार जो सरकार द्वारा लगाये गये हों सम्मिलित किये जा सकेंगे।

7.4 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाये गये देयकों में दृश्यमान त्रुटि और/या गणना में भूल, देयकों में मूल्य आदि के विषय में (वीजक त्रुटि) विवाद होने पर ऐसे विवाद को अनुच्छेद 24 में विहित विवाद समाधान क्रियाविधि को भेजा जाएगा और उस द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा । खुली पहुंच ग्राहक अनुज्ञप्तिधारी को देयकों का भुगतान रोक नहीं सकेगा ।

7.5 खुली पहुंच ग्राहक का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी देयकों का पूरा या आंशिक भुगतान करने में विफल रहना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण सेवा बन्द करने के लिये विधिमान्य आधार होगा व अनुज्ञप्तिधारी इस करार के अनुरूप अन्य उपाय भी कर सकेगा।

7.6 खुली पहुंच ग्राहक द्वारा देयकों का पूरा भुगतान करने में विफल रहने पर खुली पहुँच ग्राहक को वितरण के लिये अतिरिक्त आरक्षण का अधिकार नहीं होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह जब तक अविवादित राशि का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाए और जमा खाता नहीं कर दी जाती तब तक वितरण सेवाओं पर रोक लगा सके ।

अनुच्छेद–8––बैठकें :

8.1 संबन्धित पक्ष कम से कम प्रत्येक केलैण्डर वर्ष में हर तिमाही में एक बार आपसी सहमति से पूर्व अवधारित स्थान पर मिलेंगे या जब ऐसा अवधारण न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अवधारित स्थान पर मिलेंगे। संबन्धित पक्ष समय–समय पर जितनी बार चाहें मिल सकते हैं।

8.2 प्रत्येक पक्ष अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उनके द्वारा पंजीकृत पते पर बैठक के लिये कम से कम 21 दिन की सूचना दी जाएगी; परन्तु आपसी सहमति से 21 दिन से कम सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

8.3 बैठक की सूचना के साथ उन विषयों की कार्य–सूची भी दी जाएगी जो बैठक में विचारार्थ रखे जाएंगे। जब तक लिखित रूप में यह शर्त दोनों पक्षों द्वारा अधित्यजित नहीं की जाए तब तक कार्य सूची के बाहर के विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद–9––खुली पहुंच ग्राहक के अभिलेखों का निरीक्षण :

अनुज्ञप्तिधारी को यह पूरा अधिकार होगा कि वह खुली पहुंच ग्राहक के समस्त अभिलेख, लेखा–जोखा पुस्तिकाओं का कार्य समय में निरीक्षण कर सके और उनकी प्रतियाँ करा सके। इस प्रकार से प्राप्त जानकारी का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी केवल उन उद्देश्यों, जो इस करार के निबन्धनों से सुसंगत है, के लिए और इस में अन्तर्वलित उपबन्धों की गोपनीयता के अध्यधीन करेगा ।

अनुच्छेद–10––पक्षों के प्रतिवेदन, गारंटी व प्रसंविदाएं :

10.1 खुली पहुंच ग्राहक अनुज्ञप्तिधारी को व्ययदेशित करता है विश्वास दिलाता है, और निम्नानुसार इकरार करता है कि :–

(क) खुली पहुंच ग्राहक भारतीय कानून के अन्तर्गत सम्यक् रूप से संगठित है, विधिमान्यतः मौजूद है और अच्छी स्थिति में है तथा उसे इस करारनामों को निष्पादित करने और इसके अधीन बाध्यताओं को पूरा करने की निगमित शक्तियाँ एवं प्राधिकर प्राप्त हैं ;

(ख) खुली पहुँच ग्राहक के अधिकारियों तथा निदेशकों की ओर से सभी निगमित कार्रवाईयों (यदि लागू हो) के लिए, तथा खुली पहुँच ग्राहक द्वारा इस करारनामें के निष्पादन तथा परिदान के लिए, और तद्धीन उदभूत सभी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए सभी प्राधिकार अभिप्राप्त कर लिए हैं ;

(ग) इस इकरारनामें में खुली पहुँच ग्राहक की विधिमान्य, वैध रूप से आबद्धकर तथा प्रवर्तनीय बाध्यताएं उपबन्धित है;

(घ) खुली पहुँच ग्राहक, इस इकरारनामें में यथा अनुध्यात कम्पनी की स्थापना व परिचालन हेतु, सरकार की सभी आवश्यक मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने और बनाए रखने में अनुज्ञप्तिधारी की सहायता करने तथा प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण और अनुषांगिक करारनामें में यथा अनुध्यात फीसों एवं स्वामित्व (रायलेटी) के भुगतान में सर्वोत्तम प्रयास करेगा ;

(ङ) खुली पहुँच ग्राहक, अनुज्ञप्तिधारी की लिखित विशेष अनुमति के बिना, ऐसी कोई भी कार्रवाई न ही करेगा या न करवाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी की ओर से या उसके द्वारा की गई समझी जाए और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर मानी जाए ;

(च) खुली पहुँच ग्राहक ऐसी और कार्रवाई करेगा, ऐसे और लिखतों तथा दस्तावेज़ो का निष्पादन एवं परिदान करेगा, और साधारणतया ऐसी सभी बातें करेगा जो करार में अनुध्यात संव्यवहारों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हों;

(छ) खुली पहुँच ग्राहक द्वारा इस करार का निष्पादन, परिदान अथवा अनुपालन के कारण खुली पहुँच ग्राहक के चार्टर दस्तावेज़ों (यदि कोई हो), या किसी करार या अन्य दस्तावेज़, विधि, नियम, विनियम, आदेश, निर्णय या डिक्री, जिसमें खुली पहुँच ग्राहक एक पक्ष है या जिससे वह आबद्ध अथवा प्रभावित होता है, में न कोई विवाद या व्यतिक्रम कारित होगा, न ही उनके अधीन किसी अधिकार को त्वारित किया जाएगा या उसका वंचन होगा, न ही किसी प्रकार का धारणधिकार, भार अथवा विल्लंगम सृजित होगा ;

(ज) खुली पहुँच ग्राहक ने अनुज्ञप्तिधारी को वे सभी वित्तीय विवरणियाँ (संबंधित टिप्पणियाँ सहित), जो सभी खुली पहुँच ग्राहक की लेखा पुस्तिकों एवं अभिलेखों के अनुसार, सत्य एवं सही है, उपलब्ध कर दी हैं और खुली पहुँच ग्राहक यह भी प्रमाणित करता है कि वित्तीय विवरणियाँ खुली पहुँच ग्राहक की लेखा पुस्तिका व अभिलेख पर आधारित है जो उपदर्शित कालावधि में प्रयोग में लाए गये स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप बनाऐ रखे गए हैं, और इनमें खुली पहुँच ग्राहक की,

उन तारीखों को जो उस कालावधि में आती है, वित्तीय स्थिति, आस्तियाँ और दायित्व, आय तथा क्रियाकलापों का स्पष्ट उल्लेख है ।

10.2 अनुज्ञप्तिधारी खुली पहुंच ग्राहक को व्ययदेशित करता है, विश्वास दिलाता है और निम्नानुसार इकरार करता है कि :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी भारतीय कानून के अधीन सम्यक रूप से संगठित है और विधिमान्यतः मौजूद है और अच्छी स्थिति में है तथा उसे इस करारनामें को निष्पादित करने और उसके अधीन बाध्यताओं को पूरा करने की शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्राप्त हैं;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी तथा उसके अधिकारियों एवं निदेशकों की ओर से इस करारनामें के निष्पादन तथा परिदान हेतु और तद्धीन सभी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए सभी प्राधिकार अभिप्राप्त कर लिए हैं ;

(ग) इस करार में अनुज्ञप्तिधारी की विधिमान्य, वैद्य रूप से आबद्धकर तथा प्रवर्तनीय बाध्यताएँ उपबन्धित है;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, खुली पहुँच ग्राहक की लिखित विशेष अनुमति के बिना, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा या करवाएगा, जो खुली पहुँच ग्राहक की ओर से या उसके द्वारा की गई, समझी गई और खुली पहुँच ग्राहक पर आबद्धकर मानी जाए;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी और कार्रवाई करेगा; ऐसी और लिखतों तथा दस्तावेजों का निष्पादन एवं परिदान करेगा और साधारणतया ऐसी सभी बातें करेगा, जो करार में अनुध्यात संव्यवहारों को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हों;

(च) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस करार का निष्पादन, परिदान अथवा अनुपालन के कारण अनुज्ञप्तिधारी के निगमन प्रमाणपत्र या उप–विधियों, या किसी करार या अन्य दस्तावेज़, विधि, नियम, विनियम, आदेश, निर्णय या डिक्री जिसमें अनुज्ञप्तिधारी एक पक्ष है या जिससे वह आबद्ध अथवा प्रभावित होता है, में न कोई विवाद या व्यतिक्रम कारित होगा और न ही उनके अधीन किसी अधिकार को त्वारित किया जाएगा या उसका वंचन होगा, न ही किसी प्रकार का धारणधिकार, भार अथवा विल्लंगम सृजित होगा ।

अनुच्छेद–11—लेखा व वित्तीय व्यवस्था :

11.1 खुली पहुंच ग्राहक अपने समस्त कामकाज के पूर्णतः सही लेखा–अभिलेख रखेगा तथा ऐसे समस्त अभिलेखों को सामान्य एवं समस्त कार्य समय में, पर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर, ताकि खुली पहुँच ग्राहक के कामकाज में बाधा न पड़े, दोनों पक्षों के सम्यक् रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखेगा।

11.2 खुली पहुँच ग्राहक की वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण खुली पहुँच ग्राहक के व्यय पर, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से, चयनित स्वतन्त्र लेखा फर्म द्वारा किया जाएगा।

11.3 अनुज्ञप्तिधारी, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तैयार किये जाने वाले प्रपत्र में, मासिक लेखा लेखा प्रतिवेदन पक्षों का भेजेगा ।

अनुच्छेद–12—क्षतिपूर्ति एवं सीमित दायित्व :

खुली पहुँच ग्राहक अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूरित रखने को सहमति देता है तथा बचन देता है कि वह, उनके सिवाय जो अन्ततः किसी न्यायक कार्यवाही में अनुज्ञप्तिधारी को घोर उपेक्षा या उसके जानवूझकर अवचार से उदभूत हुए पाए गए हों, सभी दावों, नुकसानियों, शास्तियों, निर्णयों, दायित्वों, हानियों या इस करार से या उसके सम्बन्ध में, जिसमें प्रणाली प्रचालक के कृत्यों के निर्वहन से होने वाली हानि व नुकसानी भी है, उदभूत दावों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा किए गए खर्चे से (जिनमें अटार्नी की युक्तियुक्त फीसे, न्यायालय खर्चे तथा संवितरण भी सम्मिलित हैं) अनुज्ञप्तिधारी मुक्त रखेगा ।

अनुच्छेद–13—पक्षों की चूक तथा उसके परिणाम :

13.1 पक्षों की चूक और उनके परिणाम निम्नलिखित होंगे :—

(i) बिना विवाद के खुली पहुँच ग्राहक द्वारा भुगतान में विफलता :
अनुच्छेद 7 में कोई बात होते हुए भी, यदि खुली पहुँच ग्राहक उन परिस्थितियों को छोड़कर जब देयकों के हिसाब में कोई वीजक त्रुटि हो, भुगतान करने में विफल रहता है, तो

अनुज्ञप्तिधारी को चूक के लिये यह सूचित करते हुए कि खुली पहुंच ग्राहक ने अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की बाध्यताएं पूरी करने में चूक की है और उसे देयकों की बकाया राशि के (मय ब्याज) भुगतान, विहित समय सीमा के भीतर, करने का अवसर देगा। यदि इस सूचना के अनुसार खुली पहुंच ग्राहक भुगतान नहीं करता है, तो बिना किसी और कार्रवाई के अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह एक पक्षीय रूप में खुली पहुँच ग्राहक के लिए मन्जूर अपनी सेवाएं बन्द कर दे और या/करार को निरस्त कर दे। खुली पहुंच ग्राहक को यदि देयकों के हिसाब में वीजक त्रुटि दिखाई दे, तो देयक प्राप्त होने के ..... दिनों के अन्दर लिखित आपत्ति दर्ज कराना होगा।

(ii) खुली पहुंच ग्राहक के विहित तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने पर :—

खुली पहुंच ग्राहक के आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित व स्वीकृत तकनीकी अपेक्षाओं के पालन में विफल रहने के कारण यदि ग्रिड की ऊर्जा गुणवता अथवा सुरक्षा प्रभावित हो, या विद्युत ग्रिड प्रणाली के कामकाज या प्रबन्धन में कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह खुली पहुंच ग्राहक को मन्जूर अपनी सेवाएं तुरन्त बन्द कर दें।

अनुच्छेद–14—अन्य अपेक्षाओं का अननुपालन :

14.1 किसी पक्ष द्वारा किन्हीं अपेक्षाओं (करार में विशेष रूप में उल्लिखित अपेक्षाओं के सिवाय) अनुपालन में विफल रहने पर "व्यतीक्रम न करने वाला पक्ष" दूसरे पक्ष (व्यतीक्रम करने वाले पक्ष) को अनुपालन का विवरण देते हुए तथा अननुपालन का 15 दिन में उपचार करने की अपेक्षा करते हुए सूचना भेजेगा । यदि पक्षों में आपसी सहमति है तो वह उक्त मामले पर बैठक और चर्चा भी कर सकते हैं ।

14.2 यदि व्यतीक्रम करने वाला पक्ष सूचना में दी गई अवधि में अननुपालन का उपचार करने अथवा व्यतीक्रमण न करने वाले पक्ष को उपचार योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो व्यतीक्रम न करने वाले पक्ष को करार के निबन्धनों के अनुसार, करार की समाप्ति की माँग करने का अधिकार होगा ।

14.3 अनुज्ञप्तिधारी यह मानता है कि वितरण सेवाओं में उसे एकाधिकार प्राप्त है । यदि अनुज्ञप्तिधारी इस करार के निबन्धनों को अनुपालन में और या उसके अन्तर्गत अपनी बाध्यताएँ पूरी करने में असफल रहता है, तो खुली पहुँच ग्राहक को आयोग से उक्त करार के विनिर्दिष्ट पालन हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा । खुली पहुँच ग्राहक का ग्रह अधिकार, उसके विधिनुसार अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगा ।

अनुच्छेद–15––करार की कालावधि तथा पर्यवसान :

15.1 इस करार का स्वरूप, इसके पारस्परिक उद्देश्यों एवं अनुबन्धों का ध्यान रखते हुए, चिरस्थायी है और इसकी निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा तथा तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इस करार के निबन्धनों के अनुसार पर्यवसान नहीं कर दिया जाता।

15.2 पूर्ववर्ती भंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी पक्ष को, निम्न घटनाओं के घटित होने पर, स्वविवेकानुसार, से इस करार को पर्यवसान करने का अधिकार होगा :–

(क) यदि किसी पक्ष का दिवाला निकल जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है या स्वैच्छिक या अनिवार्य समापन की स्थिति (केवल विलय या पुनर्गठन को छोड़कर) उत्पन होती है, तो दूसरे पक्ष द्वारा 30 दिन की लिखित सूचना देने के बाद ;

(ख) यदि किसी पक्ष की सम्पत्ति पर करस्थम् या कुर्की की कार्यवाही हो या उसके कारवार अथवा सम्पत्ति या आस्तियों के सारभूत भाग के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त हो या यदि ऋण के परिणामस्वरूप कोई समान कार्रवाई की जाती है, तो दूसरे पक्ष द्वारा 60 दिन की लिखित सूचना देने पर;

(ग) ऐसी परिस्थिति में जब सरकार द्वारा किसी पक्ष की अस्तियों अथवा पूंजी स्टाक के सारभूत भाग का स्वत्वहरण/राष्ट्रीयकरण या जब्ती हो, तो दूसरे पक्ष द्वारा 60 दिन की लिखित सूचना देने पर ;

(घ) यह दर्शाते हुए कि अनुच्छेद 13 के अनुसार सूचना भेजने पर भी खुली पहुँच ग्राहक, वीजक में माँगी गई राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचना भेजने पर ;

(ङ) यदि किसी पक्ष ने इस करार के निबन्धनों को भंग किया है और दूसरे पक्ष द्वारा सूचना भेजने से 60 दिन के भीतर उन पक्षों, जिन्होंने भंग नही किया है, की युक्तियुक्त सन्तुष्टि के अनुसार उपचार नहीं किया गया हो, तो दूसरे पक्ष उस पक्ष को, जिसने भंग किया है, सूचना देने पर ;

(च) यदि भारत में किसी प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा निर्देश अथवा आदेश जारी होता है, अथवा किसी लागू अधिनियम, नियम तथा विनियम में कोई परिवर्तन आता है या सरकार की नीति जिससे इस करार के अनुपालन में बाधा आती है, बनती है अथवा सार्थिक रूप में ह्रास होता है या प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया किसी भी पक्ष के अधिकार के विस्तार एवं प्रयोग, जिससे इसके उद्देश्यों की प्रभावशाली पूर्ति असंभव होती है, तो दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देने पर ;

(छ) दूसरे पक्षों को, कम से कम 180 दिन की, इस आशय की अग्रिम सूचना कि कोई भी पक्ष इस करार का पर्यवसान चाहता है, देने पर ।

15.3 करार का पर्यवसान किसी भी पक्ष को पर्यवसान की तारीख के पूर्व की बाध्यताओं एवं दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

15.4 इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुपालन में आवश्यक सरकारी या वैधिक मन्जूरियों अभिप्राप्त करने हेतु पक्ष अपेक्षित तत्काल जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे।

15.5 पूर्वगामी उपबन्ध किसी भी पक्ष को, किसी दूसरे पक्ष के तात्विक भंग के सम्बन्ध में उपचार अथवा इस करार के अन्तर्गत किसी कृतव्य अथवा बाध्यता निभाने में असफलता पर, किसी विधिक एवं साम्यापूर्ण उपचार से रोक नहीं सकता ।

अनुच्छेद–16—गोपनीयता :

16.1 सभी पक्ष वचन करते हैं कि संव्यवहार में वे पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेंगे व दूसरे पक्ष के पूर्व अनुमति के बिना, सिवाए उन परिस्थितियों में जबकि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण सरकारी प्राधिकारी से तथा/या उसके अपने विधिक सलाहकारों की किसी प्रकार की

मन्जूरी अभिप्राप्त करने हेतु आवश्यक हो, या उससे दूसरे पक्ष को बड़ा नुकसान होता हो, कोई भी जानकारी, जो दूसरे पक्ष के हित को प्रभावित करती हो, को प्रकट नहीं करेगा।

16.2 किसी भी पक्ष या उसके प्रतिनिधि को लिखित रूप में दी गई कोई भी जानकारी, जिसे गोपनीय जानकारी के रूप में परिलक्षित किया गया है, को गोपनीय रखा जाएगा और उसे सिवाय उन परिस्थितियों में जब यह इस करार के अनुपालन हेतु या उसके बारे में आवश्यक मन्जूरियाँ अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा । पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी गोपनीयता की शर्त उन परिस्थितियों में मान्य नहीं होगी जब ऐसी जानकारी, प्राप्तकर्ता दोष के बिना, आम जनता के अधिपत्य में आती हो, या इस करार के अधीन प्राप्तकर्ता को, उसकी पूर्व जानकारी हो, या किसी विधि नियम, विनियम, विधिक प्रक्रिया या अधिकारिता रखने वाले न्यायालय व सरकारी उपक्रम द्वारा अपेक्षित हो; परन्तु ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा इसकी अग्रिम सूचना दूसरे पक्ष को, यथाशीघ्र देगा ताकि जहाँ तक विधिपूर्ण हो, जानकारी प्रकट करने वाला पक्ष, जानकारी प्रकटीकरण सम्बन्धित संरक्षणों एवं अपवादों का लाभ उठा सके ।

अनुच्छेद–17—दावों का अधित्यजन :

17.1 कोई भी पक्ष अप्रत्यक्ष, परिणामिक आर्थिक, दाण्डिक अन्य समान नुकसान के लिये, जो इस करार से उदभूत हो या किसी तरह इससे सम्बन्धित हो, दूसरे पक्ष को उत्तरदायी नहीं होगा ।

17.2 किसी भी एक पक्ष द्वारा इस करार के अन्तर्गत दूसरे पक्ष की एक त्रुटि या भंग के बारे में अपने अधिकारों का अधित्यजन इस प्रकार की अन्य त्रुटि या भंग होने पर अधिकार का अधित्यजन नहीं माना जाएगा । किसी भी अधिकार को लागू करने या कानूनी कार्यवाही हेतु समय सीमा में थोड़ा भी विलम्ब छूट अधित्यजन नहीं मानी जाएगी।

17.3 करार से उदभूत बाध्यताओं तथा कर्तब्यों के निर्वहन में सभी पक्ष अपनी ओर से पूर्ण सतर्कता तथा सावधानी बरतेंगे।

अनुच्छेद–18—समनुदेशन का अधिकार नहीं :

खुली पहुँच ग्राहक विक्रेता की लिखित पूर्व अभिव्यक्त सहमति के बिना इस करार को या अन्य पुष्टि करार को या उनके अन्तर्गत अपने अधिकार या दायित्वों को न ही बेचेगा, सौंपेगा या हस्तान्तरित करेगा । समनुदेशी या अन्य अंतरिता, विक्रेता की हस्तान्तरण के लिए सहमति की तारीख से तथा उसके पश्चात् से सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों को धारित करेगा । परन्तु इसके कारण खुली पहुँच ग्राहक करार के अधीन अपने दायित्व या कर्तव्यों से मुक्त नहीं होगा जब तक लिखित सहमति में अथवा समनुदेशन, अभिहस्तांतरणपत्र तथा हस्तान्तरण दस्तावेजों में इसका विषय रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो। जब तक कि सभी पक्ष विशेष रूप में अन्यथा सहमत न हों, हस्तान्तरण के पूर्व के सभी कर्तव्य एवं दायित्वों के लिए पूर्व पक्ष ही उत्तरदायी होंगे ।

अनुच्छेद–19—अपरिहार्य घटनाएं :

19.1 यदि कोई पक्ष इस करार के अधीन अपने दायित्व निभाने में किन्ही कारणों से, निवारित होता है जो कि उस पक्ष के युक्तियुक्त नियन्त्रणाधीन नहीं है, जैसे कि परन्तु यहीं तक सीमित नहीं है, या प्रभावित पक्ष की किसी शर्त अथवा स्थिति या जिसके कारण उसके कार्य करने के साधन विफल होते हैं या विफल होने का भय हो, इनमें बाढ़, भूकम्प, तूफान, अग्नि, आसमानी बिजली का गिरना, महामारी, युद्व, बलवा, नागरिक शांति भंग या सविनय अवज्ञा, श्रमिक विवाद, श्रमिकों या सामग्री की कमी, भीतरघात अथवा न्यायालय या सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी सम्मिलित हैं अथवा संबन्धित पक्ष द्वारा पर्याप्त सावधानी वरतने पर भी सरकारी अभिकरण अथवा प्राधिकरणों से मन्जूरियाँ तथा स्वीकृतियाँ, जिनकी उस पक्ष की युक्तियुक्त सतर्कता बरतने पर अभिप्राप्ति की प्रत्याशंका नहीं की जा सकती हो, या उनमें आने वाली कठिनाईयों पर युक्तियुक्त सावधानी से नियन्त्रण करने में विफल है, प्राप्त न होने के कारण करार का अनुपालन न हो रहा हो तो, ऐसे समय उस पक्ष को तब तक मुक्त रखा जाएगा, जब तक ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहती हैं; परन्तु यदि उक्त परिस्थिति बनी रहती है और पक्ष द्वारा दायित्व पूरा करने में रूकावट एक माह से अधिक अवधि तक जारी रहती है, तो दूसरा पक्ष उसे लिखित सूचना दे कर करार के पर्यवसान के लिए कह सकता है ।

19.2 यदि कोई भी पक्ष अपरिहार्य घटना के घटित होने के करार के अनुपालन में व्यवधान आने पर अपना दायित्व निभाने में विफल रहता है, तो उसे उसकी सूचना घटना के घटित होने के 24 घंटे के अन्दर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा देनी होगी ताकि वह तीन कार्य दिवसों की कालावधि में अपरिहार्य घटना और स्थिति से, यशाशीघ्र, निपटने का युक्तियुक्त तत्परता से प्रयास करे ।

19.3 आपातकालीन स्थिति की अवधि लगातार तीन माह से अधिक होने पर आपातकालीन स्थिति से छूट की मांग न करने वाला पक्ष तीन मास की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् 30 दिन की सूचना देने के बाद वितरण सेवाऐं बन्द कर सकेगा ।

अनुच्छेद–20—सूचनाएं :

20.1 सभी प्रकार की सूचनाएं देयक, भुगतान तथा अन्य पत्राचार लिखित में भेजने वाली व्यक्ति द्वारा अथवा सम्यक् रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित मेल, डाक द्वारा (डाक टिकट अग्रिम लगाकर भेजे जाएंगे तथा इनकी प्रतिरूप निम्नलिखित पते पर या अन्य पते पर जो इस अनुच्छेद अनुसार पूर्व में सम्यक् रूप में सूचित किया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकेगा।

यदि खुली पहुँच ग्राहक को

.....

.....

यदि अनुज्ञप्तिधारी को

.....

.....

20.2 इस अनुच्छेद के अनुसार दी गयी सूचनाएं निम्नलिखित रूप में दी हुई मानी जाएँगी :—

(क) यदि व्यक्तिगत रूप से भेजी गई हो, तो प्राप्ति की तारीख से ;

(ख) यदि डाक द्वारा भेजी गई हो, तो डाक विभाग में लिफाफा देने के 6 दिन की अवधि के अवसान पर ;

(ग) यदि प्रतिरूप भेजकर सूचना दी गई हो, तो पारेषण किए जाने की प्राप्ति पुष्टि के उपरांत ।

अनुच्छेद–21––पृथक्करणीय उपबन्ध :

जहाँ तक संभव हो, इस करार के सभी प्रावधानों का अर्थ इस प्रकार से निकाला जाएगा कि वे लागू कानून के अधीन वैध और प्रभावी हों, परन्तु यदि करार के कोई प्रावधान लागू कानून के अधीन अवैध या प्रतिबन्धित हों, तो उन प्रावधानों के केवल वे अंश उस हद तक ही जिस तक वे प्रतिबन्धित अथवा अवैध हैं, बाकि प्रावधानों को प्रभावित किये बिना अप्रभावशाली होंगे और अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे । ऐसी स्थिति में सभी पक्ष आपसी विचार–विमर्श कर सदभावपूर्वक, ऐसे विधिमान्य, विधिक तथा प्रवर्तनीय उपबन्ध, जो करार करने वाले पक्षों की आशय पूर्ति हेतु अधिकतया अनुरूप हों, बना सकेंगे ।

अनुच्छेद–22––सम्पूर्णता :

इस करार की विषयवस्तु के बारे में, यह करार तथा इसकी सभी अनुलग्नक पक्षकारों के सम्पूर्ण करार को उपदर्शित करते हैं तथा इसके पूर्व के और सभी समकालीन करार व्यपदेशन और लिखित अथवा मौखिक बाध्यताएँ निष्प्रभावी होंगी। इस करार के और उसके साथ के अनुलग्नकों या अनुसूचियाँ में यदि विसंगति हो, तो करार के प्रावधान हावी होंगे ।

अनुच्छेद–23––न्यायिक अधिकार :

जब तक इस करार में विशेष रूप में अन्यथा उपबन्धित न हो, तब तक सभी पक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य की अदालतों के अनन्य न्यायिक अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।

अनुच्छेद–24––विवाद समाधान :

24.1 इस करार में अन्यथा विशेष रूप में उपबन्धित के सिवाय, सभी पक्ष इस करार सम्बन्ध में किसी भी विवाद, संविवाद, दावा या भंग (जिसमें इस करार का अस्तित्व अथवा

विधिमान्यता भी है) जो इस करार के अनुपालन में आती हो या इसके कारण उत्पन्न होती हो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से विचार–विमर्श कर निपटाएंगे । यदि फिर भी आपसी सोहार्दपूर्ण समझौता से निपटारा नहीं होता है, तो किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 60 दिन की सूचना देने के बाद अनुच्छेद 24.2 में यथा उपबन्धित मामला माध्यस्थम द्वारा अवधारित करने के लिए आग्रह किया जा सकेगा ।

24.2 उन विवादों, जिनके समाधान हेतु इस करार, अधिनियम या विनियमों में विशेष रूप से उपबन्धित है के सिवाय, इस करार के अधीन या उसके सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद उद्भूत होता है, तो उसका समाधान आयोग द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा ।

24.3 माध्यस्थम के लिये कार्यालय शिमला में होगा व समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में होगा ।

24.4 सभी पक्ष, अन्तिम आदेश के अध्यधीन रहते हुए, माध्यस्थतम के खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अनुच्छेद–25—जोखिम की धारणा :

प्रत्येक पक्ष इस करार से (1) कार्य की जोखिम (2) लाभ एवं बाध्यताओं की अनिश्चितता (3) जोखिम एवं अनिश्चितता की धारणा को स्वीकार करता है । प्रत्येक पक्ष ने इस करार को निष्पादित करने से पूर्व अपनी सम्यक् तत्परता वरती है और उन सभी करारों, कार्य योजनाओं, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य लिखित सामग्री, जो ऐसे पक्ष की राय में उप पक्ष के लिये करार निष्पादित करने का आधार हो सकती है, की माँग की है और उनको पुनर्विलोकित कर लिया है । अपनी व्यवसाय की वित्तीय व्यवस्था व अन्य दस्तावेजों की पर्याप्त जांच कर ली है ।

अनुच्छेद–26—उपान्तरण :

इस इकरारनामें के किसी भी प्रावधान में इसमें निहित व्यवस्था को अपनाए बिना कोई भी उपान्तरण अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा । यदि कोई पक्ष इकरारनामें के निबन्धनों में कोई उपान्तरण चाहता है, तो वह यह सुनिश्चित करने हेतु कि यह सुसंगत होगा या विनियामक व वैद्यक प्रावधानों के समरूप होगा, सभी पक्ष इस के लिए परामर्शक प्रक्रिया,

जिसमें पक्ष बैठकें करेंगे और उक्त विवाद्यकों पर विचार विमर्श करेंगे, प्रारम्भ करेंगे । यदि सभी पक्ष प्रस्तावित उपान्तरण अथवा संशोधन के लिये सहमत न हों, तो वे यह विवाद किसी स्वतन्त्र विशेषज्ञ, जो उस पर अपना निर्णय देगा, को सौंपेंगे । फिर भी सभी पक्ष आपसी लिखित सहमति से इकरारनामें में उपान्त्रण कर सकते हैं ।

अनुच्छेद–27—शीर्षक :

इस इकरारनामें में दिये गये अनुच्छेद, पैरे तथा अन्य शीर्षक केवल सुविधा के लिये दिए गए हैं और वे इकरारनामें में विस्तार या आशय को परिभाषित या सीमित नहीं करते हैं।

अनुच्छेद– 28—प्रतिरूप :

28.1 यह इकरारनामा कितने भी प्रतिरूप में निष्पादित किया जा सकेगा एवं सभी प्रतिरूप एक ही अभिलेख माने जावेंगे ।

28.2 प्रारम्भ में ऊपरलिखित तारीख को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों के सम्यक् रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा यह इकरारनामा निष्पादित किया गया :–

खुली पहुँच ग्राहक	अनुज्ञप्तिधारी
द्वारा	द्वारा
नाम.....	नाम.....
पता.....	पता.....
तारीख.....	तारीख.....
गवाह.....	गवाह.....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 2nd *June*, 2005

No. HPERC/418.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of powers conferred by section 181 read with sections 39, 40, 42, and clause (*c*) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. *Short title, commencement and extent.*—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall apply to open access for use of intra-State transmission system and/or distribution system of the licensees in the State of Himachal Pradesh, including when such system is used in conjunction with the inter State transmission system.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(2) "allotted transmission capacity" means the quantity of power measured in Mega Volt Amperes allowed to be transferred between the specified point(s) of injection and point(s) of drawl by an open access customer

on the intra-State transmission system and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;

(3) "applicant" means a person who makes an application for availing open access to any transmission and/or distribution system within the State in accordance with these regulations;

(4) "captive generating customer" means a person who has constructed a captive generating plant and maintains and operates such plant and requires open access for the purpose of carrying electricity from his captive generating plant to the destination of his use;

(5) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(6) "day" means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;

(7) "distribution customer" means any person, including open access customer using distribution system of a distribution licensee;

(8) "grid code" means the grid code specified by the Central Commission under clause (*h*) of sub-section (1) of section 79 of the Act and includes the State Code specified by the State Commission under clause (*h*) of sub-section (1) of section 86 of the Act;

(9) "guidelines and procedures" means the guidelines and procedures for open access laid down by the nodal agency under regulations 8 and 27 of these regulations;

(10) "month" means a calendar month as per the British calendar;

(11) "nodal agency" means the State Transmission Utility for arranging the long-term transmission and distribution open access and the State Load Despatch Centre for arranging the short-term transmission and distribution open access;

(12) "open access customer" means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the distribution

licensee of his area of supply, or a generating company (including captive generating plant) or a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;

(13) "open access in distribution" means the non-discriminatory provision for the use of the distribution system and associated facilities by any licensee or customer or person engaged in generation, in accordance with these regulations;

(14) "open access in transmission" means the non-discriminatory provision for the use of the transmission system and associated facilities by any licensee or customer or person engaged in generation, in accordance with these regulations;

(15) "reserved distribution capacity" means the power transfer in MW/MVA between the specified point(s) of injection and point(s) of drawl allowed to a short-term open access customer on the distribution system depending on availability of distribution capacity and the expression "reservation of distribution capacity" shall be construed accordingly;

(16) "reserved transmission capacity" means the power transfer in MW/MVA between the specified point(s) of injection and point(s) of drawl allowed to a short-term open access customer on the transmission system depending on availability of transmission capacity and the expression "reservation of transmission capacity" shall be construed accordingly;

(17) "Schedule" means the Schedule to these regulations;

(18) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(19) "Supply Code" means the Supply Code specified by the Commission under section 50 and clause (*x*) of sub-section (2) of section 181 of the Act;

(20) "transmission customer" means any person, including the open access customer using transmission system of a transmission licensee; and

(21) other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning as are assigned to them in the Act.

CHAPTER–II
INTRA-STATE TRANSMISSION OPEN ACCESS

3. *Special provisions for existing transmission open access customers.*—(1) The existing customers and the generating companies availing open access to the intra-State transmission system in the State under an existing agreement, or arrangement, shall be entitled to continue to avail the open access on the terms and conditions applicable to them as before for the period of the existing agreement or arrangement, subject to the payment of the transmission charges, and the applicable surcharges as may be determined by the Commission from time to time :

Provided that the existing customers and the generating companies availing open access shall submit to the nodal agency, the details of capacity utilized, point of injection, point of drawl, duration of availing open access, peak load, average load or such other information as the nodal agency may require, within 45 days from the commencement of these regulations.

(2) The nodal agency shall ensure continued availability of transmission and/or distribution capacity as applicable to the existing licensees or generating companies under the existing agreements :

Provided that the issues not forming part of the existing agreements shall be regulated by these regulations.

4. *Categorisation of open access transmission customers.*—(1) The open access transmission customers shall be divided into two categories based on the duration of the use of the intra-State transmission system, namely :—

(*a*) the long-term open access customers, and

(*b*) the short-term open access customers.

(2) The person availing or intending to avail open access for a period of 5 years or more shall be the long-term open access customer :

Provided that the existing beneficiaries of the State transmission system owned and operated by the State Transmission Utility shall be deemed to be the long-term open access customers 'for a period of five years' for the State transmission system, owned or operated by the State Transmission Utility, for the purpose of these regulations.

(3) The transmission customers other than the long term open access customers shall be the short term open access customers.

5. *Criteria for allowing open access in transmission.*—(1) The long term open access shall be allowed in accordance with the grid code.

(2) The short term open access shall be allowed if request can be accommodated by utilizing—

(*a*) inherent design margins;

(*b*) margins available due to variation in power flows;

(*c*) margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth; and

(*d*) margins available due to unutilized transmission capacity by the long term open access customer.

6. *Criteria for allotment and reservation of transmission capacity.*—(1) Allotment priority of a long term customer shall be higher than reservation priority of a short term customer.

(2) Amongst the short term open access customers, a transmission licensee shall, where the Commission in its discretion determines that it would be in the public interest to do so, and such discretion is exercised by the Commission either generally or specifically, have priority over any other short term open access customer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), every person who has established captive generating plant and maintains and operates such plant shall have the right to open access for the purpose of carrying electricity from such captive generating plant to the destination of his use subject to the operational constraints.

(4) Within the category (long term or short term), there shall be no discrimination between open access customers and self use by the licensee.

(5) In case of transactions within the State, reservation of transmission capacity to the short term customer may be reduced or cancelled by the nodal agency

as such transactions, in the opinion of the nodal agency, cannot otherwise be implemented due to congestion in the transmission link within the State. If the nodal agency decides to reduce or cancel transmission capacity reserved for a short term open access customer under this sub-regulation, it shall, as soon as possible, intimate the short term open access customer concerned of its decision to reduce or cancel transmission capacity.

(6) The applications for grant of short term open access shall be processed only if such short term open access is commencing in the first month to the fourth month and is not ending beyond the fourth month, taking the month in which application is made as the first month.

(7) The applications for grant of short term open access received in a month for open access commencing and terminating in the month in which the application is made or received after the nineteenth day of a month for open access commencing and terminating in the following month shall be treated on first-come-first-served basis, and short term open access shall be granted subject to availability of the transmission capacity.

(8) All applications for short term open access, other than the applications for short term open access to be processed on first-come-first-served basis in accordance with sub-regulation (7), received upto the nineteenth day of a month shall be considered together on the twentieth day of that month for advance reservation and shall be processed in the manner given hereunder, namely :—

(*a*) the applications shall be analysed to check for congestion on any of the transmission corridors to be used for short term open access;

(*b*) in case the nodal agency does not anticipate congestion on any of the transmission corridors involved, the applicants shall be granted short-term open access for the quantum and duration sought, latest by the twenty fifth day of the month;

(*c*) if in the opinion of the nodal agency grant of short-term open access to all the applicants is likely to lead to congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short-term access for any duration, it shall inform the applicants of its opinion accordingly and the reasons therefor on or before the twenty-third day of the month;

(*d*) on receipt of intimation in accordance with clause (*c*) an applicant may reduce its requirement of transmission capacity during the period of congestion or opt for access only for the duration when no congestion is anticipated and in such a situation, he shall inform the nodal agency accordingly by the twenty fifth day of the month;

(*e*) if the nodal agency still anticipates congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short term open access, it shall invite electronic-bids for reservation of transmission capacity of the congested transmission corridor in accordance with regulation 10 of these regulations on the twenty-sixth day of the month. Non participation of an applicant in the bidding process shall be construed that he is no longer interested in open access and his application shall not be processed.

(9) In the event of a reserved transmission corridor subsequently becoming fully or partly vacant for certain duration in a month, the nodal agency shall display this information in public domain on its website.

(10) Except as provided in sub-regulation (4) and regulation 11, once open access has been granted, the long term customer or the short term customer shall not be replaced by any other person on account of a subsequent request received from such other person.

(11) The State Load Despatch Centre shall lay down a detailed procedure for reservation of transmission capacity to the short term open access customers after obtaining prior approval of the Commission, which shall include the detailed procedure for inviting bids, advance reservation, reservation on first-come-first-served basis, usage of alternate route through other regions if direct links between two regions are congested or constrained and any other residual matter.

(12) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Commission may, at any time, having regard to the necessity to promote and develop market in the State, review the priority accorded by this regulation to any category of open access customers.

7. *Declaration of long-term transmission open access customers.*—Every transmission licensee shall declare the existing long term customers using its transmission system either on its website or on the website of the State Transmission Utility latest by the thirtieth day of June, 2005.

8. *Procedure for seeking long term open access in transmission* .—(1) The customer seeking long term open access shall make an application to the nodal agency, in the format prescribed in Schedule-1.

(2) The application shall contain details regarding the purpose, the capacity needed the maximum number of units to be transmitted in the system at any point of time, the point(s) of injection, the point(s) of drawl, duration of availing open access, peak load, average load and any other additional information as may be required by the nodal agency.

(3) The nodal agency shall from time to time in consultation and with the approval of the Commission lay guidelines and procedures for open access in transmission.

(4) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of rupees one lakh payable in the name and in the manner laid down in the guidelines and procedures for open access in transmission.

(5) The nodal agency based on the system studies conducted in consultation with other agencies involved, shall assess the capacity available and the existence or absence of operational constraints in permitting open access and communicate within 30 days the decision, whether or not the long term open access be allowed without further system strengthening to the applicant in accordance with the guidelines and procedures laid down under sub-regulation (3) of this regulation :

Provided that where the long term open access can be allowed without further system strengthening, the open access shall be allowed immediately after entering into open access agreements.

(6) In the event the nodal agency is of the opinion that open access cannot be allowed without system strengthening or because of other operational constraints and further studies are required, the nodal agency shall seek the confirmation of the applicant to conduct such studies. On receipt of confirmation from the applicant, the nodal agency may carry out such studies to identify the scope of such additional work for the system strengthening and removal of operational constraints, the estimated cost, completion schedule and the probable date from which the open access can be allowed after carrying out the requisite works of the system strengthening and intimate results of the studies within 90 days of the receipt of the request from the applicant :

Provided that before carrying out the studies, the applicant shall deposit with the nodal agency 50% of the estimated cost of carrying out the studies and before the open access is granted the applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for the system strengthening studies.

(7) The Commission shall, on the recommendations of the nodal agency and depending on the usefulness of the studies carried out under sub-regulation (6), allow the cost incurred to be included as a permissible expense in the Annual Revenue Requirement of the licensee :

Provided that where the Commission directs the costs to be included as permissible expense in the Annual Revenue Requirement of the licensee, the amount deposited under sub-regulation (6) shall be refunded by the licensee to the applicant within 15 days.

(8) The Commission may, at its own discretion or on the recommendations of the nodal agency, undertake such other studies as it may consider necessary for the development of the open access at a cost to be incurred by the transmission licensee, which may be allowed as a pass through while determining their Annual Revenue Requirement.

(9) In order to allow open access in cases where system strengthening is involved, the Commission may direct the licensee to include the estimated cost of such works in their annual investment plan to be submitted to the Commission for its approval :

Provided that before carrying out the works, the applicant shall deposit with the licensee, 50% of the estimated cost of carrying out the works and before the open access is granted, the applicant shall re-imburse the actual expenditure incurred by the licensee for the system strengthening :

Provided further that if the system strengthening works are intended to benefit the individual customer, the licensee shall have the right to recover the expenditure reasonably incurred :

Provided further that where the system strengthening works are included in the investment plan of the licensee, the interest expenditure on investment plan for system strengthening works shall be allowed as a pass through.

(10) Subject to the provisions contained in regulation 11 of these regulations, the allotment of transmission capacity to a long term open access customer may be relinquished or transferred to any other long term open access customer.

9. *Procedure for short term open access.*—(1) The customer seeking short term open access shall file an application, as mentioned in sub-regulations (1), (2) and (3) of regulation 8.

(2) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of rupees five thousand, payable in the name and in the manner laid down in the guidelines and procedures for open access in transmission :

Provided that in case of application for open access on the date of the application or on the following day, the application fee may be deposited within next three working days of making of application.

10. *Bidding process for short term open access in transmission.*—(1) The floor price for bidding shall be the ST_RATE determined in accordance with regulation 15 of these regulations.

(2) The bidders shall quote price in terms of the floor price.

(3) No bidder shall be allowed to quote price which is more than five times the floor price.

(4) Reservation of transmission capacity shall be made in decreasing order of the price quoted.

(5) In case of equal price quoted by two or more bidders, the reservation of transmission capacity shall be made pro rata to the transmission capacity sought to be reserved.

(6) The short term customer getting reservation for capacity less than the capacity sought by him shall pay the charges quoted by him and the short term customer getting transmission capacity reservation, equal to the capacity sought to be reserved, shall pay the charges quoted by the last customer getting reservation of the transmission capacity.

11. *Exit option.*—(1) A long term customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the transmission open access agreement, without prior approval of the Commission.

(2) The relinquishment or transfer of rights and obligations by a long term open access customer shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

(3) The reserve transmission capacity shall not be transferred by a short term open access customer to any other customer.

12. *Determination of capacity.*—(1) The availability of capacity in the intra-State transmission system including existence or absence of operational constraints affecting open access being allowed shall be determined by the nodal agency in consultation with other agencies involved and also after considering the submissions made by the transmission licensees and the person seeking open access.

(2) In the event of any dispute in the matter of operational constraints in transmission system, on the determination of capacity under sub-regulation (1), the same shall be referred by the nodal agency to the Commission for its decision.

(3) (*a*) The Commission may, while deciding the dispute under sub-regulation (2) or otherwise, by a general or special order made from time to time, lay down the conditions to be complied with by the persons seeking open access and the open access shall be allowed only subject to the due satisfaction of such conditions.

(*b*) The conditions to be satisfied may include construction, operation or maintenance of dedicated electric lines or works from the sub-stations or feeder lines or undertaking such other works as the Commission may decide as necessary to allow open access without operational constraints.

13. *Non-utilisation of reserved transmission capacity by short term customer.*—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the open access agreement between the licensee and open access customer, in case a short term open access customer is unable to utilise, full or substantial part of the transmission capacity, he shall inform the nodal agency alongwith reasons for his inability to utilise the reserved transmission capacity and may surrender the reserved transmission capacity.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the nodal agency may on its own reduce or cancel the reserved transmission capacity of a short term open access customer when such a short term customer frequently under utilises the reserved transmission capacity :

Provided that the reserved transmission capacity shall not be reduced or cancelled under this sub-regulation without a prior notice to the short-term open access customer whose reserved transmission capacity is sought to be reduced or cancelled.

(3) The short term customer, who has surrendered the reserved transmission capacity under sub-regulation (1) or whose reserved transmission capacity has been reduced or cancelled under sub-regulation (2), shall bear the transmission charges and the operating charges based on the original reserved transmission capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation, the expression "operating charge" shall have the same meaning as assigned to it under sub-regulation (3) of regulation 15.

(4) The transmission capacity becoming available as a result of surrender by the short term open access customer under sub-regulation (1) or as a result of reduction or cancellation of the reserved transmission capacity by the nodal agency under sub-regulation (2), may be reserved for any other short term open access customer in accordance with these regulations.

14. *Curtailment priority.*—(1) When because of operating constraints, force majeure events, or otherwise, it becomes necessary to curtail the transmission service of the transmission customers, the short term open access customers shall be curtailed first followed by that of the long term open access customers and thereafter the captive generators :

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and the transmission service shall be curtailed pro rata to the allotted transmission capacity in the case of long term open access customers and the reserved transmission capacity in the case of short term open access customers.

(2) In case of curtailment of more than 50% of the reserved transmission capacity by the nodal agency on any particular day on account of operating constraints, the transmission charges for that day shall be payable by the open access customers on pro rata basis in accordance with the transmission capacity actually provided.

Explanation—For the purpose of this regulation, the expression "operating constraints" shall include the availability of the adequate capacity in the transmission

system, appropriate metering and energy accounting system where the electricity to be transmitted can be correctly measured and accounted for and such other factors which may have an impact on the transmission licensees' business of supplying electricity to consumers in the area of supply.

15. *Charges for open access in transmission.*—(1) The open access customers shall pay the transmission charges, operating charges, unscheduled inter-change charges, reactive energy charges, surcharge and penal charges for wrongful use of the transmission system as the Commission may, in exercise of its powers under sections 61, 62, 86 and other provisions of the Act, determine from time to time as a part of tariff or otherwise decide or authorize the licensee.

(2) The Commission may, while determining the charges for open access to the transmission system, provide for adjustment of losses in the system.

(3) *Operating charge.*—(*a*) A composite operating charge @ Rs.1,000/- per day or part of the day shall be payable by a short term customer for each transaction to the State Load Despatch Centre.

Explanation.—The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bonafide grounds and collection and disbursement charges.

(*b*) The operating charge collected by the nodal agency under this regulation shall be in addition to the fees and charges specified by the Commission under sub-section (3) of Section 32 of the Act.

(*c*) The operating charge shall be payable by a generating company when it is granted short term access under these regulations.

(4) *Unscheduled inter-change (UI) charges.*—(*a*) The mismatch between the scheduled and the actual drawl at drawl point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be met from the grid and shall be governed by UI pricing mechanism applicable to the intra-State transactions.

(*b*) A separate bill for UI charges shall be issued to the open access customers.

(5) *Reactive energy charges*.—(*a*) The payment and receipt of the reactive energy charges by the open access customers shall be calculated in accordance with the scheme approved by the Commission from time to time.

(*b*) The reactive energy drawls and injections by the open access customers shall be governed by the regulations applicable within the State.

(6) *Transmission charges*.—(1) The transmission charges for use of the transmission system of the transmission licensee for intra-State transmission shall be regulated as under, namely :—

(*i*) the annual transmission charges payable by a long term customer for use of the transmission system shall be determined in accordance with the terms and conditions of tariff notified by the Commission from time to time and after deducting the adjustable revenue received from the short term customers, these charges shall be shared by the long term customers;

(*ii*) where a transmission system has been established for exclusive use of an open access customer, the transmission charges for such dedicated system shall be borne entirely by such open access customer till such time surplus capacity, if any, is used for other persons or purposes;

(*iii*) in the event of any surplus capacity discussed in clause (*ii*) of being allotted/reserved to any other open access customer(s), the transmission charges payable by each open access customer would be on a pro rata basis of the capacity allotted/reserved to him;

(*iv*) the transmission charges payable by a short-term customer shall be calculated in accordance with the following methodology, namely:—

ST_RATE = 0.25 x [TSC/ Av_CAP]/ 365

Where :
ST_RATE is the rate for short-term customer in Rs. per MW/MVA per day.

Note:—

ST_RATE shall be calculated and applied for transmission system of the State Transmission Utility or any other transmission licensee forming part of the intra-State transmission system.

"TSC" means the annual transmission charges or annual revenue requirement on account of the transmission system for the previous financial year as determined by the Commission.

"Av_CAP" means the average capacity in MW/MVA served by the intra-State transmission system of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other long term transactions handled by the system of the transmission licensee;

(*v*) the transmission charges payable by a short-term customer in case of uncongested transmission corridor shall be levied as under, namely :—

(*a*) upto 6 hours in a day in one block = 1/4th of ST_RATE

(*b*) more than 6 hours and upto 12 hours in a day in one block = ½ of ST_RATE

(*c*) more than 12 hours and upto 24 hours in a day in one block = ST _ RATE;

(*vi*) non-determination of annual transmission charges for the transmission system shall not be a ground for delay in providing short term access and where annual transmission charges for any transmission licensee are not determined under the Act, ST _ RATE applicable for the system owned by the Central Transmission Utility of the region in which the system of transmission licensee is situate, shall be applied for determination of the charges for the short term customer;

(*vii*) every transmission licensee shall declare ST _ RATE, calculated in accordance with clause (*iv*), which shall remain fixed for a period of one year :

Provided that where reservation of transmission capacity has been done consequent to bidding in the manner specified in regulation 10 the ST_RATE shall be taken as the floor price for bidding;

(*viii*) if the transmission system belongs to the State Transmission Utility, 25% of the charges collected from the short term customers for use of its intra-State system shall be retained by the State Transmission Utility and the remaining part of these charges shall be adjusted towards reduction in the transmission charges payable by the long term customers.

16. *Surcharge.*—(1) In addition to the transmission charge, any open access customer, other than the captive generating customer, availing open access in transmission shall pay a surcharge specified by the Commission by regulations.

(2) The amount of surcharge shall compensate for the loss in the current level of cross-subsidy from the category of consumers to which the open access customer belongs and shall be paid to the respective transmission licensee of the area of supply.

(3) The surcharge and cross-subsidies shall be progressively reduced and eliminated in the manner as may be specified by the Commission by regulations.

17. *Time schedule for processing application.*—In addition to the time-schedule prescribed under regulation 6 for processing of applications for advance reservation, as far as practicable, the following time-schedule shall be adhered to by the respective nodal agency for processing the application for grant of open access, namely :—

Sr. No.	**Type of service/activity**	**Maximum processing time**
1.	Short term service **(for the period to be treated on first come first serve basis)**—	
	—Upto one week	two days
	—More than one week	three days
2.	Long term service—	
	—Intimation regarding feasibility of open access without system strengthening	thirty days
	—Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule	ninety days

18. *Day ahead transactions.*—(1) In the case of the day ahead transactions, the advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon and these payments can be made within 3 working days of making of application.

(2) A composite request for open access and scheduling shall be sent to the State Load Despatch Centre latest by 3.00 P.M. The State Load Despatch Centre shall take steps to incorporate the request for open access if the request can be accommodated without causing congestion.

(3) A composite request for open access and scheduling to utilize surpluses known after issuance of the first despatch schedule by the State Load Despatch Centre at 5.00 P.M., must be submitted to the State Load Despatch Centre latest by 10.00 P.M. or preferably earlier. The State Load Despatch Centre shall endeavor to incorporate the same in the revised despatch schedule to be issued by it, if the request can be accommodated without causing congestion.

19. *Same day transactions.*—(1) In the case of the same day transaction, the advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon and these payments can be made within 3 working days of making of application.

(2) In the event of emergency, the beneficiaries/buying utility may locate a source of power to meet short term emergency requirement on the same day and forward request for open access to the State Load Despatch Centre. The State Load Despatch Centre shall endeavor to accommodate such emergency requests as soon as and to the extent practically feasible.

CHAPTER-III
OPEN ACCESS IN DISTRIBUTION

20. *Eligibility for open access in distribution.*—The licensees and the generating companies including the persons who have established captive generating plant and other customers shall be eligible for open access to the distribution system of the distribution licensee in accordance with the phasing of open access as provided under regulation 26 and further subject to absence of operational constraints in the distribution system and also the payment of the wheeling charges as may be determined by the Commission from time to time :

Provided that in the event such open access is for the use by an open access customer including the conveyance or wheeling of electricity as required by any person for delivery to such customer in the area of supply of a distribution licensee in the State, the open access to the distribution system shall be subject to payment of a surcharge and the additional surcharge, as may be specified by the Commission, as provided under section 42 of the Act.

Explanation.—For the purpose of the open access under this regulation, the operational constraints in the distribution system shall include the availability of the adequate capacity in distribution system, appropriate metering and energy accounting system where the electricity to be wheeled can be correctly measured and accounted for and such other factors which may have an impact on the distribution licensees' business of supplying electricity to consumers in the area of supply.

21. *Special provisions for existing distribution open access customers.*— (1) The existing customers and the generating companies availing open access to the distribution system in the State under an existing agreement, or arrangement, shall be entitled to continue to avail the open access on the terms and conditions applicable to them as before for the period of the existing agreement or arrangement, subject to the payment of the wheeling charges and the applicable surcharges as may be determined by the Commission from time to time :

Provided that the existing customers and the generating companies availing open access shall submit to the nodal agency, the details of capacity utilized, point of injection, point of drawl, duration of availing open access, peak load, average load or such other information as the nodal agency may require, within 45 days from the commencement of these regulations.

(2) The nodal agency shall ensure continued availability of distribution capacity as applicable to the existing licensees or generating companies under the existing agreements :

Provided that the issues not forming part of the existing agreements shall be regulated by these regulations.

22. *Categorisation of distribution open access customers.*—(1) The distribution open access customers shall be divided into two categories based on the

duration of the use of the intra-State distribution system, namely :—

(*a*) the long term open access customers, and

(*b*) the short term open access customers.

(2) The person availing or intending to avail open access for a period of 5 years or more shall be the long term open access customer :

Provided that the existing beneficiaries of the distribution system owned and operated by the distribution licensee shall be deemed to be the long term open access customers 'for a period of five years' for the distribution system owned or operated by the distribution licensee for the purpose of these regulations.

(3) The distribution customers other than the long-term open access customers shall be the short term open access customers.

23. *Criteria for allowing open access in distribution.*—(1) The long term open access in distribution shall be allowed in accordance with the Distribution/Supply Code.

(2) The short term open access in distribution shall be allowed if request can be accommodated by utilizing—

(*a*) inherent design margins;

(*b*) margins available due to variation in power flows;

(*c*) margins available due to in-built spare distribution capacity created to cater to future load growth; and

(*d*) margins available due to unutilized distribution capacity by the long term open access customer.

24. *Criteria for allotment and reservation of distribution capacity.*—(1) Allotment priority of a long term customer shall be higher than the reservation priority of a short term customer.

(2) Amongst the short term open access customers, a distribution licensee shall, where the Commission in its discretion determines that it would be in the public interest to do so, and such discretion is exercised by the Commission either generally or specifically, have priority over any other short term open access customer.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), every person who has established captive generating plant and maintains and operates such plant shall have the right to open access for the purpose of carrying electricity from such captive generating plant to the destination of his use subject to the operational constraints.

(4) Within the category (long term or short term), there shall be no discrimination between open access customers and self use by the licensee.

(5) In case of transactions within the State, reservation of distribution capacity to the short term customer may be reduced or cancelled by the nodal agency as such transactions, in the opinion of the nodal agency, cannot otherwise be implemented due to congestion in the distribution link within the State. If the nodal agency decides to reduce or cancel distribution capacity reserved for a short term open access customer under this sub-regulation, it shall, as soon as possible, intimate the short term open access customer concerned of its decision to reduce or cancel distribution capacity.

(6) The applications for grant of short term open access shall be processed only if such short term open access is commencing in the first month to the fourth month and is not ending beyond the fourth month, taking the month in which application is made as the first month.

(7) The applications for grant of short-term open access received in a month for open access commencing and terminating in the month in which the application is made or received after the nineteenth day of a month for open access commencing and terminating in the following month shall be treated on first-come-first-served basis, and short term open access shall be granted subject to availability of the distribution capacity.

(8) All applications for short term open access, other than the applications for short term open access to be processed on first-come-first-served basis in accordance with sub-regulation (7), received upto the nineteenth day of a month shall be considered together on the twentieth day of that month for advance reservation and shall be processed in the manner given hereunder, namely :—

(*a*) the applications shall be analysed to check congestion on any of the distribution corridors to be used for short term open access;

(*b*) in case the nodal agency does not anticipate congestion on any of the distribution corridors involved, the applicants shall be granted short term open access for the quantum and duration sought, latest by the twenty fifth day of the month;

(*c*) if in the opinion of the nodal agency grant of short term open access to all the applicants is likely to lead to congestion in one or more of the distribution corridors to be used for short term access for any duration, it shall inform the applicants of its opinion accordingly and the reasons therefor on or before the twenty-third day of the month;

(*d*) on receipt of intimation in accordance with clause (*c*), an applicant may reduce its requirement of distribution capacity during the period of congestion or opt for access only for the duration when no congestion is anticipated and in such a situation, he shall inform the nodal agency accordingly by the twenty fifth day of the month.

(9) In the event of a reserved distribution corridor subsequently becoming fully or partly vacant for certain duration in a month, the nodal agency shall displa this information in public domain on its website.

(10) Except as provided in sub-regulation (4) and regulation 29, once open access has been granted, the long term customer or the short term customer shall not be replaced by any other person on account of a subsequent request received from such other person.

(11) The State Load Despatch Centre shall lay down a detailed procedure for reservation of distribution capacity to the short term open access customers after obtaining prior approval of the Commission, which shall include the detailed procedure for inviting bids, advance reservation, reservation on first-come-first-served basis, usage of alternate route through other regions if direct links between two regions are congested or constrained and any other residual matter.

(12) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Commission may, at any time, having regard to the necessity to promote and develop market in the State, review the priority accorded by this regulation to any category of open access customers.

25. *Declaration of long term distribution open access customers* .—Every distribution licensee shall declare the existing long-term customers using its distribution system either on its website or on the website of the State Load Despatch Centre latest by the thirtieth day of June, 2005.

26. *Phasing of open access in distribution.*—(1) Open access in distribution in the State shall be allowed to any open access customer or person in the following phases subject to the absence of the operational constraints and having regard to other relevant factors :—

Phases	**Contract demand**	**Date from which open access shall be allowed**
Phase I	5 MVA and above	10th June, 2005
Phase II	Above 2 MVA but not exceeding 5 MVA	1st April, 2006
Phase III	Above 1 MVA but not exceeding 2 MVA	1st April, 2007

(2) Based on the experience of open access in Phase I, the Commission may revise the phasing under sub-regulation (1) for allowing open access in subsequent phases.

27. *Procedure for seeking long-term open access in distribution.*—(1) The customer seeking long term open access shall make an application to the nodal agency, in the format prescribed in Schedule-I.

(2) The application shall contain details regarding the purpose, the capacity needed the maximum number of units to be transmitted in the system at any point of time, the point(s) of injection, the point(s) of drawl, duration of availing open access, peak load, average load and any other additional information as may be required by the nodal agency.

(3) The nodal agency shall from time to time in consultation and with the approval of the Commission lay guidelines and procedures for open access in distribution.

(4) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of rupees fifty thousand payable in the name and in the manner laid down in the guidelines and procedures for open access in distribution.

(5) The nodal agency based on the system studies conducted in consultation with other agencies involved, shall assess the capacity available and the existence or absence of operational constraints in permitting open access and communicate within 30 days of the decision, whether or not the long term open access be allowed without further system strengthening to the applicant in accordance with the guidelines and procedures laid down under sub-regulation (3) of this regulation :

Provided that where the long term open access can be allowed without further system strengthening, the open access shall be allowed immediately after entering into open access agreements.

(6) In the event the nodal agency is of the opinion that open access cannot be allowed without system strengthening or because of other operational constraints and further studies are required, the nodal agency shall seek the confirmation of the applicant to conduct such studies. On receipt of confirmation from the applicant, the nodal agency may carry out such studies to identify the scope of such additional work for the system strengthening and removal of operational constraints, the estimated cost, completion schedule and the probable date from which the open access can be allowed after carrying out the requisite works of the system strengthening and intimate results of the studies within 90 days of the receipt of the request from the applicant :

Provided that before carrying out the studies, the applicant shall deposit with the nodal agency 50% of the estimated cost of carrying out the studies and before the open access is granted the applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for the system strengthening studies.

(7) The Commission shall, on the recommendations of the nodal agency and depending on the usefulness of the studies carried out under sub-regulation (6) allow the cost so incurred to be included as a permissible expense in the Annual Revenue Requirement of the licensee :

Provided that where the Commission directs the costs to be included as permissible expense in the Annual Revenue Requirement of the licensee, the amount deposited under sub-regulation (6) shall be refunded by the licensee to the applicant within 15 days.

(8) The Commission may, at its own discretion or on the recommendations of the nodal agency, undertake such other studies as it may consider necessary for the development of the open access at a cost to be incurred by the distribution licensee,

which may be allowed as a pass through while determining their Annual Revenue Requirement.

(9) In order to allow open access in cases where system strengthening is involved, the Commission may direct the licensee to include the estimated cost of such works in their annual investment plan to be submitted to the Commission for its approval :

Provided that before carrying out the works, the applicant shall deposit with the licensee, 50% of the estimated cost of carrying out the works and before the open access is granted, the applicant shall re-imburse the actual expenditure incurred by the licensee for the system strengthening :

Provided further that if the system strengthening works are intended to benefit the individual customer, the licensee shall have the right to recover the expenditure reasonably incurred :

Provided further that where the system strengthening works are included in the investment plan of the licensee, the interest expenditure on investment plan for system strengthening works shall be allowed as a pass through.

(10) Subject to the provisions contained in regulation 29 of these regulations, the allotment of distribution capacity to a long term open access customer may be relinquished or transferred to any other long-term open access customer.

28. *Procedure for short term distribution open access.*—(1) The customer seeking short-term open access shall file an application, as mentioned in sub-regulations (1), (2) and (3) of regulation 27.

(2) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of rupees five thousand payable in the name and in the manner laid down in the guidelines and procedures for open access in distribution :

Provided that in case of application for open access on the date of the application or on the following day, the application fee may be deposited within next three working days of making of application.

29. *Exit option.*—(1) A long term customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the distribution open access agreement, without prior approval of the Commission.

(2) The relinquishment or transfer of rights and obligations by a long term open access customer shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

(3) The reserve distribution capacity shall not be transferred by a short term open access customer to any other customer.

30. *Determination of capacity.*—(1) The availability of capacity in the distribution system including existence or absence of operational constraints affecting open access being allowed shall be determined by the nodal agency in consultation with other agencies involved and also after considering the submissions made by the distribution licensee and the person seeking open access.

(2) In the event of any dispute in the matter of operational constraints in the distribution system, on the determination of the capacity under sub-regulation (1), the same shall be referred by the nodal agency to the Commission for its decision.

(3) (*a*) The Commission may, while deciding the dispute under sub-regulation (2) or otherwise, by a general or special order made from time to time, lay down the conditions to be complied with by the persons seeking open access and the open access shall be allowed only subject to the due satisfaction of such conditions.

(*b*) The conditions to be satisfied may include construction, operation or maintenance of dedicated electric lines or works from the sub-stations or feeder lines or undertaking such other works as the Commission may decide as necessary to allow open access without operational constraints.

31. *Non-utilisation of reserved distribution capacity by short term customer.*—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the open access agreement between the licensee and open access customer, in case a short term open access customer is unable to utilise, full or substantial part of the reserved distribution capacity, he shall inform the nodal agency alongwith reasons for his inability to utilise the reserved distribution capacity and may surrender the reserved distribution capacity.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the nodal agency may on its own reduce or cancel the reserved distribution capacity of a short term open access customer when such a short term customer frequently under utilises the reserved distribution capacity :

Provided that the reserved distribution capacity shall not be reduced or cancelled under this sub-regulation without a prior notice to the short term open access customer whose reserved distribution capacity is sought to be reduced or cancelled.

(3) The short term customer, who has surrendered the reserved distribution capacity under sub-regulation (1) or whose reserved distribution capacity has been reduced or cancelled under sub-regulation (2), shall bear the wheeling charges and the operating charges based on the original reserved distribution capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation, the expression "operating charge" shall have the same meaning as assigned to it under sub-regulation (3) of regulation 33.

(4) The distribution capacity becoming available as a result of surrender by the short term open access customer under sub-regulation (1) or as a result of reduction or cancellation of the reserved distribution capacity by the nodal agency under sub-regulation (2), may be reserved for any other short term open access customer in accordance with these regulations.

32. *Curtailment priority.*—(1) When because of operating constraints, force majeure events or otherwise, it becomes necessary to curtail the distribution service of the distribution customers, the services to short term customers shall be curtailed first followed by that of the long term customers and thereafter that of the captive generator :

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and the distribution service shall be curtailed pro rata to the allotted distribution capacity in the case of long term customers and the reserved distribution capacity in the case of short term customers.

(2) In case of curtailment of more than 50% of the reserved distribution capacity by the nodal agency on any particular day on account of operating constraints, the wheeling charges for that day shall be payable by the open access customers on pro rata basis in accordance with the distribution capacity actually provided.

Explanation.—For the purpose of this regulation, the expression "operating constraints" shall include the availability of the adequate capacity in the distribution

system, appropriate metering and energy accounting system where the electricity to be distributed can be correctly measured and accounted for and such other factors which may have an impact on the distribution licensees' business of supplying electricity to consumers in the area of supply.

33. *Charges for open access in distribution.*—(1) The open access customers shall pay the wheeling charge, operating charges, surcharge, additional surcharge and compensatory charge, other charges including the service charge, unscheduled inter-change charges, and penal charges for wrongful use of the distribution system as the Commission may, in exercise of its powers under sections 61, 62, 86 and other provisions of the Act, determine from time to time as a part of tariff or otherwise decide or authorize the licensee.

(2) The Commission may, while determining the charges for open access to the distribution system, provide for adjustment of losses in the system.

(3) *Operating charge.*—(*a*) A composite operating charge @ Rs.1,000/- per day or part of the day shall be payable by a short term customer for each transaction to the State Load Despatch Centre.

Explanation.—The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bonafide grounds and collection and disbursement charges.

(*b*) Operating charge shall be payable by a generating company when it is granted short-term access under these regulations.

(4) *Unscheduled inter-change (UI) charges.*—(*a*) The mismatch between the scheduled and the actual drawl at drawl point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be met from the grid and shall be governed by UI pricing mechanism applicable to the intra-State transactions.

(*b*) A separate bill for UI charges shall be issued to the open access customers.

34. *Wheeling charges.*—The wheeling charges for open access in distribution shall be determined by the Commission in terms of the regulations framed by the Commission for determination of tariff and as per the tariff orders issued from time to time.

35. *Surcharge.*—(1) In addition to the wheeling charge, any open access customer, other than the captive generating customer, availing open access in distribution shall pay a surcharge specified by the Commission by regulations.

(2) The amount of surcharge shall compensate for the loss in the current level of cross-subsidy from the category of consumers to which the open access customer belongs and shall be paid to the respective distribution licensee of the area of supply.

(3) The surcharge and cross-subsidies shall be progressively reduced and eliminated in the manner as may be specified by the Commission by regulations.

36. *Additional surcharge.*—(1) An open access customer shall also pay to the distribution licensee an additional surcharge to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of section 42 of the Act; and such additional surcharge shall be as specified by regulations by the Commission.

(2) Each distribution licensee shall submit to the Commission details of fixed costs, which the licensee is incurring towards his obligation to supply.

(3) In determining the additional surcharge by regulations, the Commission shall scrutinize the details of fixed costs submitted by the distribution licensee and invite and consider objections, if any, from the public and affected parties.

37. *Obligation of distribution licensee to an open access customer.*—(1) Notwithstanding that a customer is availing open access in distribution, the distribution licensee shall allow non-discriminatory flow of energy to such customer in its area.

(2) Upon the expiry of the period of open access availed by a distribution open access customer or earlier termination thereof, the distribution licensee of the area shall commence supply of electricity to such open access customer at such tariff as may be determined by the Commission and on fulfillment of codal formalities of the distribution licensee for connection of the supply.

CHAPTER-IV
MISCELLANEOUS

38. *Commercial conditions.*—(1) In the case of short term customers—

(*a*) the transmission charges, wheeling charges and operating charge shall be paid to the State Load Despatch Centre on monthly basis;

(*b*) advance payment for one month or period of access, whichever period is shorter, shall be made within three working days from the grant of access;

(*c*) subsequent payments shall be made at least one day before beginning of next month;

(*d*) payment shall be made either through cheque/demand draft payable at the location of the State Load Despatch Centre or through electronic transfer;

(*e*) if duration of open access granted exceeds one month, the short term customer shall provide an irrevocable back up letter of credit within seven days of commencement of open access;

(*f*) in case of non-receipt of payment within the period specified in clause (*b*) or (*c*), the State Load Despatch Centre shall, in its discretion, have the right to invoke the letter of credit or cancel the reserved transmission capacity.

(2) In the case of long term customers the commercial conditions for the long term customer shall be same as applicable to the existing beneficiaries.

39. *Special energy meters.*—(1) The special energy meters shall be installed by the State Transmission Utility at the cost of the transmission open access customers.

(2) The special energy meters installed shall be capable of time differentiated measurement (15 minutes) of active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy as specified by the State Transmission Utility.

(3) The special energy meters shall always be maintained in good condition.

(4) The special energy meters for the transmission customer shall be open for inspection by any person authorised by the State Transmission Utility.

40. *Energy losses.*—The open access customers shall bear average energy losses in the transmission and distribution system as estimated by the State Load Despatch Centre. The energy losses in the transmission and distribution system shall be compensated by additional injection at the injection point(s). The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks shall be posted on the website of the State Load Despatch Centre.

41. *Collection and disbursement of charges.*—(1) The transmission and wheeling charges in respect of the long-term customers shall be payable directly to the respective transmission and distribution licensee.

(2) The operating charges, transmission charges and wheeling charges payable by the short term customers shall be collected and disbursed by the State Load Despatch Centre.

(3) The collection and disbursement of the unscheduled inter-change charges, reactive energy charges and compensatory charges shall be governed in accordance with the procedure and methodology specified by the Commission from time to time.

42. *Information system.*—(1) The State Load Despatch Centre shall post following information on their websites in a separate web-page titled "Open access information" :—

(*i*) Floor rate in rupees per MW/MVA per day for the short term customers (ST_RATE) with detailed calculations in support of such rate;

(*ii*) A status report on the current short term customers indicating :—

- (*a*) Name and address of open access customer;
- (*b*) Open access capacity granted;
- (*c*) Period of the access granted (start date and end date);
- (*d*) Point(s) of injection;
- (*e*) Point(s) of drawl;
- (*f*) Peak load transferred;
- (*g*) Average load transferred;
- (*h*) Maximum number of units to be transferred;
- (*i*) Transmission system/distribution system used;
- (*j*) Open access capacity used.

Note.—The status report shall be updated upon every change in status.

(*iii*) Month-wise and year-wise report on past short term customers indicating :

(*a*) Name and address of open access customer;

(*b*) Open access capacity granted;

(*c*) Period of the access granted (start date and end date);

(*d*) Point(s) of injection;

(*e*) Point(s) of drawl;

(*f*) Peak load transferred;

(*g*) Average load transferred;

(*h*) Maximum number of units to be transferred;

(*i*) Transmission system/distribution system used;

(*j*) Open access capacity used.

Note.—In the case of transmission open access this information should be updated at least on hourly basis, and whereever feasible on 15 minutes basis.

(2) The information regarding average energy losses for the previous 2 weeks shall be posted on the website of the State Load Despatch Centre.

(3) The publication of the web-based information system shall commence within 30 days from the date of commencement of these regulations. The transmission licensee shall make available the said information to the State Load Despatch Centre.

43. *Open access agreement.*—(1) An open access customer shall enter into agreement with the transmission licensee, distribution licensee, generator, traders and others, as applicable and fulfil other conditions as laid down under these regulations.

(2) The agreement shall generally be in the format as given in Schedule-II and shall *inter alia* provide for the eventuality of premature termination of agreement and its consequences on the contracting parties.

(3) After agreement has been entered into and copies furnished to the nodal agency, the nodal agency shall inform the open access customer the date from which open access will be available.

44. *Metering and settlement.*—(1) The open access customer shall provide main meter, as may be specified by the Commission in the grid/distribution/supply

code for such open access customer based on the voltage and current at the point of consumption, period of supply and tariff category.

(2) The generating company or a licensee contracting to affect supply to an open access customer shall provide main meters at interconnecting points as specified in the grid/distribution/supply code, based on the open access customers to whom it will effect supply under open access or shall arrange communication of energy accounts to the State Load Despatch Centre affected through displacement/adjustment in the format as may be laid down by the State Load Despatch Centre on real time basis as well as periodically.

(3) The distribution licensee may provide check meter of the same specification as of the main meter for such meter installed under sub-regulations (1) and (2).

(4) The main and check meters shall be periodically tested and calibrated by the licensee, as the case may be, in the presence of other party involved, in accordance with the provisions contained in the grid/distribution/supply code. The main and check meters shall be sealed in the presence of both the parties. The defective meters shall be replaced within such time as may be specified in the grid/distribution/supply code.

(5) Reading of main and check meters shall be taken periodically at the appointed day and hour by the authorized officer of the generating company or the licensee and the open access customer or his representative, if present. Meter reading shall be immediately communicated to the State Load Despatch Centre, the open access customer, the State Transmission Utility and the generating company/the trader, as the case may be, by the generating company or the licensee, within 24 hours. Check meter readings shall be considered when main meters are found to be defective or stop functioning :

Provided that if the difference between readings of main and check meters *vis-à-vis* main meter reading exceeds twice the percentage error applicable for relevant accuracy class, both the main as well as check meters shall be tested and the defective meters replaced immediately :

Provided further that the licensee for the purpose of this regulation shall be the licensee operating and maintaining the system to which the customer's premises are connected.

(6) An open access customer or the generating company or the licensee may request the distribution licensee to provide main meters. In that case, the open access customer shall provide either security to the licensee or shall pay the applicable meter rent and the main meter shall be maintained by the distribution licensee.

(7) The main and check meter shall have the provision to be read remotely by the State Load Despatch Centre on real time basis, if such remote reading is desired.

Explanation.—The 'meter' shall include current transformers, voltage/potential transformers, wiring between them and meter box/panel.

45. *Communication facility.*—An open access customer shall provide for or bear the cost of equipment for communication upto the nearest grid sub-station or the State Load Despatch Centre as may be determined by the nodal agency.

46. *Compliance with electricity codes.*—The open access customer shall abide by the grid/supply/distribution code.

47. *Unscheduled interchange pricing.*—An open access customer shall be subjected to unscheduled interchange pricing mechanism or intra-State availability based tariff as may be specified by the Commission from time to time if such open access customer draws power in variance with the agreed schedule for drawl under the open access arrangement.

48. *Redressal mechanism.*—(1) All disputes and complaints regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter relating to open access shall be made to the nodal agency, which shall investigate and endeavor to resolve the grievances within 45 days :

Provided that where the open access customer is not satisfied with the redressal of grievance by the nodal agency, it may approach the Commission, whose decision shall be final and binding.

(2) The Commission may, while deciding the dispute under sub-regulation (1) or otherwise, by a general or special order made from time to time, lay down the conditions to be complied with by the transmission and distribution licensees and the persons seeking open access in regard to operational constraints and the open access shall be allowed only subject to the due satisfaction of such conditions.

49. *General conditions.*—(1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the powers of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

(2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(3) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the force majeure events, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(4) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, restrict the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

50. *Power to remove difficulties.*—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, direct the transmission licensee(s), the distribution licensee(s), the State Load Despatch Centre, the generators, the nodal agency, the State Transmission Utility and the open access customer to take such suitable action, not being inconsistent with the Act, as may appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulties.

By order of the Commission

Sd/-
Secretary.

Schedule-I

[*See* regulations 8(1) & 27(1)]

APPLICATION FOR GRANT OF OPEN ACCESS

(To be submitted by an Open Access Customer)

1. Name of the Open Access Customer :

2. Type of open access required (Tick the appropriate option) : Long term _____ Short term _____

3. Would the transaction involve utilization of the distribution network ? : Yes _____ No _____

4. Address of correspondence :

5. Contact address

Prime contact person

a. Name :
b. Designation :
c. Phone No. :
d. Fax :
e. E-mail :

Alternate contact person :

a. Name :
b. Designation :
c. Phone No. :
d. Fax :
e. E-mail :

6. Details of power transfer requirement :

a. Quantum of power to be transmitted (MW) :
b. Peak load to be transferred :
c. Average load to be transferred :
d. Name(s) of the injecting utility :

- Point(s) of injection of power :
- Its quantum :
- Voltage level of the EHV sub-station :

e. Name(s) of drawee :

:

- Point(s) of injection of power :
- Its quantum :
- Voltage level of the EHV sub-station

Note: – In case of mismatch between quantum of power injected and drawl then details of balance power to other beneficiaries should be furnished.

7. Expected date of commencement of open access. :

8. Duration of availing open access :

9. In case of generating station :
   a. Name of the promoter :
   b. Generation capacity :
   c. Location of the generation plant :
   d. No. of units and capacity of each unit :
   e. Type of fuel :
   f. Base load station or peaking load station :
   g. If peaking load station, then what is the estimated hours of running. :
   h. If it is a hydro plant, then whether it is Run of the River /Reservoir/ Multipurpose/ Pump storage. :
   i. MU generation in an year in case of hydro plant. :
   j. Specify the step-up generation voltage 400kv or 220kv or any other voltage. :
   k. Whether it is a identified project of CEA :
   l. Is it a Captive Power Plant (Yes/No) :
   m. If Yes, details of utilization :
   n. Status of the Project: existing/extension of existing project/ new project. :

10. In case of a new generation station-		Capacity (MW)	Commissioning schedule
a. Unit-wise capacity and commissioning schedule —			
• Unit -I			
• Unit -II			
• Unit -III			
• Unit -IV			
b. Name(s) of the beneficiaries and their allocation of power.	:		
c. Status of various clearances for the generation project —			
• Land acquisition	:		
• Fuel agreement	:		
• Environment and forest clearance	:		
• TEC clearance, wherever required	:		
• Power purchase agreement with beneficiaries.	:		

11. Details of the Bank Draft :

- Name of the issuing bank :
- Draft number :
- Date of issue :
- Amount :

All utilities (including buyer, seller, trader) to the transaction shall abide by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005 as amended from time to time.

The Applicant hereby agrees to keep the Commission, the nodal agency and the State Transmission Utility indemnified at all times and undertakes to indemnify, defend and save the Commission, the nodal agency and the State Transmission Utility harmless from any and all damages, losses, claims and actions relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from the transactions under this Approval.

The provisions of the Guidelines and Procedures for Open Access in transmission and distribution issued by the nodal agency are hereby agreed.

Authorized Signatory
of the Open Access Customer.

Name : .....
Designation : .....

Place : .....
Date : .....

Seal.

Schedule-II

Form-I

[*See* regulation-43(2)]

TRANSMISSION SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

(DISTRIBUTION/TRANSMISSION/TRADING LICENSEE)

AND

(TRANSMISSION OPEN ACCESS CUSTOMER)

TRANSMISSION SERVICES AGREEMENT

THIS AGREEMENT is entered into as of this _____ day of _____, 200----

BETWEEN

_____

_____

a distribution/transmission/trading licensee under section 14 of the Electricity Act, 2003, (hereinafter referred to as licensee which expression shall unless repugnant to its subject or context, mean and include its successors in interest and permitted assigns) of the First Part;

AND

_____, a company incorporated and existing under the laws of _____ having its principal office at _____ (hereinafter referred to as the "open access customer" which expression shall unless repugnant to its subject or context, mean and include its successors in interest and permitted assigns) of the Second Part,

(Collectively referred to as "Parties")

WHEREAS:

A. Licensee is engaged in the business of distribution/transmission/trading of electricity within the State of Himachal Pradesh;

B. _____ is engaged in the business of _____ and is desirous of availing the Distribution/Transmission Services and other related services offered by the licensee;

C. Under the applicable Regulations framed by the Commission, licensee is obligated to provide non-discriminatory open access to its distribution system/ transmission system to licensees and the open access customers, on the terms and conditions specified in the Regulations;

D. The Regulations prescribe execution of a Transmission Services Agreement with the person availing of the open access.

NOW, THEREFORE IN CONSIDERATION OF THE PREMISES AND MUTUAL PROMISES, COVENANTS SET FORTH HEREINAFTER THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE-1

DEFINITIONS

1.1 In addition to terms defined elsewhere in this Agreement, the following definitions shall apply hereunder : —

"**Act**" shall mean the Electricity Act, 2003 including any rules and regulations framed thereunder as may be amended from time to time;

"**Effective date**" shall mean the date upon which the Parties execute this Agreement;

"**Government**" shall mean either the State or the Central Government, as the case may be, and shall include any department, agency or instrumentality thereof including any autonomous entity whether incorporated or not;

"**Regulations**" shall, unless the context otherwise requires, includes bye-laws, guidelines and procedures laid for Open Access and such other regulations as may be notified by the Commission from time to time;

"Rules" means, unless the context requires otherwise, rules as notified under the provisions of the Electricity Act, 2003 from time to time;

"Transmission Services" shall mean provision of services for the supply or conveyance of electricity by means of cables and overhead lines, together with any step-up and step-down transformers, switch-gear and other works necessary to and used for the control of such cables or overhead lines, and such buildings or part thereof as may be required to accommodate such transformers, switch-gear and other works and shall include such other services related and/or incidental thereto.

ARTICLE-2
OBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT

2.1 Licensee agrees and undertakes to provide the Transmission Services to the open access customer in accordance with the terms of this agreement, the Act and Regulations.

ARTICLE-3
OPEN ACCESS CUSTOMER'S OBLIGATIONS

3.1 The open access customer agrees and undertakes to comply with the Regulations.

3.2 The open access customer agrees and undertakes to furnish and maintain the payment security mechanism/instrument for availing the Transmission Services as prescribed in this Agreement.

ARTICLE-4
LICENSEE'S DUTIES AND OBLIGATIONS

4.1 Licensee shall provide the Transmission Services in an efficient manner and in accordance with the terms of this Agreement.

4.2 Licensee shall allow all facilities required by the open access customer including access to its facilities on it's land as may be required by the open access customer.

4.3 Where due to technical constraints or break down, licensee's capability to undertake transmission of electricity is disrupted for any period of time, licensee shall, as far as practicable, provide prior notice to the consumer of such disruption in transmission of electricity and the estimated time period for rectification thereof.

ARTICLE-5
SCHEDULING

5.1 The open access customer shall procure Transmission Services, in accordance with the terms and conditions of this Agreement. Prior to scheduling energy on licensee's transmission system, the open access customer shall follow the existing procedures. Subsequent to scheduling of energy, transmission requests will be accepted only for *bona fide* emergencies. Energy and any ancillary services must be scheduled on approved transmission requests not later than 12 noon IST on the day prior to the beginning of such schedule or on the last common business day of the week, as the case may be, before all weekend days and holidays for all transactions except hourly non-firm. Hourly non-firm energy and/or any associated ancillary services must be scheduled not less than _____ minutes prior to the beginning of such schedule. The open access customer may initiate a new schedule or change an existing schedule submitted pursuant to this paragraph.

5.2 Notwithstanding any other provision of this Agreement, after 12 noon IST of any day, licensee shall have the right to utilize and/or sell, on a non-firm basis, any non-scheduled transmission service, excluding hourly non-firm, for transactions up to and including the following business day.

5.3 The open access customer shall communicate with licensee to facilitate daily scheduling of energy and any ancillary services required under this

agreement. Schedules crossing licensee's control area boundaries shall be in whole megawatt increments. Schedules entirely within licensee control area shall be scheduled in tenths of megawatt increments (000.0 MWs/MVA).

ARTICLE-6
METERING AND RECONCILIATION

6.1 Licensee shall be obligated to provide a metering installation at each of diverse points of connection and shall be responsible for compliance with all statutory and regulatory requirements in relation to the accuracy, use and installation of the metering installation.

ARTICLE-7
BILLINGS

7.1 For any service provided to the open access customer pursuant to this Agreement, licensee will charge and bill the open access customer will pay licensee the rate and charge in accordance with the provisions of the regulations.

7.2 All billing shall be delivered daily/weekly/monthly by the licensee to the open access customer as soon as reasonably practical after the end of the billing period, it being recognized that partial billing may be submitted in the event that portions of the billings may require additional time to prepare. All such billings, including partial billings, shall be due and payable by the open access customer within fifteen (15) calendar days from the date the billing is rendered, whether or not a party disputes all or any portion of the billing. If such due date falls on a Saturday, Sunday or a holiday observed by either Party, the payment shall be due and payable on the next following business day. All billing shall be deemed paid on the postmark date if deposited in first class mail with postage prepaid and shall be deemed paid upon receipt if another means of delivery is used. In the event the open access customer fails to make a payment of a billing when due and payable for any reason the open access customer shall pay interest @ _____thereon to licensee. Each such

daily interest calculation shall be on the basis of actual days and a three hundred sixty-five (365) day calendar year. The Parties agree that this paragraph shall not be a defence to any action to compel payment of a billing or for a determination of default or termination.

7.3 The open access customer shall be required to pay the transmission charges in accordance with the regulations framed by the Commission. The billing amount as raised by licensee may include any such additional taxes, levies or surcharges as may be imposed by the Government.

7.4 Any dispute between the Parties relating to any apparent discrepancy in billing and/or regarding incorrect calculation of the price adopted for billings by licensee ("Invoice Discrepancy") shall be referred to and resolved by the dispute resolution mechanism prescribed in Article 24. All other disputes shall be referred to the Commission which shall deal with the same in terms of Sec. 86(1)(f) of the Act. The open access customer shall not be entitled to withhold any payments to the licensee in respect of the Invoice Amount, except in the event of an Invoice Discrepancy the open access customer shall be entitled to withhold the disputed amounts.

7.5 Any failure on the part of the open access customer to pay all or any portion of an invoice issued by licensee, shall constitute a valid ground for the licensee to discontinue provision of further Transmission Services, as also, to take such measures as may be prescribed under this Agreement.

7.6 Upon failure on the part of the open access customer to pay all or any portion of an invoice issued by the licensee, other than under clause 7.4 to the extent of disputed amounts, the open access customer will not be entitled to make any additional reservations for Transmission Services and the licensee shall be entitled to withhold the Transmission Services till such time the undisputed amounts are paid in full and credit re-established.

ARTICLE-8
MEETINGS

8.1 The Parties shall meet at least once in every calendar quarter at a location determined by the Parties, or if no such determination is made, then as determined by the licensee. Parties may meet more often from time to time as it deems necessary.

8.2 At least twenty-one (21) days written notice of every meeting shall be given to each party or their authorized representatives at their registered address, provided always that a meeting may be convened by a shorter notice than twenty one (21) days with consent of both Parties.

8.3 The notice of each meeting shall include an agenda setting out the business proposed to be transacted at the meeting. Unless waived in writing by both Parties, any item not included in the agenda of a meeting shall not be considered at that meeting.

ARTICLE-9
INSPECTION OF RECORDS OF THE OPEN ACCESS CUSTOMER

9.1 During office hours of the open access customer, the licensee shall have full access to, and right to make copies of, all books of account, records and the like of the open access customer. Any information obtained by the licensee through exercise of this right of access shall be used by the licensee only for purposes which are consistent with the terms of this Agreement and be subject to the confidentiality provisions contained herein.

ARTICLE-10
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS OF THE PARTIES

10.1 The open access customer represents, warrants and covenants to the licensee as follows : —

(*a*) The open access customer is a person duly organized, validly existing and in good standing under the laws of India and has the corporate power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder.

(*b*) All corporate actions on the part of the officers and directors of the open access customer (if applicable) necessary for the authorisation, execution and delivery of this Agreement by the open access customer and for the performance of all of its obligations hereunder have been taken.

(*c*) This Agreement constitutes valid, legally binding and enforceable obligations of the open access customer.

(*d*) The open access customer shall use its best efforts to assist the licensee to obtain and maintain all necessary approvals from the Government for the establishment and operation of the Company as contemplated by this Agreement and for the transfer of technology and payment of fees and royalties as contemplated by the ancillary Agreements.

(*e*) The open access customer shall not take any action or cause the licensee to take any actions on behalf of the licensee or binding upon the licensee, except with the licensee's specific consent in writing.

(*f*) The open access customer shall take such further such actions, execute and deliver such further instruments and documents, and generally do all such other things as may be reasonably necessary to accomplish the transactions contemplated in this Agreement.

(*g*) Execution, delivery or performance of this Agreement by the open access customer does not and will not conflict with, or result in a default, right to accelerate or loss of rights under, or result in the creation of any lien, charge or encumbrance, pursuant to the open access customer's Charter documents (if applicable), or any agreement or other document, law, rule, regulation, order, judgment or decree to which the open access customer is a party or by which it may be bound or affected.

(*i*) The open access customer has delivered to the licensee copies of financial statements, including the respective notes to such financial statements, all of which are true, complete and correct in accordance with the books and records of the open access customer, and the open access customer certifies that such financial statements have been prepared from the books and records of open access customer in accordance with generally accepted accounting principles consistently applied and maintained throughout the period indicated and present fairly the financial condition, assets and liabilities and the income and operations of the open access customer as their respective dates for the periods covered thereby.

10.2 The licensee represents, warrants and covenants to the open access customer as follows: —

(*a*) The licensee is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the India and has the power and authority to engage in this Agreement and to perform its obligations hereunder.

(*b*) All actions on the part of the licensee and its officers and directors necessary for the authorisation, execution and delivery of this Agreement and for the performance of all of its obligations hereunder has been taken.

(*c*) This Agreement constitutes valid, legally binding and enforceable obligations of the licensee.

(*d*) The licensee shall not take any action or cause to be taken any action on behalf of the open access customer or binding upon the open access customer, except with the open access customer's specific consent in writing.

(*e*) The licensee shall take such further acts, execute and deliver such further instruments and documents, and generally do all such other things as may be reasonably necessary to accomplish the transactions contemplated in this Agreement.

(*f*) Execution, delivery or performance of this Agreement by the licensee does not and will not conflict with, or result in a default, right to accelerate or loss of rights under, or result in the creation of any lien, charge or encumbrance, pursuant to the licensee's certificate of incorporation or byelaws, or any agreement or other document, law, rule, regulation, order, judgment or decree to which the licensee is a party or by which it may be bound or affected.

ARTICLE-11
ACCOUNTING AND FINANCE

11.1 The open access customer shall keep true and accurate accounting records of all operations, and such records shall be open for inspection by each Party or by its duly authorised representatives at all times during normal business hours and with sufficient notice so as not to disrupt the open access customer's operations.

11.2 The financial statements of the open access customer shall be audited at the open access customer expense by an independent accounting firm selected by mutual agreement between the Parties.

11.3 The licensee shall submit to the Parties monthly accounting reports in a form to be mutually agreed upon between the Parties.

ARTICLE-12
INDEMNITY, LIMITED LIABILITY

12.1 The open access customer agrees to indemnify the licensee and hold it harmless from and all against any and all claims, other than those ultimately determined to be founded on gross negligence or willful misconduct of licensee in a judicial proceeding, from and against any damages penalties, judgments, liabilities, losses or expenses (including reasonable attorney's fees and court costs and disbursements) (hereinafter also collectively "**Loss**") incurred as a result of the assertion of any claim by any person or entity, arising out of or in connection with this Agreement, including in respect of any loss or damage arising from performance of system operator functions.

ARTICLE-13
DEFAULT BY PARTIES AND CONSEQUENCES THEREOF

13.1 The following shall constitute the defaults by Parties and the consequences thereof : —

(i) Failure of the open access customer to pay an invoice without raising a dispute :

Notwithstanding anything contained in Article 7, in the event of the failure by the open access customer to pay an invoice unless there occurs an Invoice Discrepancy, the licensee shall issue a notice to the open access customer ("Default Notice"), specifying that the open access customer has defaulted in its payment

obligations towards licensee and that it shall be afforded an opportunity to pay the unpaid invoice amount, with interest thereon, within a prescribed time frame. If the open access customer does not comply with the terms of the Default Notice, the licensee shall be entitled without further recourse to unilaterally de-energise the connection granted to the open access customer and/or terminate this Agreement forthwith. The open access customer shall be required to raise any Invoice Discrepancy in writing within _____ days of receipt of the Invoice.

(ii) Failure of the open access customer to adhere to the prescribed technical requirements :

In the event of failure of the open access customer to comply with any technical requirements as may be prescribed and/or approved by the Commission from time to time, which adversely affects the power quality or security of the grid, performance or management of grid assets, the licensee shall be entitled to de-energise the connection granted to the open access customer forthwith.

ARTICLE-14
NON-COMPLIANCE WITH OTHER REQUIREMENTS

14.1 In the case of any non-compliance of any requirements (other than those specifically mentioned in this Agreement) by any Party ("Defaulting party"), the non-Defaulting Party shall serve a notice to the Defaulting party, indicating the details of the non-compliance and requiring it to remedy such non-compliance within 15 days. The Parties may also, if they mutually agree, meet and hold discussions on the aforesaid issue.

14.2 If the Defaulting Party fails to remedy its non-compliance or provide the non-Defaulting party with a remedial plan within the notice period, the non-Defaulting party shall be entitled to seek termination of this Agreement in terms of this Agreement.

14.3 The Licensee recognises that it is in a monopoly position as regards the Transmission Services. Therefore, in the event the licensee fails to comply with the provisions of this Agreement and/or fulfill its obligations hereunder, the open access customer shall be entitled to approach the Commission and seek specific performance of the terms of this Agreement. This right shall be without prejudice to any other rights that the open access customer may have under law.

ARTICLE-15
TERM AND TERMINATION

15.1 This Agreement is intended to be of enduring nature having regard to the mutual objectives and stipulations in this Agreement and shall take effect as of its execution and shall continue in force until terminated in accordance with the provisions of this Agreement.

15.2 Without prejudice to any claim for any antecedent breach, any Party shall be entitled at its option, on the happening of any of the following events, to terminate this Agreement : —

(*a*) by giving to the other Party thirty (30) days written notice if any other Party becomes or is declared bankrupt or goes into voluntary or compulsory liquidation, except for the purpose of amalgamation or reconstruction; or

(*b*) by giving to the other Party sixty (60) days written notice if any distress or attachment is levied, or any receiver is appointed in respect of the business or a substantial part of the property or assets of any other Party, or if it takes any similar action in consequences of debt; or

(*c*) by giving to the other Parties sixty (60) days written notice if possible, in the event that there is a Government expropriation,

nationalization or condemnation of all or substantial part of the assets or capital stock of any other Party; or

(*d*) by giving to the open access customer a notice issued by the licensee, indicating that the open access customer has failed to pay its dues as raised under an Invoice issued to it despite the issuance of a notice of default as referred to in Article 13; or

(*e*) by notice in writing to the other Parties (effect upon dispatch) if any other Party is in breach of any provision of this Agreement and such breach has not been remedied (to the reasonable satisfaction of the Parties not in breach) within sixty (60) days of notice of such breach having been served on that Party by any other Party; or

(*f*) by notice in writing to the other Party if any direction or order from any authority in India or any change in applicable statutes, rules and regulations or the Government policy is made which prevents or significantly impairs the implementation of this Agreement or directly or indirectly so restricts the scope and exercise of the right of either of Party as concerns the Company so as to render its objectives effectively impossible; or

(*g*) by giving to the other Parties an advance notice of at least one eighty days to the effect that one party desires that this Agreement be terminated.

15.3 The termination of this Agreement shall not relieve any Party of any obligation or liability accrued prior to the date of termination.

15.4 The Parties shall promptly provide required information and documents in obtaining the requisite Governmental or statutory approvals to implement the provisions of this Article 14.

15.5 The foregoing shall not limit the ability of either Party to seek legal and equitable remedies related to a material Breach by the other Party or the failure of the other Party to perform any other duty or obligation under this Agreement.

ARTICLE-16
CONFIDENTIALITY

16.1 The Parties undertake to keep the nature of the Transaction confidential and also agree that the disclosure of such information without the approval of other Party, except when such disclosure is essential for the purpose of obtaining any permission of the Governmental Authority and/or to its legal advisors, shall result in material damage to the other Party.

16.2 Any confidential information provided to a Party or its representatives in writing and identified as being confidential (**"Confidential Information"**) shall be held in confidence and shall not be disclosed to any third party, except as reasonably required in the fulfillment of this Agreement or in connection with obtaining any necessary consents in connection with this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the obligation of confidentiality shall not apply to any disclosure (i) of information that is in or enters the public domain through no fault of the receiving Party, (ii) of information that was in the possession of the receiving Party prior to receipt under this Agreement, or (iii) required by law, regulation, legal process or order of any court or governmental body having jurisdiction, but the receiving Party shall notify, in advance, the disclosing Party/ies as soon as reasonably possible, to the extent lawful, so that the disclosing Party/ies can seek protections or exceptions to the disclosure.

ARTICLE-17
WAIVER OF CLAIMS

17.1 In no event shall a Party be liable to the other Party for any indirect, consequential, economic, punitive or similar damages arising from or in any way connected with this Agreement.

17.2 Any waiver at any time by the other Party of its rights with respect to a default or breach under this Agreement shall not be deemed a waiver with respect to any other default or breach or other matter arising in connection herewith. Any delay short of the statutory period of limitation in asserting or enforcing any right shall not be deemed a waiver of such right.

17.3 The Parties will exercise reasonable diligence and care to meet their respective contract obligations and duties.

ARTICLE-18

NO ASSIGNMENT

18.1 The open access customer shall not assign, sell, convey or otherwise transfer this Agreement or any Confirmation Agreement, or any of its rights or obligations thereunder, without prior express written consent of the Seller. The assignee or other transferee shall assume all duties and obligations arising from and after the time of the consent to transfer by the Seller, but such assignment or transfer shall not release the assigning or transferring open access customer from its duties and obligations unless specifically provided in the written consent and in the assignment, conveyance or transfer document. All duties and obligations arising prior to the assignment or transfer shall remain the duty and obligation of the Party unless the Parties specifically agree otherwise.

ARTICLE-19
FORCE MAJEURE

19.1 If either Party is prevented from performing its obligation under this Agreement from causes which are beyond its reasonable control, such as, but not limited to, any condition or event beyond the control of the Party affected, including but not restricted to, failure of or threat of failure of facilities, flood, earthquake, storm, fire, explosion, lightning, epidemic, war, riot, civil disturbance or disobedience, labour dispute, labour or material shortage, sabotage, restraint by court order or public authority and action or non-action by, or failure to obtain the

necessary authorizations or approvals from, any governmental agency or authority, which by exercise of reasonable diligence such Party could not reasonably have been expected to avoid and which by exercise of reasonable diligence it shall be unable to overcome; the Party is excused from non-performance of its obligation during the period while such cause continues to exist, but if such cause continues to exist and prevent performance by the Party of the obligation for more than one month, the other Party may terminate this Agreement effective upon delivery to the non-performing Party of written notice of such termination.

19.2 Either Party rendered unable to fulfill any of its obligations under the Agreement by reason of a Force Majeure shall provide notice of said Force Majeure to the other Party within 24 hours of the occurrence giving rise to the claim of the Force Majeure, provide written notice within 3 working days thereafter and use reasonable diligence to remove such Force Majeure with all reasonable despatch.

19.3 Should the Force Majeure exist for a period of three consecutive months, the Party not claiming the Force Majeure may cancel the Transmission Service by providing a thirty-day written notice at the conclusion of the three month period.

ARTICLE-20
NOTICES

20.1 All notices, billings, payments and other communications shall be given in writing and sent by mail, postage prepaid, signed by (or by some person duly authorised by) the person giving it and may be served by leaving it or sending it by facsimile, prepaid recorded delivery as registered post, addressed as follows (or to such other address as shall have been duly notified in accordance with this Article) : —

If to the open access customer:

_____

_____

If to the licensee :

_____

_____

20.2 All notices given under this Article shall be deemed to have been served as follows: —

(*a*) if delivered by hand, at the time of delivery;

(*b*) if posted, at the expiration of six (6) days after the envelop containing the same was delivered into the custody of the postal authorities;

(*c*) if communicated by facsimile, on receipt of confirmation of successful transmission.

ARTICLE-21
SEVERABILITY

21.1 Whenever possible, each provision of this Agreement shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Agreement should be prohibited or invalid under applicable law, such provision shall be ineffective to the extent of such prohibition or invalidity without invalidating the remainder of such provision or the remaining provisions of this Agreement. In such event, the Parties shall negotiate, in good faith, a valid, legal and enforceable substitute provision, which most nearly effects the Parties' intent in entering into this Agreement.

ARTICLE-22
ENTIRE AGREEMENT

22.1 This Agreement, and all attachments set-forth the entire agreement of the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede all

prior and contemporaneous agreements, understandings and representations, written and oral. In case of any inconsistency between this Agreement and any Schedule or any attachment, this Agreement shall prevail.

ARTICLE-23
JURISDICTION

23.1 Except as specifically provided for otherwise, in this Agreement, the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts in the State of Himachal Pradesh.

ARTICLE-24
DISPUTE RESOLUTION

24.1 Except as specifically provided for otherwise, in this Agreement, the Parties shall seek to resolve any dispute, controversy, claim or breach arising out of or in relation to this Agreement including any dispute as to the existence or validity of this Agreement, by amicable arrangement and compromise, and only if the Parties fail to resolve the same by amicable arrangement and compromise within a period of sixty (60) days of receipt of written notice of the same by the other Party, either Party may resort to arbitration as provided for in Clause 24.2 hereof.

24.2 In the event of any question, dispute or difference arising under this agreement or in connection therewith except as to matters for which the manner of dispute resolution is specifically provided under this agreement, Act or Regulations, the same shall be finally settled through arbitration proceedings by a sole arbitrator to be appointed by the Commission.

24.3 The place of arbitration shall be Shimla. The language of arbitration shall be English.

24.4 The Parties shall bear their own costs for conduct of arbitration proceedings, subject to the final award.

ARTICLE-25
ASSUMPTION OF RISK

25.1 Each Party hereto acknowledges (i) the risks of its undertakings hereunder, (ii) the uncertainty of the benefits and obligations hereunder, and (iii) is assumption of such risks and uncertainty. Each Party has conducted its own due diligence and requested and reviewed any contracts, business plans, financial documents and other written material as in such Party's opinion shall be the basis of that Party's decision to enter into this Agreement.

ARTICLE-26
MODIFICATION

26.1 No provisions of this Agreement may be modified or amended unless the Parties adopt the procedure contained herein. Where any Party is of the view that the terms of this Agreement require any modification or amendment, to ensure that it is in consonance with the relevant regulatory and statutory provisions, the Parties shall initiate a consultative process, whereby the Parties shall meet and hold discussions on the aforesaid issues. In the event that the Parties cannot agree on whether this Agreement requires modification or amendment, they shall refer such difference to an independent expert, who shall decide the said issue. However, the Parties may modify this Agreement if they mutually agree to do so, in writing.

ARTICLE-27
HEADINGS

27.1 The article, paragraph and other headings in this Agreement are provided for convenience only and in no way define or limit the scope or the intent of this Agreement.

ARTICLE-28
COUNTERPARTS

28.1 This Agreement may be executed in any number of counterparts. The counterparts shall be deemed to constitute one instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties by their duly authorised representatives have executed this Agreement on the day first above written.

Open Access Customer

By :

Name :

Title:

Date:

Witness:

Licensee

By :

Name :

Title :

Date:

Witness:

Schedule-II

Form-II

[*See* regulation-43(2)]

DISTRIBUTION SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

_____

(DISTRIBUTION/TRANSMISSION/TRADING LICENSEE)

AND

_____

(DISTRIBUTION OPEN ACCESS CUSTOMER)

DISTRIBUTION SERVICES AGREEMENT

THIS AGREEMENT is entered into as of this _____ day of _____, 200

BETWEEN

_____

_____

a distribution/transmission/trading licensee under section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as the Licensee) which expression shall unless repugnant to its subject or context, mean and include its successors in interest and permitted assigns) of the First Part;

AND

_____, a company incorporated and existing under the laws of _____ having its principal office at _____ (hereinafter referred to as "Open Access Customer" which expression shall unless repugnant to its subject or context, mean and include its successors in interest and permitted assigns) of the Second Part.

(Collectively referred to as "Parties")

WHEREAS

A. Licensee is engaged in the business of *inter alia* distribution of electricity within the State of Himachal Pradesh;

B. _____ is engaged in the business of _____ and is desirous of availing the Distribution Services and other related services offered by the licensee;

C. Under the applicable Regulations framed by the Commission, licensee is obligated to provide non-discriminatory open access to its distribution system to licensees and the open access customers, on the terms and conditions specified in the Regulations;

D. The Regulations prescribe execution of a Distribution Services Agreement with the person availing of the open access.

NOW, THEREFORE IN CONSIDERATION OF THE PREMISES AND MUTUAL PROMISES, COVENANTS SET-FORTH HEREINAFTER THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS :—

ARTICLE-1

DEFINITIONS

1.1 In addition to terms defined elsewhere in this Agreement, the following definitions shall apply hereunder:—

"**Act**" shall mean the Electricity Act, 2003 including any rules and regulations framed thereunder as may be amended from time to time;

"**Effective date**" shall mean the date upon which the parties execute this Agreement;

"**Government**" shall mean either the State or the Central Government, as the case may be, and shall include any department, agency or instrumentality thereof including any autonomous entity whether incorporated or not;

"**Regulations**" shall, unless the context indicates otherwise, include business byelaws, guidelines and procedures for open access and such other regulations as may be notified by the Commission from time to time.

"**Rules**" means, unless the context indicates otherwise, rules as notified under the provisions of the Electricity Act, 2003 from time to time.

"**Distribution services**" shall mean provision of services for the supply or conveyance of electricity by means of system of wires and associated facilities between delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers.

ARTICLE-2
OBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT

2.1 Licensee agrees and undertakes to provide the distribution services to the open access customer in accordance with the terms of this agreement, the Act and Regulations.

ARTICLE-3
OPEN ACCESS CUSTOMERS OBLIGATIONS

3.1 The open access customer agrees and undertakes to comply with the Regulations.

3.2 The open access customer agrees and undertakes to furnish and maintain the payment security mechanism / instrument for availing the Distribution Services as prescribed in this Agreement.

ARTICLE-4
LICENSEE'S DUTIES AND OBLIGATIONS

4.1 Licensee shall provide the Distribution Services in an efficient manner and in accordance with the terms of this Agreement.

4.2 Licensee shall allow all facilities required by the open access customer including access to its facilities on its land as may be required by the open access customer.

4.3 Where due to technical constraints or break down, the licensee's capability to undertake distribution of electricity is disrupted for any period of time, licensee shall, as far as practicable, provide prior notice to the open access customer of such disruption in distribution of electricity and the estimated time period for rectification thereof.

ARTICLE-5
SCHEDULING

5.1 The open access customer shall procure distribution services, in accordance with the terms and conditions of this Agreement. Prior to scheduling energy on the licensee's distribution system, the open access customer shall follow the existing procedures. Subsequent to scheduling of energy, requests for injunction/ drawl of additional quantum of energy will be accepted only for *bona fide* emergencies. Energy and any ancillary services must be scheduled on the basis of approved requests not later than 12 noon IST on the day prior to the beginning of such schedule or on the last common business day of the week, as the case may be, before all weekend days and holidays for all transactions except hourly non-firm. Hourly non-firm energy and/or any associated ancillary services must be scheduled not less than _____ minutes prior to the beginning of such schedule. The open access customer may initiate a new schedule or change an existing schedule submitted pursuant to this paragraph.

5.2 Notwithstanding any other provision of this Agreement, after 12 noon IST of any day, licensee shall have the right to utilize and/or sell, on a non-firm basis, any non-scheduled transmission service, excluding hourly non-firm, for transactions up to and including the following business day.

5.3 The open access customer shall communicate with licensee to facilitate daily scheduling of energy and any ancillary services required under this agreement. Schedules crossing licensee's control area boundaries shall be in whole megawatt increments. Schedules entirely within licensee control area shall be scheduled in tenths of megawatt increments (000.0 MWs/MVA).

ARTICLE-6
METERING AND RECONCILIATION

6.1 The Licensee shall be obligated to provide a metering installation at each of diverse points of connection and shall be responsible for compliance with all statutory and regulatory requirements in relation to the accuracy, use and installation of the metering installation.

ARTICLE-7
BILLINGS

7.1 For any service provided to the open access customer pursuant to this Agreement, licensee will charge and bill the open access customer and the open access customer will pay the rates and charges the licensee in accordance with the provisions of Schedule ____.

7.2 All billing shall be delivered daily/weekly/monthly by the licensee to the open access customer as soon as reasonably practical after the end of the billing period, it being recognized that partial billing may be submitted in the event that portions of the billings may require additional time to prepare. All such billings, including partial billings, shall be due and payable by the open access customer within fifteen (15) calendar days from the date the billing is rendered, whether or not a party disputes all or any portion of the billing. If such due date falls on a Saturday, Sunday or a holiday observed by either Party, the payment shall be due and payable on the next following business day. All billing shall be deemed paid on the postmark date if deposited in first class mail with postage prepaid and shall be deemed paid upon receipt if another means of delivery is used. In the event the open access customer fails to make a payment of a billing when due and payable for any reason the open access customer shall pay interest @ _____ thereon to the licensee. Each such daily interest calculation shall be on the basis of actual days and a three hundred sixty-five (365) day calendar year. The Parties agree that this paragraph shall not be a defence to any action to compel payment of a billing or for a determination of default or termination.

7.3 The open access customer shall be required to pay the wheeling charges and surcharge and additional surcharge in accordance with the regulations framed by the Commission. The billing amount as raised by the licensee may include any such additional taxes, levies as may be imposed by the Government.

7.4 Any dispute between the Parties relating to any apparent discrepancy in billing and/or regarding incorrect calculation of the price adopted for billings by the licensee ("Invoice Discrepancy") shall be referred to and resolved by the dispute resolution mechanism prescribed in Article 24. The open access customer shall not be entitled to withhold any payments to the licensee in respect of the Invoice Amount, except in the event of any Invoice Discrepancy, the open access customer shall be entitled to withhold the disputed amounts.

7.5 Any failure on the part of the open access customer to pay all or any portion of an invoice issued by the licensee, shall constitute a valid ground for the licensee to discontinue provision of further Distribution Services, as also, to take such measures as may be prescribed under this Agreement.

7.6 Upon failure on the part of the open access customer to pay all or any portion of an invoice issued by the licensee, the open access customer will not be entitled to make any additional reservations for Distribution Services and the licensee shall be entitled to withhold the distribution services till such time the undisputed amounts are paid in full and credit re-established.

ARTICLE-8
MEETINGS

8.1 The Parties shall meet at least once in every calendar quarter at a location determined by the Parties, or if no such determination is made, then as determined by the licensee. Parties may meet more often from time to time as it deems necessary.

8.2 At least twenty-one (21) days written notice of every meeting shall be given to each Party or their authorized representatives at their registered address, provided always that a meeting may be convened by a shorter notice than twenty-one (21) days with consent of both Parties.

8.3 The notice of each meeting shall include an agenda setting out the business proposed to be transacted at the meeting. Unless waived in writing by both Parties, any item not included in the agenda of a meeting shall not be considered at that meeting.

ARTICLE-9

INSPECTION OF RECORDS OF THE OPEN ACCESS CUSTOMER

9.1 During office hours of the open access customer, the licensee shall have full access to, and right to make copies of, all books of account, records and the like of the open access customer. Any information obtained by the licensee through exercise of this right of access shall be used by the licensee only for purposes which are consistent with the terms of this Agreement and be subject to the confidentiality provisions contained herein.

ARTICLE-10
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS OF THE PARTIES

10.1 The open access customer represents, warrants and covenants to the licensee as follows :—

(*a*) The open access customer is a person duly organized, validly existing and in good standing under the laws of India and has the corporate power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder.

(*b*) All corporate actions on the part of the officers and the directors of the open access customer (if applicable) necessary for the authorisation, execution and delivery of this Agreement by the open access customer and for the performance of all of its obligations hereunder have been taken.

(*c*) This Agreement constitutes valid, legally binding and enforceable obligations of the open access customer.

(*d*) The open access customer shall use its best efforts to assist the licensee to obtain and maintain all necessary approvals from the Government for the establishment and operation of the Company as contemplated by this Agreement and for the transfer of technology and payment of fees and royalties as contemplated by the ancillary Agreements.

(*e*) The open access customer shall not take any action or cause the licensee to take any action on behalf of the licensee or binding upon the licensee, except with the licensee's specific consent in writing.

(*f*) The open access customer shall take such further such actions, execute and deliver such further instruments and documents, and generally do all such other things as may be reasonably necessary to accomplish the transactions contemplated in this Agreement.

(*g*) Execution, delivery or performance of this Agreement by the open access customer does not and will not conflict with, or result in a default, right to accelerate or loss of rights under, or result in the creation of any lien, charge or encumbrance, pursuant to the open access customer's Charter documents (if applicable), or any agreement or other document, law, rule, regulation, order, judgment or decree to which the open access customer is a party or by which it may be bound or affected.

(*h*) The open access customer has delivered to the licensee copies of financial statements, including the respective notes to such financial statements, all of which are true, complete and correct in accordance with the books and records of the open access customer, and the open access customer certifies that such financial statements have been prepared from the books and records of the open access customer in accordance with generally accepted accounting principles consistently applied and maintained throughout the period indicated and present fairly the financial condition, assets and liabilities and the income and operations of the open access customer as their respective dates for the periods covered thereby.

10.2 The licensee represents, warrants and covenants to the open access customer as follows :—

(*a*) The licensee is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the India and has the power and authority to engage in this Agreement and to perform its obligations hereunder.

(*b*) All actions on the part of the licensee and its the officers and the directors necessary for the authorisation, execution and delivery of this Agreement and for the performance of all of its obligations hereunder has been taken.

(*c*) This Agreement constitutes valid, legally binding and enforceable obligations of the licensee.

(*d*) The licensee shall not take any action or cause to be taken any action on behalf of the open access customer or binding upon the open access customer, except with the open access customer's specific consent in writing.

(*e*) The licensee shall take such further acts, execute and deliver such further instruments and documents, and generally do all such other things as may be reasonably necessary to accomplish the transactions contemplated in this Agreement.

(*f*) Execution, delivery or performance of this Agreement by the licensee does not and will not conflict with, or result in a default, right to accelerate or loss of rights under, or result in the creation of any lien, charge or encumbrance, pursuant to the licensee's certificate of incorporation or byelaws, or any agreement or other document, law, rule, regulation, order, judgment or decree to which the licensee is a party or by which it may be bound or affected.

ARTICLE-11
ACCOUNTING AND FINANCE

11.1 The open access customer shall keep true and accurate accounting records of all operations, and such records shall be open for inspection by each party or by its duly authorised representatives at all times during normal business hours and with sufficient notice so as not to disrupt the open access customer's operations.

11.2 The financial statements of the open access customer shall be audited at the open access customer expense by an independent accounting firm selected by mutual agreement between the parties.

11.3 The licensee shall submit to the parties monthly accounting reports in a form to be mutually agreed upon between the parties.

ARTICLE-12

INDEMNITY, LIMITED LIABILITY

12.1 The open access customer agrees to indemnify the licensee and hold it harmless from and against any and all claims, other than those ultimately determined to be founded on gross negligence or willful misconduct of the licensee in a judicial proceeding, from and against any damages penalties, judgments,

liabilities, losses or expenses (including reasonable attorney's fees and court costs and disbursements) (hereinafter also collectively "**Loss**") incurred as a result of the assertion of any claim by any person or entity, arising out of or in connection with this Agreement, including in respect of any loss or damage arising from performance of system operator functions.

ARTICLE-13

DEFAULT BY PARTIES AND CONSEQUENCES THEREOF

13.1 The following shall constitute the defaults by the parties and the consequences thereof :—

(i) Failure of the open access customer to pay an invoice without raising a dispute :

Notwithstanding anything contained in Article 7, in the event of the failure by the open access customer to pay an invoice unless there occurs an Invoice Discrepancy, the licensee shall issue a notice to the open access customer ("Default Notice"), specifying that the open access customer has defaulted in its payment obligations towards the licensee and that it shall be afforded an opportunity to pay the unpaid invoice amount, with interest thereon, within a prescribed time frame. If the open access customer does not comply with the terms of the Default Notice, the licensee shall be entitled without further recourse to unilaterally de-energise the connection granted to the open access customer and/or terminate this Agreement forthwith. The open access customer shall be required to raise any Invoice Discrepancy in writing within _____ days of receipt of the Invoice.

(ii) Failure of the open access customer to adhere to the prescribed technical requirements :

In the event of failure of the open access customer to comply with any technical requirements as may be prescribed and/or approved by the Commission from time to time, which adversely affects the power quality or security of the grid,

performance or management of grid assets, the licensee shall be entitled to de-energise the connection granted to the open access customer forthwith.

ARTICLE-14

NON-COMPLIANCE WITH OTHER REQUIREMENTS

14.1 In the case of any non-compliance of any requirements (other than those specifically mentioned in this Agreement) by any Party ("Defaulting party"), the non-Defaulting Party shall serve a notice to the Defaulting party, indicating the details of the non-compliance and requiring it to remedy such non-compliance within 15 days. The Parties may also, if they mutually agree, meet and hold discussions on the aforesaid issue.

14.2 If the Defaulting Party fails to remedy its non-compliance or provide the non-Defaulting party with a remedial plan within the notice period, the non-Defaulting party shall be entitled to seek termination of this Agreement in terms of this Agreement.

14.3 The Licensee recognises that it is in a monopoly position as regards the Distribution Services. Therefore, in the event the licensee fails to comply with the provisions of this Agreement and/or fulfill its obligations hereunder, the open access customer shall be entitled to approach the Commission and seek specific performance of the terms of this Agreement. This right shall be without prejudice to any other rights that the open access customer may have under law.

ARTICLE-15
TERM AND TERMINATION

15.1 This Agreement is intended to be of enduring nature having regard to the mutual objectives and stipulations in this Agreement and shall take effect as of

its execution and shall continue in force until terminated in accordance with the provisions of this Agreement.

15.2 Without prejudice to any claim for any antecedent breach, any Party shall be entitled at its option, on the happening of any of the following events, to terminate this Agreement:

(*a*) by giving to the other Party thirty (30) days written notice if any other Party becomes or is declared bankrupt or goes into voluntary or compulsory liquidation, except for the purpose of amalgamation or reconstruction; or

(*b*) by giving to the other Party sixty (60) days written notice if any distress or attachment is levied, or any receiver is appointed in respect of the business or a substantial part of the property or assets of any other Party, or if it takes any similar action in consequences of debt; or

(*c*) by giving to the other Parties sixty (60) days written notice if possible, in the event that there is a Government expropriation, nationalization or condemnation of all or substantial part of the assets or capital stock of any other Party; or

(*d*) by giving to the open access customer a notice issued by the licensee, indicating that the open access customer has failed to pay its dues as raised under an Invoice issued to it despite the issuance of a notice of default as referred to in Article 13; or

(*e*) by notice in writing to the other Parties (effect upon dispatch) if any other Party is in breach of any provision of this Agreement and such breach has not been remedied (to the reasonable satisfaction of the Parties not in breach) within sixty (60) days of notice of such breach having been served on that Party by any other Party; or

(*f*) by notice in writing to the other Party if any direction or order from any authority in India or any change in applicable statutes, rules and regulations or the Government policy is made which prevents or significantly impairs the implementation of this Agreement or directly or indirectly so restricts the scope and exercise of the right of either of Party as concerns the Company so as to render its objectives effectively impossible; or

(*g*) by giving to the other Parties an advance notice of at least one eighty days to the effect that one party desires that this Agreement be terminated.

15.3 The termination of this Agreement shall not relieve any Party of any obligation or liability accrued prior to the date of termination.

15.4 The Parties shall promptly provide required information and documents in obtaining the requisite Governmental or statutory approvals to implement the provisions of this Article 14.

15.5 The foregoing shall not limit the ability of either Party to seek legal and equitable remedies related to a material Breach by the other Party or the failure of the other Party to perform any other duty or obligation under this Agreement.

ARTICLE-16
CONFIDENTIALITY

16.1 The Parties undertake to keep the nature of the Transaction confidential and also agree that the disclosure of such information without the approval of other Party, except when such disclosure is essential for the purpose of obtaining any permission of the Governmental Authority and/or to its legal advisors, shall result in material damage to the other Party.

16.2 Any confidential information provided to a Party or its representatives in writing and identified as being confidential (**"Confidential Information"**) shall be held in confidence and shall not be disclosed to any third party, except as reasonably required in the fulfillment of this Agreement or in connection with obtaining any necessary consents in connection with this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the obligation of confidentiality shall not apply to any disclosure (i) of information that is in or enters the public domain through no fault of the receiving Party, (ii) of information that was in the possession of the receiving Party prior to receipt under this Agreement, or (iii) required by law, regulation, legal process or order of any court or governmental body having jurisdiction, but the receiving Party shall notify, in advance, the disclosing Party/ies as soon as reasonably possible, to the extent lawful, so that the disclosing Party/ies can seek protections or exceptions to the disclosure.

ARTICLE-17
WAIVER OF CLAIMS

17.1 In no event shall a Party be liable to the other Party for any indirect, consequential, economic, punitive or similar damages arising from or in any way connected with this Agreement.

17.2 Any waiver at any time by the other Party of its rights with respect to a default or breach under this Agreement shall not be deemed a waiver with respect to any other default or breach or other matter arising in connection herewith. Any delay short of the statutory period of limitation in asserting or enforcing any right shall not be deemed a waiver of such right.

17.3 The Parties will exercise reasonable diligence and care to meet their respective contract obligations and duties.

ARTICLE-18
NO ASSIGNMENT

18.1 The open access customer shall not assign, sell, convey or otherwise transfer this Agreement or any Confirmation Agreement, or any of its rights or obligations thereunder, without prior express written consent of the Seller. The assignee or other transferee shall assume all duties and obligations arising from and after the time of the consent to transfer by the Seller, but such assignment or transfer shall not release the assigning or transferring open access customer from its duties and obligations unless specifically provided in the written consent and in the assignment, conveyance or transfer document. All duties and obligations arising prior to the assignment or transfer shall remain the duty and obligation of the Party unless the Parties specifically agree otherwise.

ARTICLE-19
FORCE MAJEURE

19.1 If either Party is prevented from performing its obligation under this Agreement from causes which are beyond its reasonable control, such as, but not limited to, any condition or event beyond the control of the Party affected, including but not restricted to, failure of or threat of failure of facilities, flood, earthquake, storm, fire, explosion, lightning, epidemic, war, riot, civil disturbance or disobedience, labour dispute, labour or material shortage, sabotage, restraint by court order or public authority and action or non-action by, or failure to obtain the necessary authorizations or approvals from, any governmental agency or authority, which by exercise of reasonable diligence such Party could not reasonably have been expected to avoid and which by exercise of reasonable diligence it shall be unable to overcome; the Party is excused from non-performance of its obligation during the period while such cause continues to exist, but if such cause continues to exist and prevent performance by the Party of the obligation for more than one month, the other Party may terminate this Agreement effective upon delivery to the non-performing Party of written notice of such termination.

19.2 Either Party rendered unable to fulfill any of its obligations under the Agreement by reason of a Force Majeure shall provide notice of said Force Majeure to the other Party within 24 hours of the occurrence giving rise to the claim of the Force Majeure, provide written notice within 3 working days thereafter and use reasonable diligence to remove such Force Majeure with all reasonable dispatch.

19.3 Should the Force Majeure exist for a period of three consecutive months, the Party not claiming the Force Majeure may cancel the Distribution Service by providing a thirty-day written notice at the conclusion of the three month period.

ARTICLE-20
NOTICES

20.1 All notices, billings, payments and other communications shall be given in writing and sent by mail, postage prepaid, signed by (or by some person duly authorised by) the person giving it and may be served by leaving it or sending it by facsimile, prepaid recorded delivery as registered post, addressed as follows (or to such other address as shall have been duly notified in accordance with this Article):

If to the open access customer:

_____

_____

If to the licensee :

_____

_____

20.2 All notices given under this Article shall be deemed to have been served as follows:—

(*a*) if delivered by hand, at the time of delivery;

(*b*) if posted, at the expiration of six (6) days after the envelop containing the same was delivered into the custody of the postal authorities;

(*c*) if communicated by facsimile, on receipt of confirmation of successful transmission.

ARTICLE-21
SEVERABILITY

21.1 Whenever possible, each provision of this Agreement shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Agreement should be prohibited or invalid under applicable law, such provision shall be ineffective to the extent of such prohibition or invalidity without invalidating the remainder of such provision or the remaining provisions of this Agreement. In such event, the Parties shall negotiate, in good faith, a valid, legal and enforceable substitute provision, which most nearly effects the Parties' intent in entering into this Agreement.

ARTICLE-22
ENTIRE AGREEMENT

22.1 This Agreement, the Exhibits and all attachments set-forth the entire agreement of the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede all prior and contemporaneous agreements, understandings and representations, written and oral. In case of any inconsistency between this Agreement and any Schedule or any attachment, this Agreement shall prevail.

ARTICLE-23
JURISDICTION

23.1 Except as specifically provided for otherwise, in this Agreement, the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts in the State of Himachal Pradesh.

ARTICLE– 24
DISPUTE RESOLUTION

24.1 Except as specifically provided for otherwise, in this Agreement, the Parties shall seek to resolve any dispute, controversy, claim or breach arising out of or in relation to this Agreement including any dispute as to the existence or validity of this Agreement, by amicable arrangement and compromise, and only if the Parties fail to resolve the same by amicable arrangement and compromise within a period of sixty (60) days of receipt of written notice of the same by the other Party, either Party may resort to arbitration as provided for in Clause 24.2 hereof.

24.2 Subject to section 86 (1) (f) of the Act, in the event of any question, dispute or difference arising under this agreement or in connection therewith except as to matters for which the manner of dispute resolution is specifically provided under this agreement, Act or Regulations, the same shall be finally settled through arbitration proceedings by a sole arbitrator to be appointed by the Commission.

24.3 The place of arbitration shall be Shimla. The language of arbitration shall be English.

24.4 The Parties shall bear their own costs for conduct of arbitration proceedings, subject to the final award.

ARTICLE– 25
ASSUMPTION OF RISK

25.1 Each Party hereto acknowledges (i) the risks of its undertakings hereunder, (ii) the uncertainty of the benefits and obligations hereunder, and (iii) is assumption of such risks and uncertainty. Each Party has conducted its own due diligence and requested and reviewed any contracts, business plans, financial documents and other written material as in such Party's opinion shall be the basis of that Party's decision to enter into this Agreement.

ARTICLE-26
MODIFICATION

26.1 No provisions of this Agreement may be modified or amended unless the Parties adopt the procedure contained herein. Where any Party is of the view that the terms of this Agreement require any modification or amendment, to ensure that it is in consonance with the relevant regulatory and statutory provisions, the Parties shall initiate a consultative process, whereby the Parties shall meet and hold discussions on the aforesaid issues. In the event that the Parties cannot agree on whether this Agreement requires modification or amendment, they shall refer such difference to an independent expert, who shall decide the said issue. However, the Parties may modify this Agreement if they mutually agree to do so, in writing.

ARTICLE-27
HEADINGS

27.1 The article, paragraph and other headings in this Agreement are provided for convenience only and in no way define or limit the scope or the intent of this Agreement.

ARTICLE-28
COUNTERPARTS

28.1 This Agreement may be executed in any number of counterparts. The counterparts shall be deemed to constitute one instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties by their duly authorised representatives have executed this Agreement on the day first above written.

Open access customer	Licensee
By :	By :
Name :	Name :
Title:	Title :
Date:	Date:
Witness:	Witness:

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।